लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १६, १९६३/१८८५ (शक)

[२९ मार्च से ११ अप्रैल, १९६३/८ चैत्र से २१ वैशाख, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

चौथा सत्र, १९६३/१८८४-५ (शक)

(खण्ड १६ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड १६—अंक ३१ से ४०—२९ मार्च से ११ अप्रैल, १९६३/८ चैत्र से २१ वैशाख, १८८५ (शक)]

अंक ३१—शुक्रवार, २९ मार्च, १९६३ / ८ चैत्र, १८८५ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६४५, ६४८ से ६५१, ६५३ से ६५७ और ६५९ से ६६१	३०२१—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४७ और ६५८ . . .	३०४८—४९
अतारांकित प्रश्न संख्या १२८९ से १३२२ . . .	३०४९—६५
गैर-सरकारी कार्य के बारे में	३०६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में .	३०६५—६६
सभा पटल पर रख गये पत्र	३०६६
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन	३०६६
तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर में शुद्धि . . .	३०६६
सभा का कार्य	३०६७—६८
अनुदानों की मांगें—	३०६८—३११५
गृह-कार्य मंत्रालय	३११५—३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	३११६
नेफा में प्रशासनिक नीति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया .	३११६—२४
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	३१२४—२५
दैनिक संक्षेपिका	३१३८—४१
अंक ३२—सोमवार, १ अप्रैल, १९६३ / ११ चैत्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६२, ६६३, ६६५, ६६४, ६६६, ६६८, ६६९, ६६९-क, ६७० से ६७३, ६७५ और ६७६ . . .	३१४३—६८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६७, ६७४, ६७७ से ६७९ और ६८१ .	३१६८—७१

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १३२३ से १३६३ . . .	३१७१—८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३१८
भारतीय वायुसेना के एक जेट विमान की दुर्घटना	
सभा पटल पर रख गये पत्र	३१८८—८
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	३१८
अनुदानों की मांगें	३१८९—३२४
गृहकार्य मंत्रालय	३१८९—३२२
निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय	३२२०—३२४
दैनिक संक्षपिका	३२४६—४९

अंक ३३—बुधवार, ३ अप्रैल, १९६३ / १३ चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ से ६८९ और ६९१ से ६९७ .	३२५१—७६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९८, ६९९ और ७०० . . .	३२७६—७८
अतारांकित प्रश्न संख्या १३६४ से १३९३, १३९६ से १४०९, १४११ से १४१३ और १४१७ से १४२०	३२७८—३३०१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	३३०१—०४
(१) चीनियों के अधिकार में भारतीय युद्ध बन्दियों की रिहाई .	
(२) पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का तंग किया जाना .	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अट्ठारहवां प्रतिवेदन . . .	३३०४—०५
सदस्य और मंत्री द्वारा वक्तव्य	३३०५
अनुदानों की मांगें—	
निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय	३३०५—२८
विधि मंत्रालय	३३२९—४८
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय .	३३४८—५७
दैनिक संक्षेपिका	३३५८—६१

अंक ३४—गुरुवार, ४ अप्रैल, १९६३ / १४ चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०१, ७१७, ७०२, ७०५, ७०८, ७०९, ७११ से ७१६ और ७१८ से ७२०	३३६३—८५

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४ और ७०६ से ७०७	३३८५—८७
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२१ से १४४९ और १४५१ से १४५८	३३८७—३४०४
सभा पटल पर रख गये पत्र	३४०४—०५
प्राक्कलन समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	३४०५
आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री द्वारा वक्तव्य	३४०५—०८
निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) विधेयक, पुरस्थापित	३४०८
अनुदानों की मांगें—	
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	३४०९—५६
दैनिक संक्षेपिका	३४५७—६०
अंक ३५—शुक्रवार, ५ अप्रैल १९६३ / १५ चैत्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५, ७२६ और ७२८ से ७४०	३४६१—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२३, ७२४ और ७२७	३४८८—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४७९ और १४८१ से १५१२	३४९०—३५१५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५१५—१६
विधेयक पर राय	३५१६
राज्यों की विधान परिषदें विधेयक	३५१६
प्राक्कलन समिति—	
उन्तीसवां प्रतिवेदन	३५१६-१७
सदस्य द्वारा वक्तव्य के बारे में	३५१७
समिति के लिये निर्वाचन—	
नारियल जटा बोर्ड	३५१७
अनुदानों की मांगें—	
प्रतिरक्षा मंत्रालय	३५१८—४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
अट्ठारहवां प्रतिवेदन	३५४७
समुद्री बीमा विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५४७—५०
खण्ड २ से ९२ और १ तथा अनुसूची	३५४९
पारित करने का प्रस्ताव	३५५०

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२— पृष्ठ

(नये अनुच्छेद १५५-क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन)

[श्री पालीवाल का]

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३५५०—५७

दैनिक संक्षपिका . . . ३५५८—६२

अंक ३६—शनिवार, ६ अप्रैल १९६३ / १६ चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२ और ७४४ से ७५६ ३५६३—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७५७ और ७५८ ३५८७–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५१४ से १५८४ . ३५८८—३६२२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६२२

प्राक्कलन समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . ३६२३

विधेयक पर रायें ३६२३

सभा का कार्य ३६२३-२४

सरकारी उपक्रमों के लिये स्थायी समिति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में ३६२४

अनुदानों की मांगें—

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६२४--६२

दैनिक संक्षेपिका . . ३६६३—६७

अंक ३७—सोमवार, ८ अप्रैल, १९६३ / १८ चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७५९ से ७६६ और ७६८ से ७७२ . . ३६६९—९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ और ७७३ से ७७९ . . ३६९१—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८६, १५८८ से १६२६ . . ३६९५—३७१२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३७१२

सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति . . . ३७१२

सदस्यों द्वारा वक्तव्य ३७१२--१५

बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ३७१६

अनुदानों की माँगें—

पृष्ठ

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . . ३७१६—२५

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . . ३७२५—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

पंद्रहवाँ प्रतिवेदन ३७६२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३७६३—६६

अंक ३८—मंगलवार, ९ अप्रैल, १९६३ / १९ चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८० से ७८८, ७९०, ७९२, ७९५ और ७९८ . ३७६७—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८९, ७९१, ७९६, ७९७ और ७९९ . ३७८९—९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६२७ से १६३४ और १६३६ से १६७९ . ३७९१—३८११

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८११

प्राक्कलन समिति—

तेंतीसवाँ प्रतिवेदन . . . . . ३८११—१२

कार्य मंत्रणा समिति . . . . . ३८१२—१३

पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन

अनुदानों की मांगें— .

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . ३८१३—३२

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . . ३८३२—६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८६४—६७

अंक ३९—बुधवार, १० अप्रैल, १९६३ / २० चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के लिये मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०० से ८०८, ८१० से ८१२ और ८१४ . ३८६९—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१३ और ८१५ से ८१८ . . ३८९६—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८० से १७४४ . . . ३८९८—३९२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३९२५—२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उन्नीसवाँ प्रतिवेदन ३९२६

	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति	
पैंतीसवाँ प्रतिवेदन . . .	३९२६
अनुदानों की माँगें—	
परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . .	३९२६—७७
दैनिक संक्षेपिका . . .	३९७८—८१
अंक ४०—गुरुवार, ११ अप्रैल, १९६३ / २१ चैत्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ से ८३५ . . .	३९८३—४००९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२० और ८३६ से ८३८ . .	४०१०—१२
अतारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७८८ और १७९० से १७९३ .	४०१२—३७
स्थगन प्रस्तावों तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	४०३७
नागा विद्रोहियों द्वारा रेलवे लाइन को उड़ाया जाना और रेलगाड़ी पर गोली चलाया जाना . . .	४०३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४०३७–३८
समिति के लिये निर्वाचन—	
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . . .	४०३८–३९
अनुदानों की माँगें —	
खान और ईंधन मंत्रालय	४०३९—८०
सदस्य की रिहाई	४०८०
दैनिक संक्षेपिका	४०८१—८५
~~समेकित विषय-सूची [२९ मार्च से ११ अप्रैल, १९६३/८ से २१ चैत्र, १८८५ (शक)]~~	

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

तृतीय माला, खण्ड १६—अंक ३१

शुक्रवार, २९ मार्च, १९६३
८ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १६ में अंक ३१ से अंक ४० तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित* प्रश्न संख्या ६४२ से ६४५, ६४८ से ६५१, ६५३ से ६५७ और ६५९ से ६६१ । ३०२१--४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४७ और ६५८ । ३०४८-४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८९ से १३२२ । ३०४९—६५

गैर सरकारी कार्य के बारे में ३०६५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . ३०६५-६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०६६

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . . ३०६६

तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर में शुद्धि ३०६६

सभा का कार्य ३०६७-६८

अनुदानों की मांगें . . . . . ३०६८—३११५

गृह-कार्य मंत्रालय ३१२५--३७

श्री राम सहाय पाण्डेय ३०६८--७१

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . . . ३०७१—७४

श्री तु० राम ३०७४--७६

श्री बासप्पा ३०७७

श्री कछवाय ३०७७--७९

श्री उइके . . . . . ३०७९—८२

श्री कृ० ल० मोरे ३०८२-८३

श्री विश्राम प्रसाद . . . ३०८३--८६

श्री दे० शि० पाटिल ३०८६--८९

श्री अ० शं० आल्वा ३०८९

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने दास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

शुक्रवार, २९ मार्च, १९६३

८ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

पूर्व एशियाई देशों को कपड़े का निर्यात

+

†*६४२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत से पूर्व एशियाई देशों को सूती कपड़े का निर्यात शनैः शनैः कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) किन देशों में अधिक कमी हुई है ; और

(घ) इस में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण]

पूर्व एशियाई देशों को, विशेषतः बर्मा, लंका और इन्डोनेशिया, सूती कपड़े के निर्यात में पिछले कई वर्षों से लगातार कमी रही है । इस कमी का मुख्य कारण यह था कि भारतीय सूती कपड़े

†मूल अंग्रेजी में

की कीमतें उतनी प्रतियोगात्मक नहीं थीं जितनी कि जापान, चीन हांगकांग और पूर्व एशियाई देशों की तथा ये देश भी कपड़े के आयात में बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं।

सूती वस्त्र के निर्यात को सुधारने के लिये निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये गये हैं :—

(१) जुलाई, १९६२ से उद्योग द्वारा एक स्वेच्छा पूर्वक निर्यात दायित्व योजना का सूत्रपात ।

(२) सूती कपड़ा निर्यात प्रोत्साहन योजना का सरलीकरण ।

(३) मंड़ी का अध्ययन करने तथा वहां के आयात और व्यापार संगठनों के साथ बातचीत करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि उस मन्डी में भारत को अच्छा करोबार मिले एक तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल हाल में बर्मा गय था ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात को सुधारने के लिये किये गये प्रमुख उपायों में जुलाई १९६२ से उद्योग द्वार चलाई गई एक स्वेच्छापूर्वक निर्यात संवर्द्धन दायित्व योजना है। क्या तब से इन देशों को होने वाले निर्यात में कोई सुधार हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सुधार अवश्य हुआ है। १९६२ की पहली छमाही में, योजना के आरम्भ होने से पहले, कपड़े का निर्यात लगभग २५७० लाख गज का था। योजना के आरम्भ होने के बाद निर्यात २८०० लाख गज हो गया ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता चलता है कि एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को निर्यात का अभ्यांश बढ़ाने के लिये इन देशों में भेजा गया था क्या यह प्रतिनिधि मंडल निर्यात बढ़ाने के लिये इन देशों के साथ कोई समझौता करने में सफल हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रतिनिधिमंडल अभी अभी लौटा है। बर्मा सरकार ने टेंडर की तिथि पन्द्रह दिन तक बढ़ा दी है। वहां सरकार में परिवर्तन होने के कारण उन्होंने दूसरे टेंडर की मांग की है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या अन्य देशों द्वारा निर्यात किये जाने वाले कपड़ों के विभिन्न डिजाइनों के कारण हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुख्य कारण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतन्त्र होने वाला प्रत्येक देश हमारी ही तरह से औद्योगिकरण करना चाहता है। सब से पहले जिस उद्योग की ओर उनका ध्यान जाता है वह शक्ति चालित करघे और कपड़ा उद्योग है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि ये मंडियां हमारी परम्परागत मंडियां हैं अथवा कोई और ? और उस प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो अब देश के बाहर और अन्दर हुई है, उस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये क्या हम उपाय कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक हमारी परम्परागत मंडियों के बारे में प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, बड़ी से बड़ी मंडियों में से एक इंग्लैंड है जो एक उभय पक्षीय करार के अन्तर्गत वह हमारे कपड़े ले रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया के हमारे पड़ोसी देश भी एक तरह से हमारी परम्परागत मंडियां हैं क्योंकि हमें एक दूसरे के सामीप्य का लाभ प्राप्त है। परन्तु उन देशों में कपड़ा उद्योग का विकास उन्हें आवश्यक रूप से आयात कम करने के योग्य बना देता है। यह बात नहीं है कि जापानी, चीनी या अन्य प्रतियोगियों ने यह मंडी हमारे हाथ से ले ली है। आवश्यकता है अधिक विविधता की, मिश्रित कपड़े के निर्माण की, और न केवल सूती कपड़े पर ही निर्भर रहने की। यही तरीका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि कपड़े के हमारे निर्यात में कमी का कारण आयात करने वाले देशों द्वारा लगाये गये कठोर प्रतिबन्ध हैं ? यदि हां, क्या इन प्रतिबन्धों का जापान और चीन की अपेक्षा हम पर अधिक प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ठीक यही मैंने पहले कहा था। भुगतान शेष स्थिति पिछले अनेक वर्षों में इतनी बिगड़ गई है कि सब से पहले कपड़े जैसे उपभोक्ता उपादको पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। यह बात नहीं है कि जापान या अन्य देशों ने मंडी हम से हथिया ली है। सब मिला कर, दक्षिण-पूर्व एशिया पहले से कम आयात कर रहा है। कई देश हैं अतः मैं सामान्य रूप से कुछ नहीं कहूंगा। हमारी नीति यह है कि प्रत्येक देश में देखें कि हम कैसे अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं।

अभ्रक का निर्यात

†*६४३. **श्री पें० वंकटासुब्बया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश से अभ्रक का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये उपायों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है

सूची

(१) विदेशों में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(२) भारत और विदेशों में प्रदर्शनियों में बांटने के लिये अभ्रक पर पुस्तिकाओं और बुलेटिनों का प्रकाशन।

(३) मध्यस्थ निर्णय द्वारा व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा।

(४) विदेशी मंडियों के सर्वेक्षण करना ।

(५) अभ्रक निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा प्रकाशित 'भारत से अभ्रक के निर्यातकों की निदेशिका' का व्यापक परिचालन।

(६) जहाज में लादने से पहले अभ्रक परेषणों के निरीक्षण की स्वैच्छिक योजना का चलाना

(७) अमरीकी सामग्री जांच संस्था और उसके प्रतिरूप अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्था द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत भारतीय मानक संस्था के साथ परामर्श करके अभ्रक निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा अभ्रक के प्रधान नमूनों का तैयार किया जाना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) अभ्रक के वस्तुनिष्ठ जांच[1] और प्रमापीकरण के विकास के लिये विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की एक योजना ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** कुछ समय पहले अभ्रक मालिक संघ के प्रधान ने कहा था कि जिस प्रमापीकरण या जिस प्रकार का अभ्रक हम अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं वह बहुत सी कठिनाइयों के कारण निश्चित स्तर का नहीं है और इसीलिये हम विदेशों को अधिक निर्यात नहीं कर सके। क्या यह ठीक है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसाकि मैंने मुख्य उत्तर में कहा है, पहली बात तो यह है कि हमारा अभ्रक का निर्यात लगातार बढ़ता रहा है चालू वर्ष में भी पिछले वर्ष के लगभग १० करोड़ रुपये के निर्यात की अपेक्षा हम लगभग एक करोड़ रुपये अधिक कमा रहे हैं प्रमापीकरण कोई इतनी वास्तविक समस्या नहीं है क्योंकि यह प्राकृतिक उत्पाद है, इसकी १०,००० से भी अधिक श्रेणियां हैं। परन्तु यह सच है कि हमारे अपने ही निर्यातकों द्वारा किया जाने वाला तलोच्छिन्न इस उद्योग के लिये श्राप रहा है। इसे रोकने के लिये हम कोई उपाय ढूंढ निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या इस क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धी है और यदि हां, तो अभ्रक के प्रमापीकरण के लिये इसकी निर्माण प्रक्रिया के सरलीकरण और इसके गुणदोष के सुधारने के लिये जो रीतियां वे प्रयोग में ला रहे हैं क्या हम उन्हें अपनाने की सोच रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह तो पहले ही उत्तर में दिया हुआ है। वह कहते हैं कि यह प्रति वर्ष सुधरता जा रहा है, हम अधिक प्राप्त कर रहे हैं।

†**श्री मनुभाई शाह :** अभ्रक में प्रमुख प्रतिस्पर्धी ब्राजील है। अन्यथा, संसार का एकाधिकार भारत के हाथ में है। क्योंकि यह एक ऐसा प्राकृतिक खनिज है जो केवल भारत में ही उपलब्ध है। तन्तु और झिल्ली जैसी अन्य श्रेणियों में भारत संसार का एकमात्र संभरणकर्ता है, उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और अब हमारा प्रयत्न अभ्रक को ऐसे का ऐसा ही बेच देने की बजाय उससे पूर्ण उत्पाद बनाने का है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या यह सच नहीं है कि बिहार, जो कि भारत में सब से अधिक अभ्रक पैदा करता है, अब भी अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है क्योंकि व्यापार पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा यदि उचित उपाय किये जायें, तो अब भी निर्यात बढ़ाया जा सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रश्न के दूसरे भाग को पहले लीजिये। यह सदा सच है कि निर्यात को बढ़ाया जा सकता है और यही बात पर्याप्त सन्तोषजनक है कि एक ही वर्ष में हम इसे १० करोड़ रुपये के ऊपर लगभग एक करोड़ रुपये तक बढ़ा चुके हैं। परन्तु जहां तक संसार में अभ्रक की मांग का संबंध है, वह न्यूनाधिक बस इलेक्ट्रानिक्स के लिये ही है जिसके बदल पर तैयार हो रहा है। इसलिये किसी बड़ी वृद्धि की अपेक्षा करना जरा कठिन है। जहां तक कम उपयोग का प्रश्न है, यह तो खनन कार्यों का प्रश्न है जिसका संबंध सदा कुल खरीद से होता है अतः वे विस्तृत हो रहे हैं, सीमित नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या किसी देश के साथ माइका का एक्सपोर्ट बार्टर बेसिस पर करने के लिये बातचीत की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Objective Testing.

श्री मनुभाई शाह : हां, रशिया से बातचीत हो रही है। ईस्ट योरप से हमारी बातचीत हो रही है। अमरीका (यू० एस० ए०) के साथ सी० सी० बार्टर होने वाला है। उससे भी हम बात कर रहे हैं।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी :** निर्यात से जो अपशिष्ट बच जाता है उसका क्या किया जाता है, विशेषत: बिहार में ? उससे क्या किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उसका भी निर्यात किया जाता है और उसे अभ्रक का चूरा कहा जाता है।

'क्राइस्लर' मोटर कार

+

†*६४४. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 'क्राइस्लर' मोटर गाड़ियां बनाने के लिये 'क्राइस्लर इंटरनेशनल' तथा 'प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०' के बीच हुये करार की क्या शर्तें हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कम्पनी स्वचालित उत्पादों के निर्माण के लिये देश में पुर्जे प्राप्त या निर्माण कर सकेगी और 'क्राइस्लर' कम्पनी तकनिकल सहायता देगी ; और

(ग) क्या नयी करार अमरीका में बने 'क्राइस्लर' उत्पादों तथा विभिन्न देशों में उसकी सहायक कम्पनियों के उत्पादों पर भी लागू होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) मैसर्ज प्रीमिय आटोमोबाइल्स लि०, बम्बई, डाज/फारगो गाड़ियों के निर्माण के लिये १९४७ से अमरीका की क्राइस्लर कारपोरेशन के साथ सहयोग करते रहे हैं। सितम्बर १९६१ में उन्होंने सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित शर्तों पर एक नया करार किया। दो गैर-सरकारी फर्मों के बीच इस प्रकार के सहकारिता करारों की शर्तों को सरकार गुप्त समझती है।

(ख) और (ग). जी हां।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या में जान सकता हूं कि उत्पादन का लक्ष्य क्या है और विनियोजन कितना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** उत्पादन का लक्ष्य १५,००० गाड़ियां है, और इसमें होने वाला नया विनियोजन विदेशी मुद्रा का लगभग ६ से ७ करोड़ रुपया होगा।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या विदेशी मुद्रा कमाने के लिये इस परियोजना के उत्पाद बाहर भेजने का कोई विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कुछ निर्यात करने का हम प्रयत्न अवश्य करते हैं परन्तु इस श्रेणी का नहीं। अशोक लेलैंड अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या में जान सकता हूं कि क्या उत्पादन के इस नये उपक्रम से भारत में मोटर कारों की कीमतें कम करने में किसी तरह की सहायता मिलेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह नया उपक्रम नहीं है। जैसा कि कहा गया है, वे १९४७ से इन गाड़ियों का निर्माण कर रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या में यह समझूं कि कोई नया माडल आरम्भ नहीं किया जा रहा है तब विस्तार किस का है ? पहले ही बहुत से माडल और थोड़े से उत्पादन के लिये बहुत से निर्माता है जो कि बढ़ी हुई कीमत के लिये उत्तरदायी है। क्या में जान सकता हूं कि क्या यह भी उसी दिशा मैं वृद्धि कर रहा है या यह किसी और दिशा मैं है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह वही माडल है। उत्पादन की संख्या ७,००० से १५,००० तक पहुंचेगी, उसी दिशा मैं विस्तार होगा। अतः माडलों के दोहराये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कल वित्त मंत्री ने हमें बताया था कि विदेशी सहायता से उन सभी करारों की जिनका विनियोग मूल्य ५ करोड़ रुपये से अधिक है अब अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा पड़ताल की जायेगी । में जानना चाहता हूं कि क्या यह करार भी उसी विधि में से होकर निकला है अथवा नहीं ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वह व्यवस्था बिल्कुल हाल ही में हुई है। यह करार सितम्बर, १९६१ मैं हुआ था ।

काण्डला में पोटेशियम क्लोराइड संयंत्र

+

†*६४५. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला में समुद्र के पानी से पोटेशियम क्लोराइड तथा मेगनेशियम क्लोराइड निकालने के लिये कोई संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र के कब स्थापित होने की संभावना है ; और

(ग) प्रतिदिन कितना औसत उत्पदन होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां । अपशिष्ठ नमक बिटर्नों मैं से पोटेशियम क्लोराइड और मेगनेशियम सल्फ़ेट निकालने के लिये कांडला के एक वर्तमान नमक कारखाने को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है

(ख) लाइसेंसधारी १९६४–६५ तक उत्पादन आरम्भ करने की आशा करता है।

(ग) पूरा उत्पादन आरम्भ होने पर १० टन प्रति दिन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : इसमें क्या लागत आयेगी और क्या इसमें कोई विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ?

†**श्री कानूनगो** : विदेशी मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जब संयंत्र उत्पादन करने लगेगा तो अधिकतम उत्पादन कितना होगा और आयात कम करने में इससे कितनी सहायता मिलेगी।

†**श्री कानूनगो** : इस समय तो हम इस विशेष रसायन के आयात पर ही पूर्णतः निर्भर करते है और जब इस संयंत्र तथा अन्य संयंत्रों में पूरा उत्पादन होने लगेगा तो हम अपनी सारी आवश्यकतायें पूरी कर सकेंगे जो बढ़ भी रही है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, में यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कारखाना देश मैं अपने ढंग का पहला कारखाना है या इससे पहले भी इस तरह का काम होता था, और यदि होता था तो कहां पर ?

श्री कानूनगो : यह पहला कारखाना है।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : प्रति टन उत्पादन लागत कितनी होगी तथा देश मैं प्रयोग के लिये यह कहां तक पर्याप्त होगा ?

†**श्री कानूनगो** : दूसरे भाग के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समय देश में इसका उत्पादन नहीं किया जाता और हमें इन उत्पादों के आयात पर निर्भर करना पड़ता है। उत्पादन लागत तो उत्पादन के आरम्भ होने पर ही सुनिश्चित की जा सकती है ।

इस्पात कारखानों के लिये कोयला

†*६४८. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात कारखानों के लिये इस समय उपलब्ध कोयले की किस्म के कारण इस्पात का उत्पादन अपर्याप्त रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कोयले की किस्म को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) और (ख)। पत्थर के कोयले (कोकिंग कोल) की किस्म में गिरावट का, विशेषतः इस में **राख** की मात्रा जो आशा से अधिक है, लोहे के उत्पादन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कठिनाई को हटाने के लिये सरकार ने कोयला धोने का बहुत बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया है।

†**श्रीमती शारदा मूकर्जी** : क्या उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ा है और क्या अपेक्षित स्तर का धातुकर्मक कोयला न मिलने के कारण यह बढ़ गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: जी हां। निचली किस्म के कोयले के कारण उत्पादन लागत कुछ बढ़ गई है। लागत में ठीक कितनी वृद्धि हुई है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : कोयला धोने के कितने कारखाने चल रहे हैं और उनका उत्पादन कितना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कोयला धोने के छः कारखाने हैं—तीन गैर-सरकारी क्षेत्र नें और तीन सरकारी क्षेत्र में । उत्पादन के बारे में आंकड़े मेरे पास नहीं है ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या यह सच है कि केवल राख की अधिक मात्रा का ही नहीं अपितु राख की मात्रा की घटती-बढ़ती प्रतिशतता का इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : माननीय सदस्या ठीक कहती हैं । हम यथासंभव एकरूप किस्म का कोयला पाने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु यह हमें कठिन लग रहा है । हम इस दिशा में काम कर रहे है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या एक बार फ़िर कोयले की कीमत बढ़ाने का विचार किया जा रहा है और यदि ऐसा है तो लोहे और इस्पात के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह प्रश्न खान और ईंधन मंत्रालय में मेरे सहयोगी से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत कोयला धोने वाले कारखानों द्वारा पूरा किया जाता है और कितना कच्चे कोयले द्वारा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कोयले की विभिन्न श्रेणियों के लिये अलग अलग प्रतिशततायें है । कुछ मामलों में, मोटे तौर पर, ७५ प्रतिशत धोया हुआ कोयला है । कुछ अन्य मामलों में यह ५० प्रतिशत है । यह अलग अलग हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस देश में उच्च श्रेणी के धातुकर्मक कोयले की कमी को देखते हुए क्या सरकार का विचार भविष्य में लोहा और इस्पात संयंत्र तट पर स्थापित करने का है ताकि इन संयंत्रों को आयातित कोयले से पोषित किया जा सके ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी हां । इस पर सोचा जा रहा है । यह अभी विचार मात्र ही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि हाल ही में माननीय मंत्री ने जमशेदपुर में कहा था कि हम देश में इस्पात के सब से मंहगे उत्पादक होने की श्रेष्टता प्राप्त करने जा रहे है और यदि हां, तो क्या में जान सकता हूं कि क्या यह कोयले की कमी के कारण है अथवा किन्हीं और कारणों से ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : उचित किस्म के कोयले की कमी भी उत्पादन लागत के बढ़ जाने का एक कारण है ।

†**श्री हेम बरुआ** : पूरा उत्तर नहीं दिया गया है । में ने पूछा था कि क्या यह कोयले की कमी के कारण है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का कहना है कि यह भी एक कारण है । यदि माननीय सदस्य अन्य कारणों के बारे में भी जानना चाहते है तो उन्हें एक और प्रश्न करना पड़ेगा जिसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सीमेंट का व्यापार

+

†*६४९. श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीमेंट व्यापार के लिये लाइसेंस की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) और (ख). सीमैंट के वितरण और विक्रय को विनियमित करने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में देहली सीमैंट नियंत्रण आदेश, १९६३ प्रख्यापित किया है जिस में अन्य बातों के साथ साथ दिल्ली में सीमैंट व्यापारियों को लाइसेंस दिये जाने का उपबन्ध है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से यह लाइसेंसिंग प्रणाली प्रारम्भ की गयी है, उससे पहले सीमेंट का मूल्य दिल्ली के बाजारों में क्या था, और इस समय क्या है, क्या उसमें कोई अन्तर आया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : कंट्रोल मूल्य पर बेचा जाता है इसलिये पहले मूल्य क्या था यह तो मैं नहीं बता सकता ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इस बात का पता लगाया गया है कि दिल्ली के लिये सीमेंट की कुल कितनी आवश्यकता है और क्या अब इस बात की व्यवस्था कर ली गयी है कि दिल्ली में सीमैंट की कमी का अनुभव नहीं किया जायगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : अगर माननीय सदस्य चाहें तो में दिल्ली के डिमांड और एलाटमैंट के सन' १९६२ के फ़िगर दे सकता हूं । सन' १९६२ के पहले क्वार्टर में डिमांड थी ९९,१५६ टन, एलाटमैंट हुआ ३२,७०० टन और १० हजार टन का एडहाक एलाटमैंट किया गया । दूसरे क्वार्टर में डिमांड थी १,००,११६ टन, एलाटमैंट था ३२,७०० टन और एडहाक एलाटमैंट था १०,००० टन ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह बात सच नहीं है कि लाइसेंसिंग प्रणाली को लाने के पूर्व दिल्ली में सीमेंट की कीमतें बढ़ रही थीं ? और अगर बढ़ रही थीं तो क्या यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि इस प्रणाली को लाने के बाद उसके मूल्य में कमी हुई है ।

श्री प्र० चं० सेठी : दिल्ली में सन् १९५९ में सीमैंट का कंट्रोल आर्डर था सन' १९६० में जब सीमैंट की बहुतायत हुई तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कंट्रोल आर्डर हटा दिया । लेकिन बाद म केन्द्र के परामर्श पर फ़िर से सीमैंट कंट्रोल आर्डर जारी हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका क्या असर हुआ है आया इसके इंट्रोड्यूस करने से कीमत में कोई फ़र्क आया है, कोई कमी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० चं० सेठी : इस के इंट्रोडक्शन के बाद लाइसंसिंग कर दिया गया है और जो लोग बिना लाइसेंस सीमैंट बेचा करते थे उनकी रोकथाम हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है कि लाइसेंसिंग कर दिया गया है । लेकिन इसको इंट्रोडयूस करने से क्या कीमतों में कोई कमी आयी है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** इस समय लगभग ६२ लाइसेंसधारी हैं जो नियंत्रित मूल्यों पर सीमैंट का वितरण कर रहे हैं ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** मूल्य नियंत्रित है और इसे नियंत्रित मूल्यों पर ही बेचना पड़ता है हमें शिकायत मिलती थीं कि सीमैंट ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है और इसलिये हम ने नियंत्रण के उपाय किये है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह इन उपायों के किये जाने से पहले जो मूल्य प्रचलित था उस से कम है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** वैध नियंत्रित मूल्य एक ही है । परन्तु काले बाजार में इसे अधिक ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था । उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह नियंत्रण आदेश प्रख्यापित किया गया है ।

श्रीमती चावदा : में जानना चाहती हूं कि दूसरे राज्यों में सीमेंट की जो कमी है और जिस कारण कुवें और रास्ते आदि अधूरे रह गए हैं, उसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** सीमैंट की कमी सारे देश में है । राज्यों को जो सीमेंट का कोटा दिया जाता है उसमें से वे ऐसे कामों के लिये सीमेंट देते और अगर राज्य में कोई खास काम किया जाता है तो उसके लिये एडहाक ग्रांट दी जाती है ।

श्रीविश्राम प्रसाद : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लाइसेंस योजना में कुछ फ्रेवरिट लोगों को परमिट मिल जाते है और वे उन को ले कर ब्लैक मार्किटिंग करते है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक सीमैंट के वितरण का सवाल है वह स्टेट गवर्नमैंट की जिम्मेदारी है । हम तो स्टेट गवर्नमैंट को उसका कोटा दे देते हैं ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : में जानना चाहता हूं कि दिल्ली में सीमैंट के कितने डिपो हैं जिन पर लाइसेंस के अनुसार सीमैंट दिया जाता है ।

†**श्री प्र० चं सेठी :** जैसा कि मैं ने पहले कहा है, देहली में लगभग ६२ लाइसेंसधारी है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरी तरह नहीं दिया गया है में यह जानना चाहता था कि दिल्ली में जितनी सीमैंट की आवश्यकता होगी क्या उसके पूरा करने का आश्वासन सरकार दे सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : जो उन के पास आंकड़े थे पिछली साल के वे उन्होने पढ़ कर सुना दिए, कि इतनी मांग थी और इतने के लिये लाइसेंस दिये गए ।

†**अब अंग्रेजी में**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जब नियंत्रण कर दिया गया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरी सप्लाई करे। अतः क्या सरकार इस जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है तो जिस तरीके से उसका उत्पादन बढ़ सकता है उस प्रकार से उस को बढ़ाने की कोशिश की जायगी और उस कमी को पूरा किया जायगा लेकिन अभी कुछ दिनों तक सीमेंट की कमी महसूस की जाती रहेगी।

उर्वरक का उत्पादन

†*६५०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम प्राक्कलनों से मालूम होता है कि तीसरी योजना के अधीन उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी रहने का अनुमान है ; और

(ग) इस कमी को घटाने के लिये यदि कोई विशेष उपाय करने का विचार है तो वे क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : : (क) जी हां।

(ख) ३००,००० टन नाइट्रोजन की कमी होने की संभावना है।

(ग) एक उर्वरक परियोजना के पूरा होने और उत्पादन आरंभ करने में संयव और मशीनरी के संभरण के ठेके की तिथि से लगभग तीन वर्ष लगते हैं। अनेक परियोजनाओं में क्रयादेश अभी दिये जाने है। संयंत्र के लिये सामान जुटाने और उसके निर्माण में तैजी करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस देश में उर्वरक उत्पादन की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता क्या है और ऐसी क्षमता क्या है जो अनुज्ञप्त तो है परन्तु अभी अधिष्ठापित नहीं की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : १९६२–६३ में हमें २००,००० टन नाइट्रोजन का उत्पादन करने की आशा है। कुल अनुज्ञप्त क्षमता १३ लाख टन है जिसकी हमें आशा है कि १९६५–६६ तक पूरी हो जाएगी ताकि तीसरी योजना अवधि के अन्त तक हमारे पास १० लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता हो। जैसा कि मैं अपने मुख्य उत्तर में स्पष्ट कर चुका हूं, बहुत सी परियोजनाओं ने अभी उपकरणों के लिये क्रयादेश नहीं दिये हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ उर्वरक परियोजनायें अनुज्ञप्त तो की गई थीं परन्तु अधिष्ठापित नहीं की गई थीं और जिन परियोजनाओं को गैरसरकारी क्षेत्र में लाइसेंस दिये गये हैं क्या सरकार उन्हें सरकारी क्षेत्र में ले लेने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : गैर-सरकारी क्षेत्र में हम ने ५.५ लाख टन तक नाइट्रोजन के लिये लाइसस दिया है । परन्तु उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तीसरी योजा अवधि के अन्त तक गैर-सरकारी क्षेत्र में वे केवल ३५,००० टन नाइट्रोजन का उत्पादन करेंगे । अतः कमी मुख्यतः गैर-सरकारी क्षेत्र में हुई है । हम सोच रहे हैं कि क्या इन में से कुछ को सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाये ताकि यह काम शीघ्रता से किया जा सके ।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : कुछ क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जानती है कि एक विशेष गैर-सरकारी उर्वरक परियोजना को, जिसे जर्मन सहकारिता के साथ प्रथम योजना में चालू किया जाना था, अब भी रोका जा रहा है और क्या मैं जान सकता हूं कि जर्मन फर्म के साथ सहकारिता को अन्तिम रूप कब दिया जाएगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक परियोजना को यहां नहीं लिया जा सकता है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या मैं कमी के विशिष्ट कारण जान सकता हूं ? यह प्रविधिक है, वित्तीय है अथवा और क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह उत्पादन की एक नई शाखा है । उन्हें बाहर से सहकारिता प्राप्त करनी ही होगी । बहुत से गैर-सरकारी क्षेत्र के लाइसेंसधारी इस सहकारिता को प्राप्त नहीं कर पाये हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** : कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र ने कुछ ऐसे उत्पादन कार्यक्रमों को अपने हाथ में ले रहा है जो गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपे गय हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि जब सरकारी क्षेत्र गैरसरकारी क्षेत्र से इन्हें ले लेगा तो कमी कहां तक पूरी हो जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे अभी सोच रहे हैं कि क्या लें और कितना लें । इस समय यह बताना संभव नहीं होगा कि कितनी कमी पूरी की जाएगी ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र ने गैर सरकारी से कोई परियोजना अपने हाथ में ले ली है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : सच तो यह है कि एक तो लिया भी जा चुका है । मध्य प्रदेश परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र में थी परन्तु क्योंकि वह लाइसेंसधारी सक्रिय कदम नहीं उठा रहा था, सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है और हम इस परियोजना की क्रियान्विति की ओर बढ़ रह हैं । उसी तरह से दुर्गापुर ने संकेत दिया है कि शायद वह परियोजना को पूरा न कर सकें । अतः हम सोच रहे हैं कि क्या इसे सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाये ? इस प्रकार हमें प्रत्येक लाइसेंसधारी के बारे में सोचना और निर्णय करना पड़ता है ।

†**श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या मैं जान सकता हूं कि फर्टिलाइजर्स की कमी को दूर करने के लिय हमें बाहर से कितनी खाद मंगानी पड़ती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** आंकड़े मेरे पास तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं परन्तु हम लगभग १ से २ लाख टन तक आयात कर रह हैं ।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस देने की बजाय इसे सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि खाद की कमी पूरी करने के लिए यह किन किन देशों से मंगायी जाती है इस में हमारा कितना फौरेन एक्सचेंज जाता है और खाद की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अभी कितना समय और लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उपमंत्री को मंत्री महोदय से कहते हुए सुना है कि आंकड़ उपलब्ध ही हैं। अब वह इसका उत्तर न दें।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** कहा जा रहा है कि उर्वरक के उत्पादन के लक्ष्यों को हम पूरा करने के योग्य नहीं हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उसके साथ ही क्या हम नंगल उर्वरक कारखाने में होने वाले सार उत्पादन को बेचने के योग्य हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** नंगल उर्वरक कारखाने में हम अपने देश के लिये एक नये प्रकार का उर्वरक बना रहे हैं—केलशियम अमोनियम नाइट्रेट। प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां थीं परन्तु अब सारे उत्पादन का विक्रय किया जा रहा है।

आसाम में सीमेंट का कारखाना

†*६५१. { **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री बसुमतारी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में सीमेंट के कारखाने के लिये कोई लाइसेंस जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा यह किसको दिया गया था ; और

(ग) इसकी स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). आसाम में चेरापूंजी में एक सीमेन्ट का कारखाना स्थापित करने के लिये मैसर्स आसाम सीमेन्ट्स लिमिटेड शिलांग, को अप्रैल १९५६ में एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था ;

(ग) कारखाने के लिये स्थल चुन लिया गया है ; अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली गई हैं और संयंत्र तथा उपकरण के लिये विदेशी सम्भरणकर्ताओं को पक्का क्रयादेश दे दिया गया है।

†**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** आसाम में इस कारखाने को स्थापित करने में उनके सम्मुख क्या मुख्य कठिनाइयां आ रही हैं ? इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? लाइसेंस १९५६ में दिया गया था। छः से अधिक वर्ष व्यतीत हो गये हैं अभी तक कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। क्या मैं जान सकती हूं कि उनके सम्मुख क्या क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** सब से पहले तो स्वयं कम्पनी के गठन के सम्बन्ध में ही कठिनाइयां थीं। दूसरे, कारखाने के स्थान के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई थी। अन्त में, विदेशी सम्भरणकर्ता पूर्वकल्पित समय के अन्दर अन्दर यंत्रों तथा उपकरणों का सम्भरण नहीं कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रणका बड़कटकी** : क्या आसाम के आदिम जाति क्षेत्रों की उधारपट्टी पद्धति कठिनाइयों में से एक है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : भूमि अर्जित कर ली गई है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुमतारी—

†**श्री बसुमतारी** : मैं उसी प्रश्न को पूछना चाहता था । परन्तु क्या मैं जान सकता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उसी प्रश्न के फिर से पूछे जाने की आवश्यकता नहीं है—श्री हेम बरुआ ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि आसाम की औद्योगिक प्रगति इस बात के कारण रुकी हुई है कि सरकार लाइसेंस तो दे देती है परन्तु विदेशी मुद्रा के लिए कभी भी व्यवस्था नहीं करती; यदि हां, तो क्या इस संयंत्र में भी कुछ विदेशी मुद्रा व्यय होगी और यदि कोई विदेशी मुद्रा व्यय होनी है तो सरकार ने उसके लिये क्या व्यवस्था की है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : श्रीमान्, जैसा कि मेरे सहयोगी ने पहले ही संकेत किया था, विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इस परियोजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब नहीं हुआ । कम्पनी स्वयं ही समय पर नहीं बनी । फिर वे कारखाने का स्थान उचित रूप निर्धारित नहीं कर सके । ये कठिनाइयां थीं । वास्तव में तो वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार भी वे संयंत्र का आयात कर रहे हैं और धन उन्हें उपलब्ध कर दिया गया है ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के लाइसेंस जारी करने के लिए किन किन राज्यों को आदेश दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो असम का मामला था ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस परियोजना के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : केवल छः वर्ष ही व्यतीत हुए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि और कितना समय लग जायेगा ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह आशा की जाती है कि वह अगले वर्ष में किसी समय उत्पादन प्रारम्भ कर देगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न—श्री महेश्वर नायक ।

†**श्री महेश्वर नायक** : प्रश्न संख्या ६५३ ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : प्रश्न संख्या ६५२ के सम्बन्ध में क्या हुआ ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे ८ तारीख के लिये हटा दिया गया है । सदस्यों को पर्चियों द्वारा सूचना दे दी गई है परन्तु कभी कभी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता ।

†**श्री रंगा** : श्रीमान्, यह कैसे हुआ क्या यह इस लिये है कि ३० तारीख को समाचारपत्र का उद्घाटन होने जा रहा है और इसलिये इसे कुछ समय बाद पूछा जाना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आज क्या आपत्ति है ? क्या यह देशभक्ति सम्बन्धी किसी कार्य के लिये है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह भूल से एक ऐसे मंत्रालय को सम्बोधित था जिसके लिये वह नहीं था।

†**श्री त्यागी :** श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को यह स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये कि कैसे तथा किन आधारों पर यह प्रश्न स्थगित किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक गलत मंत्रालय को सम्बोधित था और जब यह ठीक किया गया तो आज उस मंत्रालय की उत्तर देने की बारी नहीं थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह पहली तारीख के लिये क्यों नहीं रखा जा सकता था, यह आठ तारीख के लिये क्यों रखा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सुविधा देखनी पड़ती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** किसकी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बहुत सूक्ष्म ब्यौरे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह पूर्णरूपेण अयुक्तिसंगत विलम्ब है । इसे पहली तारीख के लिये रखा जा सकता था । यह आठ तारीख के लिये क्यों रखा गया है ?

बाइसिकलों का निर्यात

+

†*६५३. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बनी बाइसिकलों के निर्यात के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) बाइसिकलों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई ; और

(ग) साइकिल के पुर्जे बनाने में भारत ने अब किस सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) १९६२ के ३ लाख १० हजार रुपये के मूल्य की तीन हजार चार सौ चौसठ बाइसिकलें और ६ लाख २१ हजार रुपये के मूल्य के साइकिलों के पुर्जे निर्यात किये गये थे । १९६३ के लिये निर्यात का भविष्य अच्छा प्रतीत होता है; अकेले जनवरी १९६३ में ही १ लाख ६१ हज़ार रूपये के मूल्य की ११८१ बाइसिकलें तथा बाइसिकलों के पुर्जे निर्यात किये गये हैं ।

(ग) साइकिल तथा साइकिल के पुर्जों के निर्माण में पूर्व आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है ।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या उन देशों को निर्यात की जाने वाली साइकिलों के मूल्य तथा उनके **गुण दोष** वहां अन्य निर्यात करने वाले देशों से आयात की गई साइकिलों के मूल्यों तथा उनके गुण **दोषों की** तुलना में अनुकूल उतरते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रति साइकिल ९० रुपये से लेकर १०० रुपये तक औसत मूल्य लिया जाता है जो कि जापानी साइकिलों के मूल्य की तुलना में अनुकूल उतरता है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि साइकिलों के आंतरिक उपभोक्ता भी हमारी साइकिलों के गुण दोषों से बहुत अधिक सन्तुष्ट नहीं है तथा इंग्लैण्ड से आयात की गई साइकिलों को अच्छा समझते हैं और क्या सरकार हमारी साइकिलों के गुण दोषों में सुधार करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारतीय साइकिलों संसार की सर्वोत्तम साइकिलों में से कुछ हैं । टी० आई, रेलें तथा एटलस साइकिलों को बहुत अच्छी किस्म की साइकिलों के वर्ग में रखा जाता है । वास्तव में, मिस्र में लिये गए एक हाल ही के टेन्डर में ११ टेण्डर देने वालों में से भारतीय साइकिलें ही गुण दोष तथा मूल्य दोनों ही में सर्वप्रथम आईं । इसलिये, यह प्रश्न तो बिल्कुल ही नहीं है । वास्तविक प्रश्न तो मण्डियों को ढूंढने तथा निर्माण की स्थानीय लागत में होने वाली हानियों की राशि और वसूल की जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के सम्बन्ध में है । मैं सदन को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि गुण दोषों तथा मूल्यों दोनों ही में जहां तक सम्भव हो सके हम प्रतिस्पर्धा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : किन किन देशों को ये साइकिलें निर्यात की जा रहीं हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे लगभग ग्यारह देश हैं । हम अधिकतर पश्चिम एशिया, अर्थात् ईराक, ईरान, मिस्र, कुवैत आदि में अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि गत तीन अथवा चार महीनों से आसनसोल की सेन रैले इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में जबरी छुट्टी[1] हो गई है ? यदि हां, तो क्या इसका निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जबरी-छुट्टी तो एक बिल्कुल ही भिन्न चीज है । वह एक औद्योगिक विवाद है । यह पूरा प्रभाव तो नहीं डालेगी, परन्तु जिस सीमा तक कारखाना बन्द रहेगा उस सीमा तक उत्पादन कम हो जायेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि स्थिति का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह पाया गया है कि जिन देशों को हम इस समय निर्यात कर रहे हैं उन्हीं देशों को हमारे देश से और अधिक निर्यात करने का क्षेत्र अब भी है ? यदि हां, तो क्या हम अपने देश में अधिक साइकिलें बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** हमारा भी यही अवलोकन है । परन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय व्यापारी समुदाय तथा निर्माणकर्ता अभी तक जोखिम उठा कर अधिक निर्यात करने के पक्ष में नहीं है । यही मुख्य रुकावट है, अन्यथा हम बहुत अधिक विक्रय कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] day off.

†**डा० रानेन सेन** : बड़े और छोटे कारखाने साइकिलें बना रहे हैं। क्या छोटे कारखानों द्वारा बनाई गई साइकिलें भी निर्यात की जा रही हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुख्य रूप के हम बड़े बड़े निर्माणकर्ताओं को निर्यात के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं और स्थानीय निर्माणकर्ता देश के अन्दर के बाजार की मांग को पूरा करते हैं, परन्तु छोटे छोटे लोग भी साइकिलों के पुर्जे निर्यात कर रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े साइकिल कारखानों में सहयोगकर्ता इंग्लैण्ड के निर्माणकर्ता हैं, क्या यह सच है कि हमारी साइकिलों का निर्यात कुछ हद तक उन मूल विदेशी कम्पनियों के साथ होने वाली प्रतिस्पर्धा के कारण सीमित हो गया है, जो कि उन देशों को सीधे ही निर्यात कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या निर्यात के लिये पूर्णरूपेण भारतीय व्यापार चिन्ह बनाने की कोई योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बड़े पैमाने के क्षेत्र में के २९ साइकिल कारखानों में से केवल दो में ही विदेशी सहकारिता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं होगा कि ऐसा इस कारण है। इन दो कारखानों, अर्थात् सेन रैले तथा टी० आई० साइकिल्स के मामले में भी ब्रिटिश सहयोगकर्ता अब उनको उन निर्यात प्रतिबन्धों से मुक्त करने के लिये सहमत हो गये हैं जो कि उन्होंने प्रारम्भ में लगाये थे। वास्तव में यह हमारे निर्माणकर्ताओं की आयात की जोखिम उठा कर अधिक न करने की अयोग्यता ही है जो कि हमारे मार्ग में बाधा बन कर आ रही है।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि हमारे देश से साइकिलों को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस की पब्लिसिटी के लिए सरकार फारेन कण्ट्रीज में कितना रुपया खर्च करती है।

श्री मनुभाई शाह : मैंने तो यह नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर सवाल पैदा ही नहीं होता।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** क्या पश्चिमी देशों की मंडियों में हमारे माल की खपत का अनुमान लगाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** जैसा कि सदन को ज्ञात है चालू वर्ष में हमने आय व्ययक में ३ करोड़ ८० लाख रुपये की एक विपणन विकास निधि की व्यवस्था की है, और आशा है कि पश्चिमी एशिया के देशों और अन्य देशों में विभिन्न पदार्थों की खपत के सम्बन्ध में पदार्थ गवेषणा, विपणन गवेषणा और क्षेत्र सर्वेक्षण किये जाने के विषय में, रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों के रूप में, सहायता देने की कोई पद्धति बना ली जायेगी।

हिन्दी विधि आयोग

*६५४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी विधि आयोग ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) उस आयोग के लिए अभी और कितना कार्य शेष है ; और

(ग) शेष कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) राजभाषा (विधायी) आयोग ने भारतीय दण्ड संहिता (इण्डियन पीनल कोड), दण्ड प्रक्रिया संहिता (कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इण्डियन इविडेन्स ऐक्ट) के और व्यवहार प्रक्रिया संहिता (कोड आफ सिविल प्रोसीजर) के अधिकांश के हिन्दी मूल पाठ को अन्तिम रूप दे दिया है। आयोग ने इन मूल पाठों के आधार पर विधि शब्द कोष का कुछ भाग भी संकलित कर लिया है। अब आयोग संविदा अधिनियम का हिन्दी मूल पाठ तैयार करने में लगा हुआ है।

(ख) आयोग को अभी शेष केन्द्रीय विधियों के हिन्दी मूल पाठ तैयार करने हैं, और केन्द्रीय विधियों के विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के लिए तथा जो राज्य विधियां हिन्दी से भिन्न भाषाओं में है उनके हिन्दी में अनुवाद के लिए व्यवस्था करनी है।

(ग) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आयोग को सौंपे गये वृहद् कार्य को देखते हुए इस समय इस बात का ठीक ठीक अनुमान करना कठिन है कि शेष कार्य कब तक पूरा हो सकेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि राष्ट्रपति का आदेश निकलने के बहुत देर बाद इस कमीशन की स्थापना की गई और फिर इसके मेम्बरों की नियुक्ति में भी काफी शिथिलता रही ? अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि कम से कम अब इस के कार्य में तेजी लाने के लिए कौन से खास कदम उठाए जा रहे हैं।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : यह कहना ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति के आदेश के बहुत देर बाद यह आयोग गठित किया गया था। राष्ट्रपति का आदेश अप्रैल, १९६१ में आया था और जून में आयोग गठित कर दिया गया था। वास्तव में यह सच है कि अभी तक सारे सदस्य नियुक्त नहीं किये गये हैं और लगभग तीन स्थान रिक्त हैं। परन्तु हम उन रिक्त स्थानों को भरने के लिये अपना भरसक प्रयत्न करते रहे हैं। हम रिक्त स्थानों को केवल राज्य सरकारों की सिफारिश पर ही भर सकते हैं। दुर्भाग्यवश, जो एक सदस्य चुना गया था उसका नियुक्ति से पूर्व ही स्वर्गवास हो गया और एक दूसरे मामले में एक सदस्य ने आयोग में कार्य करने से मना कर दिया। इसलिये, हमारी अपनी कठिनाइयां हैं। फिर भी, मैं सदन को यह बता दूं कि १८ की कुल संख्या में से इस समय आयोग में १५ सदस्य हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इस बात में कोई सत्यता है कि इस कमीशन को अभी तक स्टेनोग्राफर या दूसरा स्टाफ़ पूरा नहीं दिया जा सका है; यहां तक कि इस के बठने के सम्बन्ध में बड़ी अव्यवस्था है और मकान की बड़ी तंगी है ? अतः क्या इस बारे में कोई खास प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह सच है कि कुल कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये हैं। आपातकाल को दृष्टि में रखते हुए आयोग ने स्वयं ही यह सुझाव दिया है, जैसा कि माननीय सदस्य आयव्ययक में देखेंगे कि वह पूरे कर्मचारी नहीं रखेंगे जितने कि सोचे गये थे। स्थान के सम्बन्ध में यह सच है कि कुछ कठिनाई थी। परन्तु फिर हम ने विधि संस्थान से समझौता कर लिया है। उन का भवन पूरा हो रहा है और हम उस भवन का एक बड़ा भाग ले लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, क्या यह सच है कि ऐसा फैसला किया गया है कि आगे से जो विधेयक आये, वे अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी लाये जायें ? यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : हमारा यह इरादा है कि भावी विधान में अंग्रेजी मूल पाठ के साथ साथ उसका हिन्दी रूपान्तर भी दिया जाय।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि जिन कानूनों का हिन्दी में अनुवाद हो रहा है, वे तब तक प्रमाणित नहीं माने जायेंगे, जब तक कि वे पार्लियामेंट से स्वीकृत न हो जायें या इस बारे में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी न हो जाये ? माननीय मंत्री ने कहा है कि आगे आने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में भी यही सोचा जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस को कब से कार्यान्वित किया जायगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह सच नहीं है कि जिन मूल पाठों का पहले अनुवाद हो चुका है उन्हें अधिकृत बनाने के लिये कोई और अधिसूचना आवश्यक होगी। उस से कार्य में अनावश्यक ही विलम्ब होगा। हम ने एक उच्चशक्ति प्राप्त आयोग बनाया है जिस में प्रमुख प्रमुख व्यक्ति हैं, और मेरा विचार है संसद् से स्वीकृति लेने में पाठ में कदाचित् ही कोई सुधार होगा विशेष रूप से तब जब कि इसके बहुत ध्यानपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। भावी विधान के लिये भी, हम उसे किसी भी प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति पर निर्भर नहीं रखना चाहते।

†**श्री राधे लाल व्यास** : अब तक जिन अधिनियमों का अनुवाद किया जा चुका है क्या वे अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों ही भाषाओं में मुद्रित किये जायेंगे।

†**श्री अ० कु० सेन** : यही तो इरादा है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : आयोग ने कब अपना कार्य प्रारम्भ किया ? आपातकाल से पूर्व कितने दिनों से स्थान की तथा कर्मचारियों की कमी चल रही है ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : जैसे ही यह आयोग बना, अर्थात् जून, १९६२ में, वैसे ही उस ने अपना वास्तविक कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस बात के होते हुए भी कि सारे सदस्य नियुक्त नहीं किये गये हैं, जो पंद्रह सदस्य नियुक्त कर लिये गये हैं उन्होंने गत वर्ष ९० बैठकें कीं।

श्री यशपाल सिंह : कब तक यह मान लिया जाये कि अंग्रेजी के तमाम विधि-विधानों का हिन्दी में अनुवाद हो जायगा और उन्हें प्रामाणिकता प्राप्त हो जायेगी ?

श्री अ० कु० सेन : जितनी जल्दी हो सकता है, होगा। कोई वक्त बतलाना तो मुम्किन नहीं है।

श्री कछवाय : इस समिति में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। उनके नाम क्या हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उनकी तनख्वाह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इतनी तफसील जान कर क्या करेंगे।

श्री कछवाय : संख्या तो बता दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : संख्या बता दी गई है। अब नाम जान कर क्या करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : और तनख्वाह ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत अधिक ब्यौरे में जाने वाली बात है।

श्री अ० कु० सेन : किन की तनख्वाह ?

अध्यक्ष महोदय : तनख्वाह बताने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सत्य है कि १९६१ से यह कमिशन कार्य कर रहा है और इसके सामने कार्य समाप्त करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है और इसलिए इसके काम में बहुत अधिक ढिलाई है और जो अनुवादन का कार्य हो रहा है वह बहुत ही शिथिलता से हो रहा है ?

श्री अ० कु० सेन : यह सही नहीं है।

श्री प० ला० बारूपाल : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई निश्चित समय नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि हम हिन्दी बोलने वाले जब संसद् से रिटायर हो जायेंगे तब आप लायेंगे क्या हिन्दी के अनुवाद ?

अध्यक्ष महोदय : हमें उम्मीद है कि आप इतनी जल्दी रिटायर नहीं होंगे। फिर आप जल्दी लायेंगे।

संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा की गई खरीद

†*६५५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में से प्रत्येक में छोटे पैमाने के उद्योग से संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा कुल कितनी ख़रीद की गई; और

(ख) छोटे पैमाने के उद्योग के लिये अन्तर्ग्रस्त मूल्य अधिमान की कुल राशि कितनी है ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) और (ख). १९६१–६२ में ११ करोड़ ७९ लाख रुपये के मूल्य का सामान खरीदा गया। अप्रैल, १९६२ से जनवरी, १९६३ तक २३ करोड़ ६४ लाख रुपये की खरीद की गई। इन खरीदों में क्रमशः १५ हज़ार तथा ८४ हज़ार रुपये के मूल्य अधिमान का भुगतान अंतर्ग्रस्त है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बात को लेकर ही कि मूल्य अधिमान इतना तुच्छ है **क्या** मैं यह समझ लूं कि छोटे पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग से सीधी प्रतिस्पर्द्धा में हैं **और** उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : जी, हां। छोटे पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों से बहुत सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। केवल उन मामलों में ही जिन में कि उत्पादन की लागत अधिक है, प्रत्येक मामले को गुण दोषों के आधार पर जांच की जाती है और मूल्य में कुछ अधिमान दे दिया जाता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अब जब कि यह सिद्ध हो गया है कि इतनी सारी वस्तुओं के क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योगों ने बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में भी वस्तुओं की किस्म तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्य दोनों के सम्बन्ध में अपना महत्व सिद्ध कर दिया है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन में से कितनी वस्तुएं विकास के सम्बन्ध में केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ही चुन ली गई हैं तथा सुरक्षित कर दी गई हैं—इन वस्तुओं में से किन किन में इसने बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा की है ?

†श्री जगन्नाथ राव : लगभग २०० वस्तुओं में छोटे पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं । इसलिये टेन्डर जारी कर दिये जाते हैं और राज्य सरकारों के उद्योग निदेशकों को सम्भरण तथा निबटान महानिदेशालय की आवश्यकताओं से सूचित कर दिया जाता है । मुझे सदन को यह सूचना देने में प्रसन्नता होती है कि छोटे पैमाने के क्षेत्र के उद्योग सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा करने के योग्य हैं ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : जो इंजीनियरिंग सम्बन्धी वस्तुयें खरीदी गई हैं उनके अतिरिक्त मोटा मोटा वर्गीकरण क्या है और क्या यह ख़रीद देश के सभी प्रदेशों से की गई है ?

†श्री जगन्नाथ राव : जैसा कि मैंने कहा था, देश के सभी प्रदेशों से वस्तुएं खरीदने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । सभी राज्य सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : इंजीनियरिंग सम्बन्धी वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुयें क्या हैं ?

†श्री जगन्नाथ राव : लगभग २०० वस्तुएं हैं ।

सीमेंट का निर्माण

+

†*६२६. { श्री सुबोध हंसदा
श्री स० चं० सामन्त }

क्या इस्पात और भारी-उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमेंट के निर्माण के लिये एक "स्लैग" समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के अनुसार हमारे देश में कितना "स्लैग" होता है; और

(घ) उसका कितना प्रतिशत भाग सीमेंट के निर्माण के लिये प्रयोग किया जाता है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). पोर्टलैंड ब्लास्ट फ़रनेस स्लैग सीमेंट के निर्माण के हेतु अनुज्ञप्तिप्राप्त/स्वीकृतिप्राप्त योजनाओं की प्रगति का पुर्नविलोकन करने के लिये और शीघ्र प्रगति करने के उपायों का सुझाव देने के लिये, सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों और पोर्टलैंड ब्लास्ट फ़रनेस स्लैग सीमेंट के निर्माण के लिये अनुज्ञप्तिप्राप्त दलों की एक औपचारिक समिति १९६० में बुलाई गई थी । अब तक इस समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं । समिति को कोई विशिष्ट प्रतिवेदन देने के लिये नहीं कहा गया था ।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय देश के छः इस्पात कारखानों में लगभग ३८ लाख टन स्लैग का उत्पादन किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस समय लगभग ६५ हजार टन स्लैग, जो कि स्लैग के कुल उत्पादन का २½ प्रतिशत है, स्लैग सीमेंट बनाने के काम में उपयोग किया जा रहा है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस समय कौन कौन सी फर्में इस स्लैग को सीमेंट के निर्माण में उपयोग कर रही हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : स्लैग सीमेंट इस समय मैसूर आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती तथा एसोशियेटेड सीमेन्ट कम्पनी, चौबासा द्वारा बनाया जा रहा है जो कि जमदेशपुर के स्लैग का उपयोग कर रहे हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्योंकि हमारे देश में सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने लागत के ढांचे के सम्बन्ध में अथवा स्लैग से बनाये जाने वाले सीमेन्ट की लागत के सम्बन्ध में भी कोई जांच की है, और यदि हां तो डोलोमाइट तथा अन्य वस्तुओं से निर्माण किये जाने वाले सीमेन्ट की लागत की तुलना में इसकी लागत कैसी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : लागत इस प्रकार निकाली जाती है कि स्लैग सीमेन्ट तथा पोर्टलैंड सीमेन्ट के विक्रय मूल्यों में कोई अन्तर नहीं होगा ; स्लैग की लागत इस ढंग से निकाली जाती है कि लागत बराबर हो।

†**श्री स० चं० सामन्त** : स्लैग सीमेन्ट की किस्म तथा मूल्य पूपोज्जोलोन सीमेन्ट की तुलना में कैसे हैं जो कि भाखड़ा बांध के निकट बनाया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : स्तर अथवा किस्म एक सी ही होती है तथा मूल्य भी एक ही होना है। यही कारण है कि मैंने बताया था कि हम स्लैग के मूल्य का समायोजन कर रहे हैं जिससे कि मूल्य भी एक ही हो तथा एक से स्तर अथवा किस्म को भी बनाये रखा जा सके।

कुटीर उद्योग

*६५७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से विभिन्न राज्यों में कुटीर उद्योग का सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप संबंधित क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) : आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

†**श्री वें० वेंकटासुब्बया** : क्या हमें अंग्रेजी में भी उत्तर मिल सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर यह है कि जानकारी एकत्रित की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी। मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य इस समय तक कम से कम इतनी हिन्दी तो समझ सकेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् कम से कम माननीय मंत्री जी यह बतलाने की तो कृपा करें कि इस सर्वे का आखिर उद्देश्य क्या है और जब सर्वेक्षण हो जाएगा तो उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा ?

श्री कानूनगो : यह जो सर्वे हो रहा है यह बहुत किस्म का हो रहा है। इस में वक्त लगेगा। सब को इकट्ठा करके सदन के सामने रख दिया जाएगा। सर्वे का उद्देश्य यह है कि वहां क्या क्या चीजें बन रही हैं और कितना उसका खर्च होता है उसकी प्राइम कोस्ट क्या है। इस प्रकार की जानकारी होने से उसके डिवेलेपमेंट के लिए कदम उठाये जा सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, कम से कम यह भी बतलाने की कृपा की जाए कि सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकारों ने क्या कोई विशेष कर्मचारी नियुक्त किए हैं, विशेष स्टाफ रखा है या जो ब्लाक के कर्मचारी हैं, विकास खण्डों के कर्मचारी हैं, इनके द्वारा या और किसी एजेंसी के द्वारा ही यह काम कराया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : राज्य सरकारों के पास जो कार्मचारी हैं, वे जो काम कर रहे हैं, राज्य सरकारें अपनी तरफ से जो कार्य कर रहीं हैं और यूनियन सरकार और राज्य सरकारें शामिल हो कर जो कार्य कर रही हैं, इस सब को इकट्ठा करके सदन की मेज़ तर रख दिया जाएगा।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया*** : क्या इनमें से ऐसे कुटीर उद्योगों को जो कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के संरक्षण में सहकारिता के आधार पर आरम्भ कये जा रहे हैं केवल निर्यात ब्याजि अथवा आयात शुल्कों द्वारा कृत्रिम प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उन्हें सहकारी केन्द्रीय बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती तथा उन्हें अपनी वस्तुओं के लिये बाजार नहीं मिलता और यही कारण है कि इनमें से बहुत से सहकारी औद्योगिक एकक जो कि प्रारम्भ किये गये हैं बिलकुल असफल सिद्ध होते हैं, और यदि हां, तो क्या इस समिति द्वारा इस पहलू पर भी सर्वेक्षण किया जा रह है ?

†**श्री कानूनगो** : यह सब निश्चित राय है। इसके सम्बन्ध में भिन्न भिन्न राय हैं।

†**अध्यक्ष महोदय*** वस्तुतः यह तो एक भाषण था।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या वर्तमान सर्वेक्षण छोटे माने के उद्योगों के केवल वास्तविक उत्पादन से ही सम्बन्धित है अथवा इसमें भावी सम्भाव्यतायें और उनका उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनायें भी सम्मिलित हैं ?

†**श्री कानूनगो** : प्रतिरक्षा आवश्यकताओं से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वर्तमान समय में, विशेष प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के सर्वेक्षण का और इस समय जो कुटीर उद्योग विद्यमान हैं तथा जो विकसित किये जाने के योग्य हैं उनके सर्वेक्षण का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : जहां तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य का सम्बन्ध है, वहां कुटीर उद्योगों का सर्वेक्षण बहुत पहले पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण के प्रतिवेदनों में जो सिफारशें की गई थीं उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

†**श्री कानूनगो** : कुछ राज्यों में सर्वेक्षण हुए हैं परन्तु पूरे नहीं। जम्मू तथा काश्मीर सर्वेक्षण, जिसकी कि मुझे जानकारी है, पूरा नहीं हुआ है। सर्वेक्षणों के परिणाम उन नीतियों में सम्मिलित कर लिये गये हैं जिनका कि पिछले दो वर्षों से अनुसरण किया जा रहा है।

†**श्री प० कुन्हन** : कितनी राज्य सरकारों ने अब तक सर्वेक्षण पूरे कर लिये हैं?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास निश्चित जानकारी नहीं है।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस का सर्वे हो रहा है और उस की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि कितने दिन लगेंगे और किस पंच वर्षीय योजना में उसे लागू किया जायेगा?

श्री कानूनगो : यह सर्वे हो रही है और जो भी सूचना इकट्ठी होगी उस को वहां रख दिया जायेगा। इस में करीब एक महीना लगेगा, इस से ज्यादा नहीं।

चाय उद्योग

†***६५९. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने पश्चिमी बंगाल तथा आसाम में चाय उद्योग की मुख्य समस्याओं का हाल में ही विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् ने क्या मुख्य कठिनाइयां बताई हैं ; और

(ग) उनको दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) चाय बोर्ड के कहने पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने १९५९ में पश्चिम बंगाल, कचार और त्रिपुरा के आर्थिक दृष्टि से निर्बल कुछ चाय बागानों का सर्वेक्षण किया था।

(ख) और (ग). परिषद् ने अनुभव किया कि क्योंकि बागानों की आर्थिक निर्बलता के विविध कारण हैं, सर्वेक्षण के आधार पर कोई सर्वसामान्य समाधान निर्धारित नहीं किये जा सकते। तथापि परिषद ने सुझाव दिया कि एक विस्तृत प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाए। बोर्ड ने हाल ही में उत्तर-पूर्व भारत में कचार, त्रिपुरा और दार्जिलिंग के चाय बागानों के ऐसे सर्वेक्षण किये हैं। बोर्ड के निष्कर्ष अभी उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के अध्ययन से पता चला है कि कुछ चाय बागान घाटे की स्थिति में काम कर रहे हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सिद्ध नहीं हुआ है कि वे घाटे में चल रहे हैं क्योंकि यह सच होते हुए भी कि बड़े बागान अधिक अच्छे हैं, कुछ छोटे उत्पादकों ने भी बचत के साथ अच्छे परिणाम दिखाये हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या टुकलाई प्रयोगात्मक केन्द्र द्वारा किये गये विस्तृत अध्ययन के अनुसार वनस्पतिक प्रचार की प्रणाली से चाय की फसल ५० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ाई जा सकती है? क्या यह भी सच है कि इस अध्ययन में कहा गया है कि उस पर बहुत अधिक निर्भर न किया जाये? यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं समझ नहीं सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बड़ी कठिनाई है, प्रश्न इतना लम्बा है कि इसे समझना संभव नहीं है। प्रश्न सीधे, संक्षिप्त और तीक्ष्ण होने चाहिये।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मैंने कहा है कि टुकलाई प्रयोगात्मक केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वनस्पतिक प्रचार की प्रणाली से चाय की फसल ५० प्रतिशत से अधिक बढ़ाई जा सकती है और इसमें कहा गया है कि उस पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये। यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सब बड़ा जटिल है। वनस्पतिक प्रचार तो केवल चाय उगाने की नीतियों में से एक है। और भी कई नीतियां जैसे कि कृत्रिम सिंचाई जो, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हाल ही में चलाई गई थी तथा संकरण जैसी दूसरी चीज जिन से चाय का उत्पादन ५०करोड़ पौंड से ७८ करोड़ पौंड हो गया है। हम ९० करोड़ पौंड के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

स्टेनलैस स्टील का आयात

\+

†*६६०. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेडा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्टेनलेस स्टील स्क्रैप के निर्यात के बदले में कितना स्टेनलैस स्टील आयात करने की अनुमति दी है ;

(ख) देश में इस समय स्टेनलेस स्टील की सामान्य औद्योगिक आवश्यकता कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय स्टेनलेस उद्योग संघ ने सरकार को अभ्यावेदन भेजा है जिसमें आयात कोटा बढ़ाने की आवश्यकता पर जो दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) बर्तनों के निर्माण के लिये स्टेनलेस स्टील की चादरों के आयात की मात्रा निर्धारित नहीं है। तथापि यह निर्यात किये गये स्टेनलेस स्टील स्क्रैप की मात्रा पर निर्भर करेगा।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) देश की इस सामग्री की अनुमानित सामान्य औद्योगिक आवश्यकतायें ४,००० टन हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) आयात स्थिति तथा प्रतिरक्षा और अन्य अनिवार्य प्रयोजनों के लिये अपेक्षित इस्पात की श्रेणियों के आयात के लिये सीमित विदेशी मुद्रा के उपयोग की आवश्यकता को देखते हुये इस समय स्टेनलेस स्टील की चादरों की उस मात्रा को बढ़ाना संभव नहीं है जिससे कि इस व्यवस्था के अधीन आयात किये जाने की संभावना है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : अब निर्यात होने वाले स्टेनलेस स्क्रैप की कीमत क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : निर्यात के लिये उपलब्ध वास्तविक मात्रा उपलब्ध नहीं है परन्तु अनुमान है कि इस समय निर्यात के लिये हमारे पास शायद १,००० टन होंगे ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार ने जांच की है कि क्या हमारे अपने उद्योग देश में उपलब्ध सारे स्टेनलेस स्क्रैप का उपयोग करने के समर्थ हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : नहीं, स्क्रैप का उपयोग करना संभव नहीं है । यही कारण है कि हम उन्हें स्क्रैप का निर्यात करने और उसी मूल्य के स्टेनलेस स्टील का आयात करने की अनुमति देते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय उपमंत्री जी के कथनानुसार अभी देश की औद्योगिक आवश्यकता ४,००० टन की है । मैं जानना चाहता हूं कि आप ने इसका कौन सा प्रतिशत बाहर से मंगाने का अधिकार दिया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हमने केवल बर्तन निर्माण उद्योग के लिये आयात पर प्रतिबन्ध लगाया है । अन्य प्रयोजनों के लिये, जहां तक आवश्यक है, हम आयात की अनुमति दे रहे हैं । इसका संबंध केवल बर्तन निर्माण उद्योग से है और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं लगभग १,००० टन स्टेनलेस स्टील स्क्रैप उपलब्ध होगा । उसके लिये लगभग २५० टन स्टेनलेस स्टील प्राप्त की जा सकती है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि स्टेनलेस स्टील को कब तक इम्पोर्ट करने की व्यवस्था की जाती रहेगी, और क्या देश में ही उसके उत्पादन को करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: जी हां । दुर्गापुर इस्पात संयत्र जब उत्पादन करने लगेगा तो लगभग १७,००० टन स्टेनलेस स्टील तैयार करेगा ।

आमों का निर्यात

†*६६१. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आमों का निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये बाजार खोज लिये गये हैं ; और

(ग) किन देशों को निर्यात करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). आम पहले ही इंग्लैंड, पश्चिम एशियाई देशों, मलाया, पाकिस्तान और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पश्चिम जर्मनी तथा स्विटजरलैंड को निर्यात किये जाते हैं। सरकार विदेशों में, विशेषत: यूरोपीय देशों में, इसे बेचने की संभावनाओं को खोज करने के लिये सभी संभव उपाय कर रही है। परन्तु मुख्य बाधा विशेषीकृत परिवहन की है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष की आमों के लिये क्रयादेश मिले हैं और यदि हां, तो इस वर्ष आम को कौन सी किस्म का निर्यात किया जा रहा है?

†**श्री मनुभाई शाह** : अधिकतर एलफान्सो।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि पिछले वर्ष एक बहुत बड़ी मात्रा का निर्यात किया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई थी?

†**श्री मनुभाई शाह** : पिछले वर्ष १९ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई गई थी। इस वर्ष शायद यह २६ लाख रुपये हो।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्योंकि यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक बहुत बड़ा साधान है, क्या सरकार परिवहन व्यय में कुछ छूट या अन्य सहायता देकर निर्यात करने में सहायता करेगी?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सुझाव का स्वागत करता हूं और यदि माननीय सदस्य, जो महाराष्ट्र से आते हैं, इस बात को सहकारी विपणन संस्था के साथ उठायें, तो हमें सहायता करने में प्रसन्नता होगी।

†**डा० पं० शा० देशमुख**। धन्यवाद।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस बात को देखते हुये कि आम का भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में प्रधान मंत्री ने अतीत में मास्को, लन्दन और वाशिंगटन में राजनयिक बातचीत के हेतु स्थान तैयार करने के लिये लाभप्रद उपयोग किया है....

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ....पंचशील की वार्ता, विदेशों को आमों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या भविष्य में इसी ढंग का अनुसरण किया जायेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है।

श्री हरि विष्णु कामत : जी नहीं। क्या सरकार इसे बढ़ाने का, राजनयिक बातचीत के एक भाग के रूप में निर्यात को बढ़ाने का तथा एक राजनयिक फल के रूप में भी इसका निर्यात करने का विचार रखती है?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने आमों की बजाय आमों के उत्पादों का निर्यात करने की संभावना की जांच की है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। यह भी बहुत संगत प्रश्न है और मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्य ने इसे पूछा है। पिछले वर्ष आम की चटनियों का निर्यात ३४ लाख रुपये का था। इस वर्ष यह लगभग ४९ या ५० लाख रुपये होगा।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : माननीय मंत्री ने कहा है कि एलफान्सो का निर्यात किया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बंगनापल्ली, जो एक प्रसिद्ध और प्रमुख किस्म है, का भी निर्यात होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। आम अभी निर्यात के लिये पके नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पूर्व यूरोपीय देशों के लिये लौह अयस्क का निर्यात

†*६४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व यूरोपीय देशों के लिये लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या हाल में ही कुछ पूर्व योरोपीय देशों के साथ कोई नये करार किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) पूर्व योरोपीय देशों के साथ रुपया भुगतान व्यवस्था पर आधारित व्यापार करार किये गये हैं जिन में लौह अयस्क की अधिक मात्राओं का उपबन्ध है। राज्य व्यापार निगम ने भी लौह अयस्क के संभरण के लिये अधिकतर पूर्व एशियाई देशों के साथ दीर्घकालीन प्रबन्ध किये हैं और कुछेक मामलों में अल्पकालीन उधार सुविधायें भी दी गई हैं।

(ख) और (ग). हाल ही में राज्य व्यापार निगम ने यूगोस्लाविया और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ क्रमशः २,५०,००० टन और ६,२०० टन लौह अयस्क के ठेके किये हैं। बल्गेरिया ने भी अनुमानतः ५०,००० टन खरीदना मान लिया है।

तिरुचिरापल्ली में भारी बायलर बनाने का कारखाना

†*६४७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुचिरापल्ली के भारी बायलर बनाने के कारखाने के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक स्कूल स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) क्या इसमें कुछ विदेशों के प्रशिक्षक रखे जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इन शिक्षकों के कहां से आने की संभावना है तथा ये किन शर्तों पर आयेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री वि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां, तिरुचिरापल्ली में वर्कशाप और छात्रावास की सुविधाओं के साथ एक शिल्प प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू तथा काश्मीर में कागज का कारखाना

†*६५८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने कागज के निर्माण के लिये दो कारखानों—एक जम्मू में तथा दूसरा काश्मीर घाटी में—की स्थापना के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). रूसी विशेषज्ञों ने एक प्रारंभिक प्रतिवेदन दिया है जिस में जम्मू में ५०,००० टन वार्षिक क्षमता वाले कागज के कारखाने तथा काश्मीर घाटी में ३,००० टन वार्षिक क्षमता वाले लुगदी के संयंत्र के लिये मर्यादित कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में लिखा है ।

तथापि विशेषज्ञों ने बताया है कि यूनिटों की स्थापना पर अन्तिम निर्णय लिये जाने से पहले लकड़ी की उपलब्धता के विस्तृत अध्ययन, लगुड़-निर्माण के यंत्रीकरण, नदी के रास्ते यातायात, लकड़ी की प्रवृद्धि की समस्याओं इत्यादि के सम्बन्ध में अग्रेतर जांच-पड़ताल की आवश्यकता होगी । प्रारंभिक जांच-पड़ताल का काम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० को सौंप देने का प्रस्ताव है ।

मोटरगाड़ी उद्योग को प्रतिरक्षा सम्बन्धी क्रयादेश[1]

†१२८९. श्री हिम्मतसिंहका : क्या आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने मोटर गाड़ी उद्योग को क्रयादेश दिए थे; और

(ख) क्या उन क्रयादेशों में उल्लिखित चीजें अभी तक कारखानों से उठाई जानी हैं ?

†आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां । संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय ने प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से क्रयादेश दिये हैं ।

(ख) नहीं, कारखानों से गाड़ियों के ले लिये जाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Defence orders on Automobile Industry.

समवाय विधि प्रशासन

†१२९०. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय विधि प्रशासन विभाग ने अपने कर्मचारीवृन्द के लिये विधि तथा लेखा तैयार करने सम्बन्धी सिद्धान्तों और प्रशासी प्रक्रिया में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अधीन कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) विभाग के क्षेत्र कार्यालयों के २१४ उच्च श्रेणी क्लर्क और टेक्निकल असिस्टेंट यह प्रशिक्षण पा चुके हैं ।

सिलाई की मशीनें

†१२९१. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई, आयात और निर्यात की गई सिलाई की मशीनों की संख्या क्या है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये प्राक्कलित आंकड़े क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित जानकारी योजना आयोग द्वारा प्रकाशित १९५६–६१ और १९६१–६६ के वर्षों के लिये "औद्योगिक विकास के कार्यक्रम" में उपलब्ध है ।

टेबल फैन

†१२९२. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाये गये, आयात किये गये तथा निर्यात किये गये टेबल फैनों की संख्या क्या है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये प्राक्कलित आंकड़े क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क)

	पहली पंचवर्षीय योजना	दूसरी पंचवर्षीय योजना
उत्पादन (बड़े पैमाने के निर्माताओं द्वारा) . . .	२०८,०१४	९३१,०००
आयात . . .	१९५७ से पहले अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया	२,५४३ (जनवरी १९५७ से)
निर्यात . . .	तदेव	४८,०९६ (जनवरी १९५७ से)

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये प्राक्कलित आंकड़े :—

उत्पादन . . .	२५ लाख
आयात . .	कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है ।
निर्यात . .	१,५०,०००

उड़ीसा को लोहे और इस्पात का संभरण

†१२९३. **श्री उलाका** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ के लिये उड़ीसा की लोहे और इस्पात की कुल आवश्यकता कितनी है ; और

(ख) उसी अवधि में अब तक उड़ीसा को संभरण किये गये लोहे और इस्पात की वास्तविक मात्रा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). मांग के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि छूट दी गई श्रेणियों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। ऐसे आंकड़े केवल उन्हीं श्रेणियों के बारे में उपलब्ध हैं जिनके लिये अभ्यंशों का अभी तक आवंटन किया जाता है । इस आधार पर १९६२–६३ के लिये इस्पात और कच्चे लोहे की मांग, आवंटन और प्रेषण का ब्योरा निम्नलिखित है :—

(१) इस्पात की प्रतिबन्धित श्रेणियां	(मीटरिक टनों में)	
मांग/आवश्यकता . . .	२२,६६३ (१४ जी से पतली बी० पी० चादरें; जी० पी० और जी० सी० चादरें)	
आवंटन	२,१६८ (केवल बी० पी० चादरें) (पिछली अवशिष्टियों के ही भारी होने के कारण इस अवधि में जी० सी०/जी० पी० चादरों का कोई आवंटन नहीं किया गया था)	
प्रेषण . . .	८,८५१ (अप्रैल, १९६२—जनवरी १९६३) इसमें केन्द्र/राज्य अभ्यंशों के अधीन और राज्य में स्टाकिस्टों को भी चादर और अवशिष्ट क्रयादेशों के अनुसार सभी प्रकार की चादरों के प्रेषण सम्मिलित हैं ।)	
(२) इस्पात की प्रतिबन्धित और छूट दी गई श्रेणियों के कुल प्रेषण	४७,३०२	(अप्रैल १९६२ से जनवरी १९६३ तक और इस में चालू और अवशिष्ट क्रयादेशों के अनुसार प्रेषण सम्मिलित है ।)
(३) कच्चे लोहे के कुल प्रेषण	२७,६५२	

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास

†१२९४. **श्री उलाका** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में रेशमकीट पालन उद्योग के विकास के लिये उड़ीसा को अब तक दिये गये अनुदानों तथा ऋणों की राशि कितनी है ; और

(ख) १९६३–६४ में कितना रुपया देने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : स्वीकृति प्राप्त योजना कार्यक्रमों पर राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय के आधार पर उन्हें केन्द्रीय सहायता दी जाती है। क्योंकि १९६२–६३ के दौरान रेशमकीट पालन उद्योग के विकास के लिये किये गये किसी भी व्यय की सूचना उड़ीसा सरकार द्वारा नहीं दी गई है, अतः १९६२–६३ में उस राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

(ख) १९६३–६४ में १ लाख ८७ हजार रुपया देने का विचार है ।

आयात में कमी

१२९५. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस देने की वर्तमान छः महीनों की अवधि में आयात में कटौती के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या इस कटौती के कारण उत्पादन में कमी आयी है और यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). चालू लाइसेंस अवधि में आयातों में हुई कटौती का क्या प्रभाव पड़ेगा यह अभी नहीं बताया जा सकता। विलासिता तथा अर्द्ध-विलासिता की वस्तुओं जैसे मोटर कारों, रेफ्रिजिरेटरों तथा एयर कन्डीशनरों आदि के निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे माल के आयात में काफी कटौती कर दी गयी है। दूसरी ओर अन्य उद्योगों के लिये इनकी कटौती कम की गयी है इस कटौती के बावजूद भी कुल औद्योगिक उत्पादन बढ़ते ही रहने की सम्भावना है। सीमेंट, इस्पात, अल्युमिनियम, कागज, चीनी, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों, जूट से बनी वस्तुओं जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को बाहर से मंगाये जाने वाले कच्चे माल की बहुत थोड़ी या बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होती है अन्य उद्योग जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, टायर और ट्यूबों, भेषज एंव औषधी, टायर में इस्तेमाल होने वाले सूत, स्टेपल रेशे तथा नकली रेशम बनाने के उद्योगों के लिये उतने ही अथवा अधिक परिमाण में कच्चे माल की व्यवस्था कर दी गयी है। इस प्रकार जहां कम प्राथमिकता वाले उद्योगों के उत्पादन में कुछ कमी हो सकती है वहां कुल औद्योगिक उत्पादन में लगातार वृद्धि होती जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तार (केबल) निर्माण करने का संयंत्र

†१२९६. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपनारायणपुर, बर्दवान, पश्चिम बंगाल में तार (केबल) निर्माण करने वाले संयंत्रों को निर्माण करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर पूरा पूरा विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या यह परियोजना तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में प्रारम्भ कर दी जायगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विद्युत्-स्फोटक[1]

†१२९७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब कौन कौन से अभिकरण विदेशों से विद्युत् स्फोटकों का आयात कर रहे हैं ;

(ख) यह अभिकरण कब से आयात कर रहे हैं ;

(ग) क्या गत वर्षों में अभिकरणों का कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). विद्युत्-स्फोटकों का आयात चार फर्में राज्य व्यापार निगम के द्वारा ऐसे क्षेत्रों से कर रही हैं जहां कि रुपयों में भुगतान किया जाता है और एक फर्म सीधी इंगलैंड से आयात कर रही है। ऐसे क्षेत्रों से जहां कि रुपयों म भगतान किया जाता है आयात केवल १९६१–६२ के पश्चात् ही किया गया है। स्टर्लिंग विदेशी मुद्रा को कमी के कारण, ऐसे क्षेत्रों से आयात करने के लिये जहां कि रुपयों में भुगतान किया जाता है आयात करने के लाइसेंस ऐसी संस्थाओं को दिये जा रहे हैं जो कि उन क्षेत्रों से विद्युत् स्फोटकों की स्वीकृत किस्म के आयात के लिये व्यवस्था करने के योग्य हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Electric Detonators.

विदेशी सहयोग

†१२९८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में विदेशी सहयोग में कोई कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां। १९६१, १९६२ तथा १ जनवरी से १५ मार्च, १९६३ तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रविधिक तथा वित्तीय सहयोगों के प्रस्तावों की संख्या क्रमशः ४०२, २९९ तथा ६० थी।

(ख) अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या में हाल ही में जो कमी हुई है वह मुख्य रूप से इस कारण है कि हम इस समय उन क्षेत्रों में जिनमें कि भारत में ही प्रविधिक ज्ञान उपलब्ध है विदेशी प्रविधिक सहयोग को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं और उन द्योगों में भी जो कि वर्तमान संदर्भ में पर्याप्त महत्व के नहीं हैं विदेशी प्रविधिक सहयोग को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं यह और भी कि, विदेशी मुद्रा को वर्तमान कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये यह नीति अपना ली गई है कि फर्म द्वारा परियोजना के लिये अपेक्षित संयंत्र तथा मशीन के आयात के लिये निश्चित व्यवस्था किये जाने और भारत सरकार द्वारा उन की पूंजी वस्तुओं के प्रार्थनापत्र पर विचार तथा अनुमोदन किये जाने के पश्चात ही विदेशी सहयोग के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है।

ऋण करार का पुनरीक्षण

†१२९९. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रांची में सरकारी क्षेत्र की हैवी इंजीनियरिंग और हैवी मशीनरी की चार बड़ी बड़ी परियोजनाओं तथा दक्षिण में हैवी बायलर प्लांट के संबंध में, जो कि भारत में चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किये जाने हैं, २३ करोड़ १० लाख रुपये के ऋण करार को पुनरीक्षित करने के लिये चैकोस्लोवाकिया सरकार से प्रार्थना कर रही है ; और

(ख) इस पुनरीक्षण को कराने के क्या कारण हैं और चैकोस्लोवाकिया की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, हां।

(ख) फाउन्डरी फोर्ज, हाई प्रैशर बायलर, हैवी पावर इक्विपमेंट तथा हैवी मशीन टूल्स प्लांट्स के तृतीय प्रक्रम के संबंध में मैसर्स टैकनोएक्सपोर्ट, प्रेग द्वारा किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की जांच करने से यह पता लगा कि इन संयंत्रों के प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदनों में दिये गये प्राक्कलन की तुलना में इनके पूंजी परिव्यय के अनुमानों में वृद्धि हो गई है। चैकोस्लोवाकिया से मशीन और उपकरण आदि आयात करने के लिये इन कारखानों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें २३ करोड़ १० लाख रुपये की ऋण की राशि से बहुत अधिक बढ़ गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये, भारी उद्योग विभाग के अपर सूचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने इन मामलों पर चैकोस्लोवाकिया सरकार के साथ प्रेग में १५ फरवरी और ५ मार्च, १९६३ के बीच चर्चा की थी ।

चैकोस्लोवाकिया सरकार इस मामले में हमारे सुझावों पर विचार करने के लिये सहमत हो गई है ।

लौह अयस्क का निर्यात

†१३००. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में (अब तक) मद्रास, कड्डालोर, विजाग, काड़वार, बेलीकेर, पाड़ी, होन्नावर, मंगलोर तथा बम्बई पत्तनों से निर्यात किये गये बेल्लारी हौसपेट प्रदेश के लौह अयस्क की कुल मात्रा कितनी है ;

(ख) खान के मुहाने से इन पत्तनों तक सड़क तथा रेल द्वारा कितनी दूरी है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक पत्तन पर पत्तन के आधार पर माल भेजने वालों को क्या दर दी जाती है ; और

(घ) पश्चिम तटीय पत्तनों से जो कि खानों के इतने निकट हैं अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) लौह अयस्क के निर्यात के क्षेत्रवार, आंकड़े नहीं रखे जाते हैं परन्तु एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न पत्तनों को रेल द्वारा भेजे गये बेल्लारीहोस्पेट अयस्क की मात्रा दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये** संख्या एल० टी० १०४७/६३]

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखये** संख्या एल० टी० १०४७/६३]

(ग) यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

(घ) जिस सीमा तक माल लाने ले जाने की तथा पत्तन की क्षमता उपलब्ध है उस सीमा तक पश्चिमी तट के पत्तनों द्वारा लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है । इस वर्ष हौस्पेट-हुबली रेलवे लाइन पर चल रहे विकास कार्यों के पूरा हो जाने के पश्चात् जिससे कि माल लाने ले जाने की क्षमता ५ लाख टन से बढ़ कर १० लाख टन हो जायेगी, निर्यातों में भारी वृद्धि होने की संभावना है ।

तम्बाकू पदार्थों का विक्रय

†१३०१. { **श्री गो० महन्ती** :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेश निर्मित तथा आयात किये गये तम्बाखू पदार्थों की राज्य-वार मात्रा कितनी है जो कि १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में भारत में विक्रय की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : प्रत्येक राज्य में बेचे गये स्वदेश-निर्मित तम्बाखू पदार्थों के आंकड़े नहीं रखे जाते । तदपि, एक विवरण (संख्या १) संलग्न है जिसमें १९६१–६२ तथा १९६२–६३ के दौरान स्वदेश में उपभोग के लिये रखे गये कच्चे तम्बाखू की राज्यवार मात्रा दिखाई गई है । १९६१–६२ तथा १९६२–६३ म तम्बाखू वाली वस्तुओं के व्यापारिक आयात की अनुमति नहीं दी गई है । निजी सामान नियम अथवा राजनयिक विशेषाधिकार के अन्तर्गत कुछ मात्रा में तम्बाखू वाली वस्तुओं का आयात किया गया था । एक विवरण (संख्या २) संलग्न है जिसमें १९६१–६२ तथा १९६२–६३ के दौरान किये गये वास्तविक आयात दिखाये गये हैं :

विवरण (संख्या १)

मात्रा हजार किलोग्रामों में

राज्य का नाम	१९६१–६२	१९६२–६३ (सितम्बर १९६२ तक)
१. उत्तर प्रदेश	४१,६६२	२०,८०६
२. मध्य प्रदेश	१६,७७१	८,२९६
३. पश्चिम बंगाल	२७,०६२	१२,०४७
४. उड़ीसा	४,८२०	२,५४३
५. बिहार	२१,७२१	१०,९२४
६. पंजाब	५,३०२	२,२७९
७. गुजरात	३९,७०१	२३,०८३
८. महाराष्ट्र	३५,५५०	१८,०१८
९. मद्रास	३०,२३२	१४,४२२
१०. आंध्र प्रदेश . . .	५०,७०१	२५,५२५
११. आसाम . .	१,४३१	८०८
१२. मैसूर	१७,२३२	८,८७६
१३. राजस्थान	४,०६०	२,००२
१४. जम्मू तथा काश्मीर . . .	३४५	६६
१५. केरल . . .	१०,३५४	५,१८९
१६. दिल्ली	९६६	५३५
१७. त्रिपुरा	१४१	९५
योग . . .	३,०८,०५१	१,५५,५१४

†मूल अंग्रेजी में

विवरण (संख्या २)

मात्रा टनों में
मूल्य हजार रुपयों में

वस्तुयें	१९६१–६२		१९६२–६३ (दिसम्बर १९६२ तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
१. सिगार तथा चिरुट . .	नगण्य	३	—	नगण्य
२. सिगरेटें . . .	१६	२९८	७	१४४
३. मानव उपभोग (पीने, चबाने, सूंघने) के लिये निर्मित तम्बाखू .	१०१	१०१५	०२	१९
योग . .	११७	१३१६	९	१६३

ऊन कातने का चरखा

†१३०२. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊन कातने के सुधरी हुई किस्म के चरखे के विकास के संबंध में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने क्या प्रगति की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : यद्यपि खादी तथा ग्रामोद्योग ने हाल ही में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊन उद्योग के संगठन तथा विकास के लिये एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, इसका किसी भी समय ऊन कातने के लिये सुधरी हुई किस्म के चरखे का विकास करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं था। अतएव, सुधरी हुई किस्म के चरखे के विकास के संबंध में की गई प्रगति का प्रश्न नही हीं उठता । तदपि, दस्तकारों की उत्पादिता तथा उनकी अच्छी आमदनी करने की क्षमता को बढ़ाने के लिये सुधरे हुये उपकरण तथा औजारों को निकालने के संबंध में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गम्भीर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मोटर गाड़ियों का निर्माण

†१३०३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में विभिन्न मोटरगाड़ी निर्माण कर्त्ताओं द्वारा निर्माण की गई कारों, जीपों तथा ट्रकों की संख्या कितनी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: अप्रैल, १९६२ से लेकर फरवरी १९६३ तक की अवधि में देश में मोटरगाड़ी निर्माणकर्त्ताओं द्वारा बनाई गई कारों, जीपों तथा व्यापारिक गाड़ियों (ट्रकों तथा जीपों) की संख्या निम्नलिखित थी :—

	संख्या
कारें	१९,४५५
जीपें	६,८२१
व्यापारिक गाड़ियां	२३,८२३

उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†१३०४. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की होगी ; और

(ग) वह कब क्रियान्वित की जावे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एयर गन तथा राइफलें

†१३०५. **श्री ग्र० ना० विद्यालंकार :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी निर्माणकर्त्ताओं तथा पंजाब सरकार से भी एयरगन्स तथा राइफलों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा लाइसेंस दिये जाने के संबंध में प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एयर गन्स तथा राइफलों का निर्माण करने के हेतु किसी नये उपक्रम की स्थापना करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस दिये जाने के संबंध में किसी भी गैर-सरकारी संस्था से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। एयर राइफलें तथा गोलियों का निर्माण करने के हेतु सरकारी क्षेत्र में एक नये उपक्रम की स्थापना करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस के संबंध में पंजाब सरकार से एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ और वह विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे माल का मिलना

१३०६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्रीमती सत्यभामा देवी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा प्रयत्नों से संबधित लघु उद्योगों को भी कच्चा माल मिलने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में हुई लघु उद्योग बोर्ड की बैठक में इस संबंध में विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) कच्चे माल के संभरण में उन लघु उद्योगों को अधिमान देने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है जो प्रतिरक्षा आर्डरों के अनुसार सामान तैयार करते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) बोर्ड का मत यह था कि प्रतिरक्षा आर्डरों पर माल तैयार करने वाले लघु उद्योगों को पर्याप्त परिमाण में कच्चा माल दिलाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश में ऊन उद्योग

१३०७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊन उद्योग को विकसित करने के लिये अब तक भारत सरकार ने किस प्रकार की व कहां तक सहायता दी है ;

(ख) उस सहायता का वहां की राज्य सरकार ने किस प्रकार से उपयोग किया है ;

(ग) उस सहायता के कारण उस राज्य में ऊन उद्योग का कहां तक विकास हुआ है ; और

(घ) भविष्य के लिये किस प्रकार की योजनायें स्वीकार की गयी हैं अथवा प्रस्तावित है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है वह यथा समय सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

सीमेंट फैक्टरी, कांगड़ा

१३०८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २३ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कांगड़ा जिले (पंजाब) में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है और उसके कब तक पूरी तरह पर स्थापित हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : कांगड़े में समलोटी के स्थान पर सीमेंट का कारखाना लगाने के बारे में पंजाब सरकार का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया है और उनसे कहा गया है कि वे सम्बद्ध पार्टी को अगली आवश्यक कार्यवाई करने के लिए कहें। अभी यह कहना कठिन है कि यह काम कब तक पूरा हो सकेगा।

इस्पात स्क्रैप नं० १

†१३०९. **श्री कजरोलकर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में देश में कितना इस्पात स्क्रैप नं० १ उपलब्ध था; और

(ख) उसी अवधि में देश में उसका वास्तविक उपभोग कितना था?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख) नं० १ शीट कटिंग स्क्रैप की वास्तविक उपलब्धि तथा देश के आन्तरिक उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

खोपरा का आयात

†१३१०. **श्री अ० व० राघवन् :**
श्री पोट्टेकट्ट :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोपरा के आयात के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं को लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) क्या इस समय निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये केवल अन्य खाद्य तेलों के निर्यातकर्ताओं द्वारा ही आयात किये जाते हैं;

(ग) क्या इस नीति से केरल के वास्तविक खापरा उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या खोपरा के आयात पर अतिरिक्त उपकर लगाकर इस नीति को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) भावी आयात नीति के सम्बन्ध में पहले ही से कुछ नहीं बताया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†१३११. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में अब तक सरकार ने कुल कितनी पूंजी लगाई है; और

(ख) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में अब तक सरकार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) ७,२४१,००३,००० रुपये।

(ख) निश्चित प्रभारों का उपबन्ध करने के पश्चात जिसमें अवक्षयण तथा ब्याज भी सम्मिलित हैं, कम्पनी को गत वर्षों में हानि हुई है। १९६२–६३ के लिये भी यही स्थिति रहने की आशा है क्योंकि संयंत्र केवल अब ही पूर्ण उत्पादन प्रारम्भ करेंगे।

जूट तथा सूती वस्त्र उद्योगों को ऋण

†१३१२. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा जूट तथा सूती वस्त्र उद्योगों को (क्षेत्रवार) दिये गये ऋणों की धन राशि कितनी है; और

(ख) अभी तक लम्बित प्रार्थनापत्रों की संख्या कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०४८/६३]**

औद्योगिक विस्तार केन्द्र

†१३१३. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में स्थापित लघु उद्योग सेवा संस्था के औद्योगिक विस्तार केन्द्रों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सिल्चर में कचार जिले के लिए भी ऐसे केन्द्र का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र स्थापित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) आसाम में इस समय तीन विस्तार केन्द्र हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(१) सामान्य इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विस्तार केन्द्र, तिनसुखिया।

(२) सामान्य इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विस्तार केन्द्र, जोरहाट।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) सामान्य इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विस्तार केन्द्र, तेजपुर

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपयुक्त किराये का मकान न मिलने के कारण।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की समिति

†**१३१४. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में ही व्यापार तथा वस्तु विशेषज्ञों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र व्यापार का विकास सम्मेलन की आरम्भिक समिति को स्थाई संस्था बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकार किया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जापान से अमोनियम सल्फेट का आयात

†**१३१५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान अमोनियम सल्फेट निर्यात निगम से भारत में अमोनियम सल्फेट का आयात करने के लिए करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का आयात होगा तथा किन शर्तों पर ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) जी नहीं।

आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड

१३१६. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड ने सन् १९६२–६३ में २८ व्यक्तियों को उनके आविष्कार के लिये पुरस्कार देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन इंजीनियरों में सरकारी कर्मचारी तथा गैर-सरकारी लोग भी हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने सरकारी कर्मचारी व कितने गैर सरकारी लोग हैं; और

(घ) पहला इनाम कितने का और किसको दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :(क) जी हां।

(ख) पुरस्कार पाने वालों में सरकारी कर्मचारी तथा गैर सरकारी व्यक्ति भी शामिल हैं। जिन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है उनमें से सभी के पास न तो इंजीनियरिंग की योग्यता है और न वे इंजीनियर ही हैं।

(ग) इनमें सात सरकारी कर्मचारी तथा २१ गैर सरकारी लोग हैं।

(घ) श्री एस० आर० धाल—५,००० रु०।

प्लास्टिक और रासायनिक द्रव्य

१३१७. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को प्लास्टिक और रासायनिक द्रव्यों के उत्पादन के लिये कुछ विदेशी सहायता मिलने वाली है;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किस-किस देश से मिलेगी और किस शर्त पर; और

(ग) यह कारखाना कहां और कब खाला जायेगा और उसमें क्या लागत लगेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). प्लास्टिक तथा अन्य रासायनिक उत्पादन तैयार करने की बहुत सी प्रायोजनाओं के उपकरणों का आयात करने के लिये धन की व्यवस्था विभिन्न सहायता सम्बन्धी उपक्रमों में से की जाती है। अमरीका, जापान, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य मित्र देश विभिन्न ऋणों के रूप में सहायता दे रहे हैं। यह सहायता एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच हुई बातचीत के आधार पर प्राप्त की जाती है। इसके अलावा कुछ सम्बद्ध पार्टियां अपने विदेशी सहयोगियों से ऋण लेकर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी कर रही हैं। ये ऋण सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों पर लिये जाते हैं।

मद्रास में नमक के कारखाने

†**१३१८. श्री इलयापेरूमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से मद्रास राज्य में कितने नये नमक के कारखाने खोले गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : १९६० से नमक के दो कारखाने खोले गये थे। वे इस प्रकार हैं :

(१) १७९८.४६ एकड़ों के असभुगनेरी क्षेत्र में धांगधर कैमिकल्स वर्क्स लिमिटेड;

(२) २८ एकड़ के क्षेत्र में देवनाम पटनम नमक कारखाना।

अन्य दो कारखानों को भी हाल में ही लाइसेंस दिया गया था परन्तु उनमें उत्पादन अभी नहीं हुआ है।

जिला दक्षिण अर्काट (मद्रास) में कताई कारखाना

†**१३१९. श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

---

†मूल अंग्रेजी में

कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को मद्रास राज्य के दक्षिण अर्काट जिले में एक कताई कारखाना (स्पिनिंग मिल) खोलने के बारे में उस जिले से एक प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर १९६२ में एक लाइसेंस जारी किया गया था।

रुई का उत्पादन

†१३२०. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ में कपास का कितना उत्पादन होने की आशा है; और

(ख) १९६२ में कितनी कपास का उत्पादन हुआ था तथा इसमें से कितनी का विदेशों को निर्यात किया गया था तथा कितनी विदेशी कपास का आयात किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १९६२–६३ वर्ष में (सितम्बर, १९६२–अगस्त, १९६३) कपास का उत्पादन का सरकारी अनुमान क्या है, इसकी अभी जानकारी नहीं है। व्यापार अनुमान के अनुसार उत्पादन लगभग ५४ लाख गांठों का उत्पादन होने की आशा है।

(ख)

	उत्पादन	निर्यात	आयात
	(गांठें लाखों में)		
१९६१–६२ (कपास वर्ष) . .	४५.४०	३.२०	७.१९

रूरकेला उर्वरक संयंत्र

†१३२१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसके अनुसूची के अनुसार अप्रैल में पूरे हो जाने की आशा है; और

(ग) सन्यन्त्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) और (ख). सन्यन्त्र के चारों भाग पूरे हो चुके हैं।

(ख) १९६३ फरवरी में उत्पादन ९,९५६ टन था।

गन्धक के तेजाब के संयंत्र

†१३२२. **श्री बी० चं० शर्मा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी तथा दुर्गापुर के नाइट्रोजन उर्वरक कारखानों के निकट के पाइराइट वाले

---

†मूल अंग्रेजी में

गन्धक के तेजाब के सन्यन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सिंदरी में सिंदरी उर्वरक कारखाने, बिहार सुपर फास्फेट कारखाने तथा क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं के लिए ४०० टन का गन्धक का तेजाब बनाने का कारखाना स्थापित करने का विचार है।

दुर्गापुर के सन्यन्त्र के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तब तक के लिए निलम्बित कर दिया गया था जब तक आयोजित उर्वरक कारखाना दुर्गापुर का उत्पादन ढांचे के बारे में अन्तिम निर्णय न हो जाये तथा इसका पक्का आश्वासन न मिल जाये कि दुर्गापुर में इसकी स्थापना से पाइराइट वाले गन्धक के तेजाब की पर्याप्त खपत होगी।

गैर-सरकारी कार्य के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : गैर-सरकारी कार्य के बारे में मुझे यह कहना है कि यदि दूसरे संकल्प को पहले लिया जाय तो यह प्रधान मन्त्री के लिये अधिक सुविधाजनक होगा—श्री हेम बरुआ का संकलप। फिर मैं इसे ४.३० पर लूंगा। पहले उस संकल्प को लिया जायगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र, श्री हाथी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक काम अभी खत्म हुआ है, दूसरा शुरू नहीं हुआ। इसलिए इस वक्त व्यवस्था का कोई सवाल नहीं उठ सकता।

श्री बागड़ी : मेरा सवाल झुग्गी झोंपड़ियों के बारे में है। उनको रोजाना गिराया जा रहा है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे बार बार कहा कि अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप जरा मेरे पास आने की तकलीफ किया करें और मुझे बतलाएं, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो करूंगा। इस तरह यहां खड़ा हो जाना तो उचित नहीं है। मुझे बार बार वही अल्फाज आप से कहने पड़ते हैं।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक मिनट में एक अर्ज सुन लें। अर्ज यह है कि आपने कहा कि वहां आकर बताइए लेकिन हमें पता तो लगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। हमको रिटिन जवाब मिलना चाहिए। आपका एक आदमी आता है और कह जाता है कि अण्डर कंसीडरेशन है। जो कालिंग अटेंशन नोटिस होता है उसका हमको लिखित जवाब मिलना चाहिए। यह कितना अहम सवाल है। हजारों आदमियों के घर गिराए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। अब आप इस बारे में स्पीच नहीं कर सकते। जब मेरे पास १५ नोटिस होते हैं और ११ बजने में दस या पांच मिनट बाकी रहते हैं। उस वक्त मैं सब को तहरीरी उत्तर नहीं दे सकता। इस बारे में मैंने अपनी असमर्थता आपको बतलायी थी। जो आपको जवानी खबर भेजी जाती है उस पर ऐतबार करना चाहिए। और फिर भी आपको कोई शिकायत हो तो मेरे पास आइए, मैं आपसे बात करके उस कालिंग अटेंशन नोटिस को निकाल सकता हूं और देख सकता हूं और जो हो सकता है उसको करने के लिए बेशक तैयार हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : मैंने तो कल नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब मिल गया कि ज़रे गौर है। अब आपको इन्तजार करना च हिए। जिस वक्त हो जाएगा आपको इत्तिला दी जाएगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ऐसे मामलों का एक विवरण जिन में न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये

†**वार्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : मैं ऐसे मामलों का एक विवरण जिनमें इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इण्डिया सप्लाई मिशन वाशिंटन द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त होने वाली छमाही में न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०४५/६३]**

परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९६२ की धारा ९० की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २१ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८७४ में प्रकाशित परिसीमन आयोग के आदेश संख्या १ की एक प्रति जिसमें विभिन्न राज्यों को लोक-सभा में दिये जाने वाले स्थानों की संख्या निर्धारित की गई है, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १०४६/६३]**

प्राक्कलन समिति

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं खान और ईंधन मंत्रालय—इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड बम्बई के बारे में प्राक्कलन समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर में शुद्धि

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : १५ मार्च, १९६३ को, तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ पर, श्री स० चं० सामन्त द्वारा उठाये गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं ने कहा था कि अब तक गारंटी की याचना करने सम्बन्धी कोई मामला नहीं आया है। मुझे खेद है कि यह स्थिति ठीक नहीं है। वास्तव में, ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत अवहेलना सम्बन्धी ५ मामले आये थे जिन के परिणामस्वरूप २५,८०७.९७ रुपयों के दावों की अदायगी हुई। इसलिये, पहले दिये गये उत्तर के स्थान पर अब यह उत्तर है : "अब तक ऋण गारंटी की याचना करने सम्बन्धी कोई बड़ा मामला नहीं आया है। छोटी-मोटी अवहेलनाओं के पश्चात् ५ मामलों में इसे याचना करनी पड़ी। ५७,००० रुपयों के लिये जिन ५ मामलों में गारंटीज़ को ३१ जनवरी, १९६३ को याचना की गई, उन के लिये गारंटी संगठन ने २५,८०७.९७ रुपये की राशि के दावों की अदायगी कर दी थी।"

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं १ अप्रैल, १९६३ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार होगा :—

आज के आदेश पत्र से आगे ले जाये गये कार्य की किसी मद पर विचार

निम्नलिखित मंत्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार और मतदान :—

निर्माण, आवास और पुनर्वास
विधि
सामुदायिक विकास तथा सहकार
प्रतिरक्षा, और
वाणिज्य तथा उद्योग ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : चालू सत्र ३ मई को समाप्त हो रहा है । सरकार के लिये सभा में बहुत से विधेयक हैं, जिन में से कुछ गत सत्र से लम्बित हैं और कुछ इसी सत्र के हैं । मैं समझता हूं कि सत्र के शेष दिनों में यह सब कार्य नहीं निबटाया जा सकता । यह बहुत शोचनीय अवस्था है कि संसद् की आयु १० वर्ष की हो गई है फिर भी सरकार समय के अनुसार कार्य का प्रबन्ध नहीं कर पाती । मैं चाहता हूं कि अगले शुक्रवार मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें, जिस में यह बतायें कि किस किस कार्य को इस सत्र में लिया जा रहा है और यह सत्र कब समाप्त हो रहा है ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वित्त विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का विचार रखती है, जैसे कि पहले किया जाता रहा है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैं चाहती हूं कि आप श्री कामत से अनुरोध करें कि वह कार्यमंत्रणा समिति से अपने त्यागपत्र को वापिस ले लें । वह वहीं पर अपना प्रश्न उठा सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा अनुभव वहां का ठीक नहीं है । मैं इस बात के औचित्य में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे स्थान पर आप के पास पहले ही एक व्यक्ति है । मुझे खुशी है कि आप ने ऐसा किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : निस्संदेह, मुझे यह शंका हुई थी कि यदि श्री कामत वहां नहीं होंगे तो यह कठिनाई उत्पन्न होगी । मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती से पूर्णतः सहमत हूं कि बजाय इस के कि श्री कामत हर बार ऐसे प्रश्न सभा में उठायें उन्हें वहीं होना चाहिए था । मैं इस बारे में लाचार हूं । मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को यकीन दिलाता हूं कि मैं श्री कामत से अनुरोध अवश्य करता परन्तु ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था । ज्योंही एक सदस्य अपना त्यागपत्र दे देते हैं . . . .

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : वह एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किये जा सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पूर्ण रूप से भिन्न विषय है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं समझता हूं श्री कामत पिछली कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य भी थे। अब वह इस समिति के सदस्य हैं अथवा नहीं इस से उनके दृष्टिकोण में अन्तर नहीं पड़ता। वह उसी प्रकार योग देंगे . . . .

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे उठाये हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। श्री राम सहाय पाण्डेय।

†**श्री रंगा** : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद्-कार्य मंत्री ने सब सुझावों को सुन लिया है और वह बाद में उनका उत्तर देंगे।

अनुदानो की माँगें—जारी

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी। श्री राम सहाय पाण्डेय।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं होम मिनिस्ट्री की मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा था। हमारे होम मिनिस्टर श्री शास्त्री जी ने जिस कुशल प्रशासन से देश में शान्ति, सुरक्षा और कानून की व्यवस्था बनाये रखी है उस के लिए मैं उन को हृदय से बधाई देता हूं।

श्रीमन्, कल जिन सदस्यों के भाषण हुए उन में मैं श्री वासुदेवन जी के भाषण का सारांश आप सामने प्रस्तुत करते हुए अपने विचार प्रकट करूंगा। उन्होंने गृह मंत्रालय पर यह चार्ज लगाया था :

> "सत्तारूढ़ दल को आपातकाल का प्रयोग देश में समाजवादी दल पर आघात करने में किया है। इस से प्रगतिशील शक्तियां दुर्बल हो गई हैं और देश के प्रतिक्रियात्मक तत्वों को बल मिला है। उन्होंने मजदूरों के नेताओं को जेल में बन्द कर के प्रतिरक्षा प्रयत्नों में बाधा उत्पन्न की है।"

श्रीमन्, उन के इस चार्ज को मैं समझ नहीं सका। जब हमारे ऊपर देश की रक्षा का दायित्व है और तमाम साधनों का समन्वय करते हुए जब हम चीन के आक्रमण का मुकाबला कर रहे हैं तो हम कैसे अपने सुरक्षा साधनों के विरुद्ध कोई कार्य कर सकते हैं। चूंकि कम्युनिस्ट लोग जेल में बन्द कर दिये गये इसलिए हम पर चार्ज लगाया गया। अब श्रीमन्, यह तो इस तरह की बात हुई जैसे कि उलटा चोर कोतवाल को डांटे। यह बात क्या हुई ? आखिर गृह मंत्रालय के पास इन कम्युनिस्ट सदस्यों को जेल में बन्द करने के लिए पर्याप्त कारण तो रहे होंगे ही। इन के यहां दो ग्रुप्स हैं, एक चीनवादी है तो दूसरा रूसवादी है। डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्स के पास होने के बाद उन्होंने वह प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास होने के बाद जब हम को पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी में एक ऐसा ग्रुप है जोकि चीन के साथ है और देश की सुरक्षा के लिए ख़तरनाक सिद्ध हो सकते हैं इसलिए ऐसे लोगों को जेल में बन्द किया गया। जिन को यहां प्रोग्रैसिव कहते हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमन्, देखा यह गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से लीडर्स ने यह कहा कि अगर उन को डिफेंस कमेटीज़ और दूसरी कमेटियां जो बनती हैं, उन में अगर उन को सही सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया जायगा तो वह साथ नहीं देंगे और बग़ावत करेंगे । जब इस तरह की बात हो रही हो तो कोई कारण नहीं कि हम उन पर संदेह न करें । जब हमारे देश पर संकट की स्थिति पैदा हो, उनके यहां कंफिलिक्ट हो और झगड़ा इस बात को लेकर हो कि कौन चीन के साथ है और कौन रूस के साथ है, वह लोग जोकि चीन के साथ हों और जिन से भारत की सुरक्षा को आंच पहुंचने का ख़तरा हो, यदि गृह मंत्रालय ने ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध ऐक्शन लिया तो मैं तो उस का समर्थन ही करता हूं । \

श्रीमन्, विगत २८ फ़रवरी को इस सदन में बजट उपस्थित किया गया । वह बजट एक ऐसे अवसर पर उपस्थित किया गया जब कि राष्ट्रीय संकट देश के सामने मौजूद था । वह बजट देशवासियों को आज की संकटकालीन घड़ी में अपनी कमर कसने, और राष्ट्र की सुरक्षा के हेतु कुर्बानियां करने का आवाहन करता था । उस में देशवासियों से यह अपील की गई कि आज के नाजुक मौक़े में देशवासियों को अधिक कर भार उठाना चाहिए और सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिएं । उस में यह बतलाया गया कि आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि सुरक्षा की पूरी तरह से तैयारी करने के लिए सरकार के पास अधिक से अधिक रुपया आये । जैसा कि स्वाभाविक ही था एक बड़ा असाधारण बजट हमारे सामने आया । देश भर के नेताओं ने अपनी अपनी राय दी । लेकिन एक राय कम्युनिस्ट पार्टी दल के नेता श्री ए० के० गोपालन ने भी दी जिस को कि मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । उस में खुले आम बग़ावत की बात कही गई । रिवोल्ट की बात कही गई । ऐसे मौक़े पर जब हमें पैसे की ज़रूरत थी और जनता को टैक्सों का अधिक बोझा बर्दाश्त कर सरकार के हाथ मज़बूत करने आवश्यक थे यह संतोष का विषय है कि सारे देश ने प्रधान मंत्री की उस अपील का स्वागत किया, लेकिन, श्री ए० के० गोपालन, मुझे मालूम नहीं किस ग्रुप के हैं, चीनी ग्रुप को विलौंग करते हैं या रशियन ग्रुप को, लेकिन उन्होंने उस अवसर पर जो कहा वह मैं थोड़ा सा आप के सामने पढ़ देना चाहता हूं :—

> "आपात काल नाम पर सरकार ने समाज के निम्न-स्तर के लोगों पर भार डाल दिया है। इसका प्रभाव सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध एक संगठित क्रान्ति का सूत्रपात होगा ।"

मैं समझता हूं कि श्री गोपालन ने जो यह बात कही वह देश के लिए एक चुनौती है । जब देश संकट-कालीन स्थिति से गुज़र रहा हो, डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्स चल रहे हों, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गयी हो, जब हम देश को हर तरह से तैयार करना चाहते हैं और जब हम सुरक्षा प्रयत्नों को अधिक दृढ़ बनाने के लिए काफ़ी धन इक्ट्ठा करना चाहते हैं, तब एक तरफ बजट के कर प्रस्तावों को ले कर पूंजी-पति लोग रोते घूमते हैं और दूसरी तरफ कम्यूनिस्ट्स कहते हैं कि हम रिक्रेशनरीज़ हैं और यह है कि वे इस बजट के खिलाफ़ रिवोल्ट करेंगे, आर्गेनाइज्ड रिवोल्ट करेंगे । अब श्रीमन् "आगनाइज्ड रिवोल्टेड के लिए डिक्शनरी देखो कि कहीं आर्गेनाइज्ड रिवोल्ट का मतलब देशभक्ति भी हो । लेकिन उस में हम ने देखा बगावत, सरकार को उल्ट देने के लिए विद्रोह करना । इस प्रकार का अर्थ उस में दिया हुआ है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने किसी कैपटैलिस्ट कंट्री की बनाई हुई डिक्शनरी देखी होगी ?

श्री राम सहाय पाण्डेय : आक्सफोर्ड डिक्शनरी मैंने देखी है ।

में सदन का ध्यान एक और महत्वपूर्ण घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं । श्री करिप्पा चीफ़ आफ दी स्टाफ़ होते थे । आज वे हिन्दू महासभा के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ चारों ओर घूम रहे हैं । भूपाल में उन्होंने एक मीटिंग एड्रैस की । मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुना में वे पहुंचे । वहां उन का भाषण

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

हुआ । श्री देशपांडे जोकि हिन्दू महासभा के अध्यक्ष है उन्होंने और श्री करिप्पा दोनों ने मिल कर भाषण किया । हिन्दू महासभा के प्लेटफार्म से उन का भाषण हुआ । चुंकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं और यहां पर उपस्थित नहीं हैं इस लिए उन के भाषण को मैं यहां पर कोट नहीं करूंगा लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि उस भाषण की भावना ऐसी थी जिसे कि यह सदन कभी स्वीकार नहीं कर सकता है . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर): जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं और यहां उपस्थित नहीं हैं उनके सम्बन्ध मैं यहां कुछ कहना उचित नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय: मैं खुद उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था लेकिन उन्होंने कुछ पर्सनल बहुत हद तक नहीं कहा । उन्होंने सिर्फ भावना का जिक्र किया है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय: अब इस देश में हिन्दू महासाभा एक प्रतिक्रियावादी संस्था है । श्रीमन, मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश में हमको दो विचार धाराओं से ख़तरा है । एक विचार-धारा कम्युनिस्ट विचारधारा जो कि स्पष्ट नहीं है और दूसरी सम्प्रदायवादी विचारधारा है जिसका कि प्रतिनिधित्व हिन्दू महासभा करती है । अब आर्मी का रिटायर्ड चीफ़ आफ़ दी स्टाफ़ मुझे मालूम नहीं कि पेंशन उन्हें मिलती है या नहीं, शायद मिलती है इस तरह से हिन्दू महासभा के प्लैटफार्म से . . .

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य फिर उनकी बाबत ज्यादा जाने लगे ।

श्री राम सहायत पाण्डेय: अगर रिटायर्ड चीफ़ आफ़ दी स्टाफ़ इस तरह का रिऐक्शन सारे देश में पैदा करता है कि हमारी आर्मी तैयार नहीं थी या हम . . .

अध्यक्ष महोदय: अब इसके लिए तो माननीय सदस्य गवर्नमेंट से टेक अप करें । पेंशन में कौन से एसे रूल्स हैं जिनसे कि उन पर रोक लगाई जा सके ।

श्री राम सहाय पाण्डेय: मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए । अब एक रिटायर्ड चीफ़ आफ़ दी स्टाफ़ सारे देश में भ्रमण करे, रिऐक्शनरी फोर्सेज़ के साथ चले और देश के सामने ऐसे पोलिटिकल आइडियाज़ रक्खे तो उसका प्रभाव उलटा पड़ता है और बुरा पड़ता है . . .

अध्यक्ष महोदय: अब मैं फिर आपसे कहूंगा कि उनकी बाबत आप जिक्र न करें ।

श्री राम सहाय पाण्डेय: मैं आगे चल कर अपने प्रान्त की जो एक मुख्य समस्या है, डाकू समस्या, उस की ओर आप के द्वारा गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मेरा ध्यान किसी अपने प्रदेश की सदस्या की तरफ़ क्यों दिलाना चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य: सदस्या नहीं समस्या ।

(सदन में हंसी)

श्री राम सहाय पाण्डेय: श्रीमन, मैं ने समस्या कहा है सदस्या नहीं कहा ।

अध्यक्ष महोदय: मेरी ग़लती हुई । मैं यहां से उठ कर अभी डाक्टर के पास जाऊंगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मध्य प्रदेश में डाकू समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है । यह समस्या आज की नहीं वरन' काफ़ी पुरानी है और मध्य प्रदेश के पांच जिले ख़ासतौर से मुरेना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में डाकुओं का काफी आंतक छाया रहता है । बहुत पहले गृह मंत्रालय ने एक ऐसी योजना बनाई थी कि चम्बल रैवाइंस को डिवलेयर किया जाय, कल्टीवेबुल लेंड बनाया जाय जिससे कि चम्बल रैवाइंस को-डिवलेयर किया जाय, कल्टीवेबुल लेंड बनाया जाय जिससे कि चम्बल रैवाइंस में जो अनडिजायरेबुल एलिमेंट है, यह डाकू लोग जो वहां शरण लेते हैं, चम्बल रैवाइंस के डिक्लेयर हो जाने से उनकी आंतकवादी गतिविधियां बंद हो जायेंगी ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस डाकू समस्या को हल करने के लिए माननीय शास्त्री जी तीनों राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो कि इस से सम्बन्धित हैं, उन तीनों स्टेटों के साथ मिल कर इस प्रकार की कोई योजना बनायें, कोई ऐसा सख्त क़दम उठाया जाय, वहां की एकोनामिक कंडीशन को एकोनामिक पोटैंशियलटीज़ को इस तरह से डेवलप किया जाय ताकि वहां जो डाकुगों की गतिविधियां और आंतक है वह सूदा के लिए मिट जाय । वहां के लोगों के साथ मिल कर इस बात की कोशिश कीजाय कि यह जो डाकुओं की एक बड़ी और पुरानी समस्या है इस को कैसे दूर किया जाय । श्रीमान्, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया । में निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो हमारे क्षेत्र में कठिनाई है उसको दूर करने के लिए मंत्रालय यदि कोशिश करेगा और सक्रियं क़दम उठायेगा तो मैं बहुत कृतज्ञ हूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : श्रीमान्, यह एक महत्वपूर्ण वाद विवाद है । इन अनुदानों का सम्बन्ध बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे देश की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था समस्या आदि से है । मैं सब विषयों पर तो नहीं बोल सकती ; किन्तु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालूंगी । जिनका प्रभाव मेरे दल के अतिरिक्त समस्त देश पर भी होता है । अर्थात् किस प्रकार असाधारण परिस्थिति में एक स्तर से प्रदान की गई असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है । इसके पूर्व मैं केन्द्रीय सरकार के प्रशासन तंत्र के विषय में कुछ कहूंगी ।

पहली बात तो यह है कि लोवर डिवीजन और अपर डिविजन कलर्कों का विभाजन समाप्त कर दिया जाये और उचित वेतन के साथ एक ही प्रवर्ग रखा जाये ।

लोवर डिविजन कलर्क का कार्य फाइल करना और टाइप करना ही होता है । फिर भी इनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है । १ वर्ष पूर्व रोजगार दफ्तरों के माध्यम से लगभग ३०० कलर्कों की नियुक्ति की गई थी और उनकी आवश्यक परीक्षा भी ले ली गई थी । अब लोक सेवा आयोग के द्वारा चुने हुये लोग सेवा में लिये जा रहे हैं और रोजगार दफ्तरों से लिये गये व्यक्तियों को निकाला जा रहा है । मैं सरकार से अपील करती हूं कि इन लोगों को सेवा से नहीं हटाया जाये और जब तक पर्याप्त पदरिक्तियां न हों लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अन्य पदों पर नियुक्त कर दिया जाये ।

एक ओर तो आपातकाल में की गई शानदार प्रतिक्रिया के लिये कर्मचारियों की सराहना की जा रही है और दूसरी ओर ह्विटले आयोग के गठन को स्थगित कर दिया है । यह २-३ वर्ष पूर्व की गई सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल की मुख्य मांग थी और हमें इसे बनाने का आश्वासन दे दिया गया था । अब यह कार्य आपातकाल के नाम पर स्थगित कर दिया गया है । यह गलत है और यथासम्भव शीघ्र इस आयोग की नियुक्ति कर दी जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अब मैं अनुच्छेद ३११ के संशोधन के विषय में कहूंगी। इसे किसी सरकारी कर्मचारी को किसी प्रस्तावित दण्ड के विषय में स्पष्टीकरण करने का अथवा उत्तर देने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है; किन्तु संशोधन किये जाने के पश्चात् उसे केवल दण्ड को सुनने और भुगतने का अधिकार होगा। जिस उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कर्मचारियों ने राष्ट्रीय आपातकाल में योग दिया है उसे देखते हुये अनुच्छेद ३११ का संशोधन करने का विचार त्याग देना चाहिये।

श्री पाण्डेय ने अपने भाषण में साम्यवादी दल के विषय में जो कुछ कहा था वह असत्य है। उनके विचार से साम्यवादी दल ने यह धमकी दी थी कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् में साम्यवादियों का न लिया जाने के खतरनाक परिणाम होंगे। यह बात गलत है। इसका समाचार पत्रों में खण्डन भी किया जा चुका है फिर भी इसकी पुनरास्मृत्ति की जाती है।

कम्युनिस्ट दल ने प्रतिरक्षा चेष्टाओं में काफी सहयोग दिया है। जिन राज्यों में कार्मिक संघों का कम्यूनिस्ट दल का प्रभाव है वहां भी उत्पादन बढ़ा है। इस से यह स्पष्ट होता है कि कम्युनिस्ट दल ने सहयोग दिया है। हम ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि में धन देने का समर्थन किया है। परन्तु हम ने सरकार की कुछ नीतियों का विरोध किया है।

हम बड़े बजट का विरोध नहीं करते, परन्तु उस के कुछ पहलुओं का विरोध करते हैं। अधिक धन उन लोगों के पास से आना चाहिए जो अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत सी जो रियायतें निगम क्षेत्र को भी दी गई थीं वे वापिस ले लेनी चाहिएं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, अधिक उत्पादन और सरकार की बुनियादि नीतियों का समर्थन करने के लिए भी हमारे रास्ते में रुकावट डाली गई। हमारे दल के कार्यालय को आग लगा दी गई। हमारी बैठकों में गुंडों द्वारा अशान्ति फैलाई गई। क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कोई कार्यवाई की गई।

कार्मिक संघ धन एकत्रित करने में सब से आगे हैं। टैक्समाको के हमारे संघ ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि में एक दिन का वेतन दिया। परन्तु हमारे मजदूरों को झूठे मामलों में फंसाया गया। क्या इस से मजदूरों को प्रोत्साहन मिलता है?

गार्डन रीच वर्कशापस में मजदूरों ने शनिवार, रविवार को भी काम किया। उन्होंने अधिकसमय भत्ता भी नहीं मांगा। हर चीज़ राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे दी। रक्त दान भी दिया। कार्यसमिति ने सचिव और नेता को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं।

एक स्कूल अध्यापिका ने हायर सैकेन्डरी परीक्षा में पिछले वर्ष चीन के बारे में प्रश्न दे दिए। चीन पाठ्यक्रम में है। इस के लिए ऐसे अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार के हैडमास्टर के साथ अत्याचार किया गया है।

एक आसाम की औरत डा० कल्याणी दास जिस ने काफी सामाजिक काम किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस का घर जला दिया गया। उन के पति को भी पकड़ लिया गया। हस्पताल को भी जला दिया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने माननीय सदस्यों से पहले ही कहा है कि जब भी उन्होंने व्यक्ति विशेष के मामलों का जिक्र करना हो तो उन्हें मन्त्रियों को पूर्व सूचना देनी चाहिए और साथ में उस सम्बन्ध में पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि मन्त्री महोदय उन बातों का उत्तर देने के लिए जानकारी आदि एकत्रित कर लें। यदि ऐसे मामले न्यायालय में ले जाए जाएंगे तो सदस्यों के भाषणों का उन पर प्रभाव होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यदि हम कुछ विशेष व्यक्तियों का जिक्र करते तो अधिकतर जोरदार तरीके से बात कही जाती। लगभग वे सभी लोग अधिकतर चुस्त हैं उन्हें अधिकतर शीघ्रता से सजा मिली है।

पश्चिम बंगाल में जो कम्युनिस्ट पिछले निर्वाचन में मंत्रियों के विरुद्ध खड़े हुए थे उन को गिरफ्तार कर लिया है। जो यह आरोप लगाया जाता है कि कम्यूनिस्ट दल और चान में सम्बन्ध है। इस की खुलेआम जांच होनी चाहिए ताकि जो लोग जेल में हैं वे अपने आरोपों का उत्तर दे सकें।

जेलों में अभी भी वर्गीकरण है जब कि हम समाजवादी ढांचे का समाज बनाना चाहते हैं। एक ही नगर से पकड़े जाने वाले दो वर्गों के लोगों को जेल में दो विभिन्न वर्गों में रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी के कैदियों से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उन्हें खाने को खुराक ठीक प्रकार से नहीं मिलती। कपड़ों का प्रबन्ध उचित नहीं है। उन से मिलने वाले लोगों को मिलने की यथोचित सुविधा नहीं है। कुछ कैदी तो ऐसे हैं जिन के बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं क्योंकि पति और पत्नि दोनों को ही जेल में डाल दिया गया है। पिछले जमाने में ऐसे लोगों के परिवारों को भत्ता दिया जाता था। जेब भत्ता दिया जाता था। सभी राजनैतिक कैदियों के लिए जेल का एक वर्ग था। आशा है कि माननीय गृह मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

जैसा अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस के नेताओं से व्यवहार होता था, अब हमारे साथ हो रहा है। विधान सभा में जेल मंत्री ने कहा कि 'कम्यूनिस्ट देश द्रोही हैं। अतः मैं उन्हें राजनैतिक स्तर नहीं दूंगा। तूफानगंज जेल में पिछले दस दिनों के लिए कैदियों ने भूख हड़ताल कर रखी है। प्रैसीडैंसी जेल में भी एक दिन की भूख हड़ताल हुई है। हम ने उन्हें सरकार को कुछ समय देने के लिए कहा है। आशा है कि सरकार उनकी कठिनाइयों को और उनके साथी किए जा रहे बुरे व्यवहार को दूर कर देगी।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा था और मैं ने मुख्य मंत्री को पश्चिम बंगाल जेल में कैदियों से व्यवहार के बारे में लिखा। अब जो माननीय सदस्यों ने कहा मुझे उस पर आश्चर्य हो रहा है। मेरे पास पत्र आ गया है। मैं सोमवार को इस बात का विस्तार से जिक्र करूंगा। स्थिति बिलकुल भिन्न है। मुख्य मंत्री ने मुझे लिखा है कि कैदियों को जो भी कमियां होंगी उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। और उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हर्ष है कि ऐसा किया जाएगा।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : नहीं नहीं। पहले ही सुविधाएं दी जा रही हैं। यदि कुछ कमियां होंगी तो उन्हें दूर किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त पांच बार वहां गये।

आशा है जो माननीय मंत्री ने कहा है उस का कार्यान्वयन हो रहा है।

'त्रिपुरा कन्या' में त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के सभापति का भाषण दिया गया है जिस में उन्होंने आदिम जाति के लोगों के विरुद्ध बातें कहीं हैं। प्रधान मंत्री जी के सचिवालय से इस सम्बन्ध में यह उत्तर मिला है कि समिति के अनुसार उन के बारे में समाचार गलत है।

कलिंग एयर लाइन्स ने सामान गिराने के बारे में एक पुस्तिका में उन रास्तों का नक्सा दिया है जिस द्वारा सामान गिराया जाता है। क्या यह 'सुरक्षा' के अन्तर्गत नहीं आता ?

भारतीय प्रतिरक्षा नियमों का निष्पक्षपात रुप से प्रयोग नहीं किया गया है। यदि स्थिति इतनी बदल गई है कि उपचुनाव हो सकते हैं तो कैदियों को भी छोड़ देना चाहिए। अन्यथा उपचुनाव ठीक प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि एक कैदी है उन्होंने नामनिर्देशन पत्र देने हैं।

यदि आपने दमन की नीति रखी तो राष्ट्रीय-एकता खत्म हो जाएगी।

श्री तु० राम (सोनबरसा) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर आज दो रोज से बहस हो रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने शिकायतें पेश कीं तो बहुत से लोगों ने तारीफ भी की है। इस संकटकालीन स्थिति के समय में जो सक्रिय कदम गृह मंत्रालय की ओर से उठाए गए हैं वे सराहनीय हैं।

उसके बाद मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हरिजनों और आदिवासियों की ओर ; इन पिछड़े लोगों की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। हरिजनों और आदिवासियों की जो समस्या है वह केवल हरिजनों और आदिवासियों की ही समस्या नहीं है बल्कि वह तो सारे देश की समस्या है, और इसलिए आजादी मिलते ही संविधान में उसके लिए गुंजाइश रखी गयी थी कि जो समाज के कमजोर अंग हैं उनको कुछ वर्षों के लिए प्रिविलेज दिया जाए। और उनके लिए दस साल के लिए रिजरवेशन रखा गया था, फिर उसको अवधि बढ़ा दी गयी। मैं नहीं चाहता कि बार बार इस अवधि को बढ़ाया जाए और रिजरवेशन रखा जाए। जो कमजोर वर्ग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को और समाजिक स्थिति को उंचा करने के लिए अपने एक टारजेट बनाया कि दस साल के अन्दर इन लोगों को जनरल लोगों के स्तर पर ला दिया जाए। लेकिन उस दस साल में वह आपका टारजेट पूरा नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि वह टारजेट क्यों पूरा नहीं हुआ और आपको उस अवधि को क्यों बढ़ाना पड़ा।

सरकार हरिजनों की उनकी पढ़ाई लिखाई एवं उन्नति के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रही है और पैसा भी खर्च करती है लेकिन दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला होता है कि हरिजनों के लिए प्रोमोशन में भी रिजरवेशन रखा गया जाए, उस फैसले को नहीं मानती। इसके लिए देश में बहुत बड़ा हंगामा उठा कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार हजिरनों के लिए सरविसेज में ही नहीं प्रोमोशन में भी रिजवेशन होना काहिए। मुझे ठीक तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने

---

†मूल अंग्रेजी में

अखबार में पढ़ा था कि कैबीनेट की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लोगों को प्रोमोशन में रिजरवेशन दिया जाएगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। मैं कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यह पार्लियामेंट और हमारी सरकार ही नहीं मानेगी तो और किसी से हमको क्या उम्मीद हो सकती है। तो मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्त के फैसले के मुताबिक काम होना चाहिए और हरिजनों को प्रोमोशन में रिजरवेशन की सुविधा मिलनी चाहिए।

आपने दस साल के लिए हम को रिजरवेशन दिया। फिर उस अवधि को आपने बढ़ाया। आपने लड़कों को प्रोत्साहन दिया और कुछ को वजीफा दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि दस साल में हमारी डिमाण्ड पूरी नहीं हुई। हरिजनों और आदिवासियों के जितने लड़कों के आवेदन पत्र आते हैं उन सब को पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिलती। अगर दस हजार आवेदन पत्र आता है तो मुश्किल से दो सौ को सुविधा मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस अनुपात में वे लोग आपके प्रोत्साहन से आगे बढ़ना चाहते हैं उस अनुपात में उन्हें सुविधा नहीं दी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि दी हुई अवधि में आप हमारी समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे और इसी लिए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

मैं तो कहता हूं कि हरिजन वैलफेयर के लिए आप बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो आप समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ हिरजनों के लिए अलग छात्रावास बनाते हैं। इससे बिलगांव का भाव पैदा होता है और हरिजनों को लोग नीची नजर से देखते हैं। मेरा सुझाव है कि हरिजनों को यह सुविधा तो दी जाए लेकिन अलग करके न दी जाए। जो जनरल होस्टल हैं उनमें उनके लिए भी प्रोवीजन किया जाए। जहां सौ हरिजन लड़के हों वहां कम से कम पचास ऊंची जाति के कहे जाने वाले, संस्कारी वंश के लड़कों को जरूर रखा जाए क्योंकि अलग रखने से उनकी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। मेरा सुझाव है कि हरिजनों के लिए अलग होस्टल न बनाए जाएं बल्कि स्कूलों और कालिजों में जो जनरल होस्टल हैं, उनमें ही हरिजनों और आदिवासियों के लिए भी प्रोवीजन किये जाएं।

१६ साल से आप हरिजनों की आर्थिक विषमता को मिटाना चाहते हैं, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हर स्टेट में सीलिंग लागू करके आप कुछ जमीन निकाल कर कोआपरेटिव फार्मिंग चालू करना चाहते हैं और लैण्डलैस लोगों को भूमि देकर उनके असन्तोष को दूर करना चाहते हैं। आपका एक कानून है जिसके अनुसार यदि कोई किसी जमीन पर बसा है, और अगर उसके पास दो एकड़ तक जमीन और हो तो भी उसको उस जमीन पर बसने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन हरिजनों को उस जमीन पर अधिकार पाने के लिए जिस पर वे बसे हुए हैं, इस कानून के होते हुए भी, केस लड़ना पड़ता है। उनको उस दो चार कट्ठा जमीन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर वह सीधे पैसा देकर उसको खरीदता तो भी इतने पैसे में खरीद सकता था। तो मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की जमीन का सर्वे किया जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। आपके पास कर्मचारी हैं, उनके द्वारा आप सर्वे करा सकते हैं। हरिजनों के बसने की और भूमि का प्रबन्ध होना चाहिए और उनको जोत की जमीन मिलनी चाहिए। अभी तो अवस्था यह है कि जिस जमीन पर वे बसे हुए हैं उस पर भी उनको अधिकार नहीं मिल पाया है।

आज देश के अन्दर हिन्दी और अंग्रेजी को लेकर एक वाद विवाद उठ खड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लिया गया है और यह कह दिया गया है कि हिन्दी सहकारी कामकाज में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे लेगी। इस विभाग की ओर से ऐसे सरकारी अफ़सरान जो कि

[श्री तु० राम]

हिन्दी नहीं जानते हैं उन को हिन्दी सिखाने के लिए स्पेशल क्लासेज़ की सुविधा दी गई है । लेकिन रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट इस बारे में दिया गया है उसको पढ़ने से पता चलता है कि फर्स्ट क्लास के अफसरान हिन्दी क्लास अटेंड नहीं करते हैं और इसलिए यह सुविधा उनके लिए मौजूद रहने पर भी वे इसका लाभ नहीं उठाते हैं । संविधान में हिन्दी को अंग्रेज़ी की जगह पूरी तरह लेने की एक अवधि निश्चित की गई है। उसमें लिखा हुआ है कि सन् १९६५ से हिन्दी देश में राष्ट्र भाषा के स्थान पर बैठ जायगी । मुझे इनमें कोई ऐतराज़ न होगा और अगर इसकी आवश्यकता महसूस की जाय तो इसे सन् १९६५ की तिथि को थोड़ा आगे भी बढ़ा कर ले जाया जा सकता है । लेकिन जो अंग्रेज़ी का आज एक हव्वा खड़ा किया जाता है वह ठीक नहीं है । अंग्रेज़ तो देश छोड़ कर चले गये लेकिन मालूम ऐसा देता है कि हम अंग्रेज़ी छोड़ने वाले नहीं हैं । यह ठीक है कि दक्षिण वालों को हिन्दी सीखने में कठिनाई महसूस होती है और यह आवश्यक है कि उनको हिन्दी सीखने की तमाम आवश्यक सुविधा व मौका मिलना चाहिए हिन्दी कोई बहुत कठिन भाषा नहीं है और थोड़ी सी कोशिश करने से हर कोई इसे आसानी से सीख सकता है ।

जनता को आज जो अफसरी मनोवृत्ति चलती है उसकी भी शिकायत है । प्रजातन्त्र के इस युग में जब हमने बालिग़ मताधिकार दिया है, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कि आयु २१ साल की हो, अमीर हो अथवा ग़रीब, बिना जातिपांत या अन्य कोई भेदभाव किये ऐडल्ट फ्रेंचाइज का वोट का अधिकार दिया है । सरकार की नजर में अमीर, गरीब में कोई भेदभाव नहीं है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं, जब ऐसी बात हो तो हर चीज़ में समानता मिलनी चाहिए । लेकिन आज हो क्या रहा है ? आप आफिसेज़ में चले जाइये तो देखियेगा कि अण्डर सेक्रेटरी और साहब से डरते हैं और उनके नीचे वाले उनसे डरते हैं । चपड़ासियों वगैरह की तो जो हालत होती है उसका कहना ही क्या ? आख़िर इस तरह की बातें क्यों होती हैं ? अब यह तो ठीक है कि जो क्लास वन आफिसर है उसमें ज्यादा योग्यता रही होगी तभी उसे अफसर बनाया गया और जिसमें उसके अपेक्षाकृत बहुत कम योग्यता रही होगी उसे चपड़ासी का काम दिया गया । लेकिन क्या अफसर और क्या चपड़ासी दोनों ही पब्लिक सर्वेंटस हैं और दोनों का ही काम जनता की सेवा करना है । दोनों के ऊपर ही जनता का पैसा खर्च होता है चाहे वह निम्न कोटि के कर्मचारी हों अथवा फर्स्ट ग्रेड के । देश में समाजवादी समाज और सोशलिज्म लाने की जो बात की जाती है वह केवल कागज़ पर लिख देने से और भाषण देने से ही नहीं आने वाली है । उसके लिए आप के इन बड़े सरकारी अफसरान को अफसरियत की मनोवृति त्यागने को कहना होगा । हमें उन अफसरों और भाइयों को यह नसीहत देनी होगी कि वह अपने आचरण से सिद्ध करें कि वे सच्चे अर्थों में जनता के सेवक हैं । जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे और जनता के साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक दिल नहीं मिलेगा । सुरक्षा की दृष्टि से भी यह ज़रूरी है कि जनता और सरकारी अफ़सरान में परस्पर सहयोग व मैत्री भाव हो । आज जरूरत इस बात की है कि देश में एकता स्थापित हो और उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऊंच-नीच का जो भेदभाव है, आपसी मनमुटाव है उस को दूर किया जाय । जब तक पढ़े लिखे लोग देश की समस्या को अपनी समस्या न समझ कर कोशिश नहीं करेंगे और सब के साथ और ऊंच-नीच का भेदभाव रक्खे सहयोग और मैत्री भाव कायम नहीं करेंगे तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकेगी । देश की तरक्की के लिए हमें समाजवादी व्यवस्था कायम करनी होगी । मैं पार्लियामेंट के मेम्बरों और गृह मन्त्री जी से अपील करूंगा कि देश में समाजवादी समाज के ढांचे की स्थापना की दिशा में उनका कदम लड़खड़ाये नहीं क्योंकि हमारा लक्ष्य देश में सोशलिज्म स्थापित करना है । इन शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : गृह-कार्य मन्त्रालय का प्रतिवेदन बहुत छोटा है । इसमें मन्त्रालय द्वारा किए गए काम के पूरे ब्यौरे की जानकारी नहीं मिलती ।

इस संकट काल में प्रशासकों का विशेष उत्तरदायित्व है । परन्तु वे अपने उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार से नहीं निभा रहे हैं ।

प्रधान मंत्री ने कहा कि निवृत्ति प्राप्त आई० सी० एस० अधिकारी निवृत्ति के बाद किसी गैर-सरकारी कम्पनी में नौकरी करते हैं और उन अधिकारियों पर प्रभाव डालते हैं जो उनके अधीन थे । इस बात की रोकथाम करनी चाहिये ।

अंग्रेजी को १९६५ के बाद सखी भाषा बनाये रखना चाहिये । हिन्दी को महत्वपूर्ण स्थान मिलना ही चाहिये, परन्तु जब अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी भी सीख लेते अंग्रेजी को सखी भाषा बनाये रखना चाहिये ।

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम आरम्भ करना अच्छा है ।

मद्य निषेध की सारे देश के लिये नीति अपनाई जानी चाहिये ।

गृह-कार्य उपमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को सेवाओं में पूरा हिस्सा नहीं दिया गया है । इन जातियों के सुधार के लिये सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिये । आदिम जातियों की शिक्षा की व्यवस्था में जो कटौती की जा रही है वह नहीं की जानी चाहिये । मैसूर राज्य में अनाधिसूचित जातियों को अनुसूचित जातियां मानना चाहिए । पिछड़ी हुई जातियों का निर्णयन आर्थिक आधार पर उचित नहीं है । सविधान में तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों का जिक्र है । इसकी सरकार को जाच करनी चाहिए ।

देहली के लिए अलग से विधान सभा बनाने पर तो अधिक व्यय होगा । कोई ऐसा प्रशासन होना चाहिए जिसमें निर्वाचित लोग हों ।

प्रादेशिक परिषदों को अधिकतर महत्वपूर्ण काम करना चाहिए । विभिन्न राज्यों के झगड़ों का निबटारा वहीं होना चाहिए ।

गृह-कार्य मन्त्री ने इस में जो सद्भावना पैदा की है और भारत-नेपाल के सम्बन्धों को जो ठीक किया है उस के लिए वे बधाई के पात्र हैं ।

श्री कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री का स्वागत करते हुए दो चार बातों की तरफ़ उन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

आसाम प्रान्त में गैर-कानूनी ढंग से जो सात लाख पाकिस्तानी बसे हुए हैं उन को यहां से तुरन्त निकालना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह बात निश्चित है कि सरकार की बहुत लापरवाही होने के कारण उन लोगों का तांता दिन-ब-दिन बढ़ रहा है । इसलिए सरकार को इस बारे में सतर्कता और फ़िक्र से काम करना चाहिए और उन को इस देश से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए ।

बहुत से पाकिस्तानी केवल तीन महीने की मियाद के लिए यहां पर आते हैं लेकिन हमारे शासन और उस के खुफ़िया विभाग और पुलिस विभाग की ओर से उन पर ठीक निगरानी न होने के कारण वे यहीं रह जाते हैं और भारत की अनेक प्रकार की गतिविधियों के समाचार पाकिस्तान को पहुंचाते हैं । इस सम्बन्ध में हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कछवाय]

अब मैं अपनी दाईं ओर बैठने वाले सज्जनों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यह सारे देश की जनता को मालूम है कि कम्यूनिस्ट पार्टी का रूल किस प्रकार का है। उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सारे देश में आवाज़ उठी थी, लेकिन उस पर जिस प्रकार से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए था, वह सरकार ने नहीं लगाया है। आज भी उन की ओर से देश में वही काम हो रहा है, जो कि उन को करना चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अगर हम को बैन कर दिया जायगा, तो इन का काम बहुत आसान हो जायगा।

श्री कछवाय : अनेक जगहों से कम्यूनिस्ट पार्टी की आपत्तिजनक गतिविधियों की शिकायतें मिली हैं। अभी समाचारपत्रों में छपा था कि बम्बई में पुलिस को दीवारों पर लगे हुए ऐसे पोस्टर मिले, जिन में चीन का समर्थन किया गया था। उन पोस्टरों में यह बतलाया गया था कि भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी चीन का समर्थन करती है।

श्री त्यागी (देहरादून) : उस पोस्टर को छपवाया किस ने था ?

श्री कछवाय : वह कम्यूनिस्टों के द्वारा छपवाया गया था।

आज कम्यूनिस्टों की ओर से इस प्रकार का प्रचार किया जाता है। बंगाल के वित्त मंत्री ने विधान सभा में बताया कि उन के पास इस बात का प्रूफ़ है कि कम्यूनिस्ट पार्टी का सम्बन्ध चीन सरकार से है और वह चीन का समर्थन करती है। सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए और उन लोगों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।

मैं आप को एक महत्व की बात बताना चाहता हूं कि हिसार ज़िले में एक कम्यूनिस्ट नेता, तेजासिंह स्वतंत्र, ने भाषण देते हुए बतलाया कि जो टैक्स लगे हुए हैं, उन से जनता बहुत परेशान है और अगर यहां पर चीन की सरकार आती, तो बहुत अच्छा होता। सरकार को इस बात की ठीक प्रकार से खोज करनी चाहिए कि यह समाचार कहां तक ठीक है। इस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये, ऐसा मेरा शासन से निवेदन है। अभी भी उन की जो गतिविधियां हैं, वे ठीक नहीं हैं। जिस तरह से उन को कार्य करना चाहिये, उस तरह से वे कार्य नहीं करते हैं। एक ओर तो हमारे प्रधान मंत्री जी की नीति का वे समर्थन करते हैं और दूसरी ओर हमारे देश में जो युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, उन में निराशा लाते हैं, उन में बाधा डालते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखे।

हमारे देश में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। पुलिस के जो रूल्ज़ हैं, उस के काम करने का जो ढंग है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी कल के ही समाचारपत्रों में छपा था कि उज्जैन के अन्दर एक लड़के के साथ इतने अत्याचार पुलिस द्वारा किये गये कि वह व्यक्ति फांसी ले कर मर गया। पुलिस का आतंक बढ़ रहा है। एक व्यक्ति को एक थाने में बुलाया गया और उस से दो सौ रुपये मांगे गये। जब वह नहीं दे सका या उस ने दिये नहीं तो उस को थानेदार ने इतना मारा कि उस मार से ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात् उसकी लाश उस के परिवार वालों को नहीं सौंपी गई और खुद ही पुलिस ने उस लाश को जला दिया। जब उस के घर के लोग गये तो उन से कह दिया गया कि उस को घर पहुंचा दिया गया है। वह लौटा नहीं था। तीन दिन के बाद मालूम पड़ा कि वह मर गया है और उसकी लाश को जला दिया गया है। डाकों इत्यादि की वारदातें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। समझ में नहीं आता है कि ये जो डाकू लोग हैं, ये जो गुंडे लोग हैं, इन के पास हथियार कहां से पहुंचते हैं।

यह बहुत बड़ी समस्या है, जिस का समाधान होना चाहिये। उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में जो हथियार पहुंचते हैं, शस्त्रास्त्र पहुंचते हैं, इससे यही सिद्ध होता है कि पुलिस के अधिकारियों के ही वे हथियार होने चाहिये और हैं। इस ओर भी सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये।

देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यह सब लोग कहते हैं। परन्तु इसका हल क्या है, इस को ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती है। शासन की ओर से सदा यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कड़ी कार्रवाई की जायेगी परन्तु इस प्रकार की कार्रवाई की नहीं जाती है जिसका नतीजा यह है कि यह समस्या हल नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करे, उस को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाये ताकि दूसरे भ्रष्टाचार न कर सकें, और उन को सबक मिल सके। उन को कड़े से कड़ा दण्ड मिलना चाहिये ताकि दूसरों को नसीहत हो और वे इस प्रकार के काम न करें।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा उत्साह लोगों में फैला हुआ है, वह उत्साह उन में कायम रहे, इस का भी यत्न किया जाना चाहिये। लोग संगठित रहें, उन में जो जागृति पैदा हुई है, वह बनी रहे, और वे ठीक प्रकार से काम करते रहें, इस ओर भी सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये। आज मैं देखता हूं कि कुछ लोगों द्वारा जनता में निराशा की भावना फैलाई जा रही है। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। समाचारपत्रों में जो गलत बातें छपती हैं, उनका प्रतिवाद किया जाना चाहिये और गरीब जनता के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, वह बन्द होना चाहिये।

मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है और उसके अन्तर्गत जिन लोगों को बन्द किया गया है, उन को इस समय नहीं छोड़ा जाना चाहिये और अगर ऐसा किया गया तो वे लोग छूटने के बाद फिर से उपद्रव पैदा करेंगे और समाज में असंतोष फैलायेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जायेगा।

श्री उइके (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में भ्रष्टाचार का काफी ज़िक्र आया है। भ्रष्टाचार लगभग सर्व-व्यापी हो गया है। किस को भ्रष्ट कहा जाये और किस को न कहा जाये, इसके बारे में भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये जो नये नये टैक्स अभी लगे हैं, इन के कारण देश में भ्रष्टाचार और भी होने वाला है और किस तरीके से कहां जा कर यह रुकेगा, समझ में नहीं आता है। इस का सब से बड़ा जवाबदेही हमारे छोटे से गृह मंत्री जी के ऊपर पड़ने वाला है . . . .

कुछ माननीय सदस्य : वह बहुत बड़े हैं।

श्री उइके : भ्रष्टाचार की शिकार अधिकतर वह जनता है जोकि पिछड़ी हुई है, जोकि गरीब है, जोकि बड़े बुरे तरीके से पिस रही है और पिस जायेगी। हमारे श्री कामत जी ने सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचारी लोगों को चौराहे पर ले जाकर के बैंतों से पीटा जाना चाहिये। मेरे जैसा व्यक्ति उन के साथ इस मामले में सहमत हुए बिना नहीं रह सकता है। मैं और अधिक आगे बढ़ कर कहूंगा कि कानून में अगर किसी किस्म की रद्दोबदल की आवश्यकता है तो पूरे कानून में वह भी की जानी चाहिये। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वे कोई भी हों भारत देश में, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, मंत्री हों, प्रतिनिधि हों, जनता के नेता हों, व्यापारी वर्ग से आते हों, उन सब को दरअसल में चौराहे पर ले जा कर के बैंतों की सज़ा मिलनी चाहिये। अगर इस तरह से दो चार दस केसिस में कर दिया जायेगा तो देश में भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आ सकती है. . .

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद): इस के लिए बधाई है ।

श्री उइके : इस भ्रष्टाचार का शिकार भारत का शान्त जनता है, वह जनता है जोकि आज्ञापालक है । आदिवासी जिन का तादाद कोई तीन करोड़ है, उसका बहुत ही बुरा हाल है और उसका और भी बुरा हाल आगे आने वाले समय में होने वाला है । इसलिए हमारे गृह मंत्री जी को उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए । उसके बारे में उनका विशेष उत्तरदायित्व भी है ।

इस जनता को कुछ कठिनाइयां मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । सब से पहली कठिनाई जो इस के सामने आई है वह मालगुज़ारी एबालिशन और लैंड रिफार्म्स के कारण आई है । अभी मध्य प्रदेश की विधान सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था । उस में यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में लगभग चार लाख से अधिक माल के, रेवेन्यू के मुकदमे पैंडिंग पड़े हुए हैं । उसके लिए पचास के करीब नायब तहसीलदार मुकरर किये गये हैं । मैं अपने चुनाव क्षेत्र के खाली दो विकास खंडों का छः दिन का दौरा करके अभी आया हूं और मुझे कई प्रकार की १५२ दरख्वास्तें मिली हैं । ये जो चार लाख से अधिक मुकदमे हैं इन में से अधिकतर मुकदमे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के हैं । जो अधिक अन्न उपजाओ मूवमेंट चला था उस समय आदिवासियों ने जहां भी इन को जगह मिली वहां उस को जोतना शुरू कर दिया । आज दस बारह साल के बाद उन को निकाला जा रहा है, उनको जुर्माने किये जा रहे हैं । इस तरह से देहाती जनता, पहाड़ी जनता परेशान है . . . .

श्री बाल्मीकि (खुर्जा) : हरिजनों का भी ऐसा ही हाल है ।

श्री उइके : मालगुजारी एबालिशन में एक दूसरी बात हो गई । बड़ी बड़ी मालगुज़ारियों को जो हदें थीं एक एक गांव में, वे छोटी की गईं और जंगलों की जो हदें थीं उनको गांवों के पास लाया गया । इसका नतीज़ा क्या हुआ, यह मैं आप को बतलाना चाहता हूं । अभी वहां की विधान सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था जिस में कहा गया था कि अकेले एक बस्तर जिले में १४३ आदमियों को शेरों ने एक साल में खा लिया है । जो मेरे पास १५२ दरख्वास्तें आई हैं, उन में से ६ दरख्वास्तें अलग अलग इलाकों की ऐसी हैं कि जहां पर शेरों ने आदमियों को खाना शुरु कर दिया है । इस के जो कारण हैं, उन पर माननीय गृह मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये ।

एक कारण तो यह हो सकता है कि जंगल की सरहद नज़दीक आने से शेर बस्ती के पास आ जाते हैं और जंगलों में आश्रय लेना भी उन के लिए आसान हो जाता है । दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि काश्तकार लोगों के पास से आर्म्स एक्ट के तहत बन्दूकें वापिस ले ली गई हैं । जहां तक इसका ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि आर्म्स एक्ट में सुधार कर के इन काश्तकारों को आर्म्स दिये जाने चाहिये । जंगलों के पास रहने वाले जो काश्तकार हैं, उन काश्कारों को, खास कर के जहां पर शेरों ने आदमी मारने शुरू कर दिये हैं, कुछ सहूलियत होनी चाहिये और उनको आर्म्स दिये जाने चाहियें और उनको आर्म्स एक्ट के तहत आर्म्स दिये जाने चाहियें । अगर उन के पास बन्दूकें रहेंगी तो उनकी जाने भी बच जायेंगी और काश्तकार अन्न भी कुछ अधिक पैदा कर सकेंगे ।

हमारे गृह-मंत्रालय की ओर से, आदिवासियों के सम्बन्ध में जो ट्राइबल ब्लाक हैं, उन के लिये पन्द्रह लाख रुपये प्रति ब्लाक दिये जा रहे हैं और इस काम को कम्युनिटी डिवेलेपमेंट डिपार्टमेंट करेगा मैं समझता हूं कि उस डिपार्टमेंट को आदिसासियों की समस्याओं का भली भांति ज्ञान नहीं है । गृह-मंत्रालय को पन्द्रह वर्षों का ज्ञान तो है क्योंकि यह काम उसके हाथ में तब से रहा है । आदिवासियों का कुछ उद्धार तो हो रहा है उसके द्वारा । यदि आप

---

†मूल अंग्रेजी में

पंद्रह लाख देते है तो आपका उस पर कुछ तो सुपरविज़न रहना चाहिये, किसी प्रकार का निरीक्षण तो उन ब्लाक्स पर आपका रहना चाहिये ।

एजूकेशन के बारे में जो स्कालरशिप केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की ओर से दिये जाते हैं, वे गरीब विद्यार्थियों को बारह महीने के बाद मिलते हैं। वे लोग बारह महीने तक अपने पास से पैसा खर्च कर के पढ़ नहीं सकते हैं । मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी उनको ये स्कालरशिप देने की व्यवस्था की जा सकती हो, की जानी चाहिये ।

इसी रिपोर्ट में दिया हुआ है कि करीब सोलह तत्तरह लाख रुपये नान-आफिशल आर्ग-नाइज़ेशंज़ को दिये जाते हैं। स्टेट्स भी बहुत सा पैसा उनको देती हैं। इन नान-आफिशल आर्गेनाइज़ेशंज़ का कोई आडिट नहीं होता है, इनके हिसाब किताब का किसी को कुछ पता नहीं होता है । एक आध जगह पर ही आडिट किया जाता है । तो हजारों रुपयों का उन में घोटाला हुआ करता है। इसलिये कम से कम जो शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेडयूल्ड ट्राइब्ज कमिशनर की रिपोर्ट होती है उस में यह जरूर आना चाहिये कि किस किस संस्था को किस किस प्रदेश में केन्द्र की ओर से या राज्य सरकारों की ओर से कितना रुपया दिया गया है और उन नानआफिशल आर्गेनाइजेशन्स ने वह पैसा वाजिब तौर पर खर्च किया है है या नहीं ।

बात मैं शराबबंदी के बारे में कहना चाहता हूं । इस के सम्बन्ध में यहां पर जोरदार बातें कहीं गई हैं। मैं ने बजट पर बोलते हुए इस शराब बन्दी के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे। इस हाउस में शायद मैं ने सब से ज्यादा समय अपने जीवन काल का इस शराबबन्दी के ऊपर लगाया है । मैं इस में चालिस साल से अपना समय दे रहा हूं और मुझे इसका बहुत ज्यादा अनुभव है कि शराब बन्दी से जनता का क्या लाभ होता है । अगर सरकार को हमारे देश के अन्दर समाज-वादी समाज लाना है, तो शराबबन्दी को लागू करना बहुत जरूरी है । अनेक प्रकार के जो अपराध आज देश में होते हैं उन में से काफी बड़ा हिस्सा इस शराब पीने के कारण है । अगर शराब को बन्द कर दिया जायेगा तो बहुत सी चोरियां, बहुत से खून और बहुत से दूसरे प्रकार के बुरे काम बन्द हो जायेंगे । आज राज्य सरकारों को जनता के पास करीब से २०० करोड़ रु० का लाभ रेवेन्यू के रूप में शराब से होता है । इस का मतलब यह हो गया कि हर साल जनता के पास का ८०० करोड़ रु० शराब पर खर्च होता है । २०० करोड़ रु० शराब लेने के लिये , २०० करोड़ रु० लाइसेंस के लिये देना होगा, २०० करोड़ रु० बेचने वालों को मुनाफा होगा । और करीब करीब २०० करोड़ रु० का नुक्सान शराबी लोगों का होगा। एक तरफ तो सरकार उन की हालत को सुधारने की बात कहती है और दूसरी तरफ इतना पैसा शराब में खर्चे करने का जो अवसर देती है और उन का जीवन बिगाड़ती है। यही नहीं इस से पीने वालों की शारीरिक परिस्थिति भी बिगड़ती है। आज यहां हर रोज कहा जाता है कि चीन की आबादी ७० करोड़ है, और हमारी ४४ करोड़ है, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे ? कुछ हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि फैमिली प्लैनिंग बन्द कर दो क्योंकि हमारी आबादी चीन के बराबर तो होनी चाहिये । लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर शराबबन्दी नहीं होगी तो इस बढ़ी हुई आबादी का क्या लाभ होगा ? हम को अच्छे लोग चाहियें । आज १०१ कौरव हमारे काम के नहीं हैं ; पांच पाण्डव काम के हैं । अगर हमारे देश को उन्नत करने की बात है, समाजवादी समाज लाने की बात है तो हम को इस शराबबन्दी को पूरे देश में लागू करना चाहिये । आज जो हमारी सरकार की शराब बन्दी की नीति है वह बहुत गलत है। मेरे

[श्री उइके]

प्रदेश में ४३ जिले हैं उन में से ६ जिलों की कुछ तहसीलों में शराबबन्दी है। जिस समय शराबबन्दी नहीं लागू थी, उस समय, जो १५ रु० का नौकर था। लेकिन आज वह १५०० रु० महीने मकान का किराया पा रहा है। वह जहां पर ड्राई एरिया है वहां शराब भेजता है और लाखों रुपये की उसकी आमदनी होती है। आप को यह सारी बातें देखनी चाहियें।

इस शराबबन्दी के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वह बड़ा दुःखदायी है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंटों ने कोई अपना प्रोग्राम ही नहीं भेजा है और तीसरी पंच-वर्षीय योजना में कितनी शराब बन्दी होने वाली है, इस का पता ही नहीं चलता है। हमारे गृह-मंत्री जी कम से कम अपने जीवन काल में शराब बन्दी को पूरी तरह से लागू कर दें तो बड़ी कृपा होगी। यह बड़ा भारी काम होगा और देश का कल्याण भी होगा।

अब मैं घूस खोरी के सम्बन्ध में कुछ मोटे मोटे सुझाव देना चाहता हूं। सब से बड़ी बात तो यह है कि अब उद्घाटन आदि के जो प्रोग्राम होते हैं उनको थोड़ा कम करना चाहिये। इन उद्घाटनों आदि का गांवो के रहने वालों पर बड़ा असर पड़ता है, । जब मैं देहातों में जाता हूं तो वहां पर मुझ से लोग कहते हैं कि साहब, पांच मर्तबा हो गया है, पेशी में जाते हैं और वापिस आ जा जाते हैं। मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि आज फलां साहब आ कर उद्घाटन करने वाले हैं। इसलिये मुकदामा नहीं होगा, आज फलां साहब आने वाले हैं इसलिये मुकदमा नहीं होगा । सरकारी कर्मचारी वगैरह भी जो हैं वे इन उद्घाटनों, शिविरों, प्रदर्शनियों आदि से परेशान हैं। अगर यह उद्घाटन और शिविर तथा प्रदर्शनी आदि बन्द हो जायें तो इस से खर्चे में भी कमी होगी और पैसा दूसरे कामों के लिये बचेगा।

इतना कहते हुए मैं गृह-मंत्रालय की जो मांग है उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

†**श्री कृ० ल० मोरे** : (हतकंगले) : देश की शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये गृह-कार्य मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्र विरोधी और समान विरोधी तत्वों का दमन किया है।

मनीपुर और त्रिपुरा तथा अन्य केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में लोक प्रिय शासन स्थापित करने के लिये विधेयक हमारे सामने है। यह प्रशंनीय कदम है।

जन शक्ति के अध्ययन और उपयोग के बारे में भी गृहकार्य मंत्री ने बहुत सराहनीय कार्य किया है।

भ्रष्टाचार को खत्म करने लिए गृह-कार्य मंत्रालय अच्छी तरह कार्यवाई कर रहा है यह बड़ी भारी समस्या है, परन्तु उनकी इस बारे में भावना सराहनीय है।

संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयोग के प्रतिवेदन में सिफारिशों में कार्यान्वयन के लिए गृह-कार्य मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन पदों के लिए परीक्षा से पूर्व पढ़ाने के लिए जो केन्द्र खोले गए हैं बहुत सराहनीय काम है।

तृतीय योजना में अनसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए ४० करोड़ रुपये का जो धन निर्धारित किया गया है वह पर्याप्त नहीं है ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में उस समाज के बारे में बोलने जा रहा हूं जिसके कारण कांग्रेस की इलेक्शन में विजय होती है । उस समाज का नाम कहीं हरिजन है, कहीं अछूत है कहीं पिछड़ा हुआ समाज है और दलित समाज है। हरिजनों के नाम से शहरों में मेहतर समझा जाता है और गांवों में चमार समझा जाता है। मैं आपको उनका नक्शा बताऊं। माननीय शास्त्री जी को पता होगा कि इस समाज को गांवों के दक्षिण में क्यों बसाया जाता है । इसका मतलब यह है कि उनकी हवा और समाज के ऊपर न पड़े। उनको ऊसर में बसाया जाता है । जंगल में बसाया गया है और पहाड़ों में बसाया गया है । आज भी एक कौम है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, शायद शास्त्री जी के क्षेत्र में भी हो । उनको मुसहर के नाम से पुकारा जाता है । वे अब भी जूठा खाते हैं। उन के पास न तो जमीन है, न घर है और न रोजगार है। समाज के अन्दर उनका कोई स्थान नहीं है। इलेक्शन के समय में चूंकि वे कांग्रेस की माला जपते हैं, उनको कहा जाता है कि तुम्हें जो इतनी एड दी जा रही है अगर तुमने कांग्रेस को वोट न दिया तो तुम्हारी यह एड बन्द हो जाएगी, और कांग्रेस तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रही है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : ऐसा कहीं नहीं किया गया ।

श्री विश्राम प्रसाद : कहते हैं।

श्री शिव नारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है ।

श्री विश्राम प्रसाद : पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात मैं बताता हूं जहां की इस सदन में बहुत ही चर्चा हो चुकी है । वहां ऐसे भी लोग हैं जो गोबरहा, महुआ चोटा और आम की गुठली खा कर जीवन बिताते हैं। वह हरिजन हैं। मैं आजमगढ़ जिले से आया हूं । मेरे जिले में २५ लाख की आबादी में से आठ लाख लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं और वे जमीन हैं, और उन में ५ लाख की आबादी में हरिजन हैं। और पाउडर और स्नो की तो बात छोड़ दीजिए । उन के पास सिर में लगाने के लिये तेल भी नहीं है। नीम का जो तेल निकाला जाता है उसको वह अपने सिर में लगाते हैं। वह तेल ऐसा होता है कि अगर इस सदन में एक आदमी लगा ले तो बहुत से लोग यहां बैठ नहीं सकेंगे। वह तेल उनको मिलता है। आज हमको १५ वर्ष स्वतंत्र हुए हो गए । मैं इस राम राज्य वाली सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने उनकी तरक्की के लिए कौन कदम उठाया है।

मैं माननीय मंत्री जी को संविधान की धारा १५ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जिस में लिखा है :—

> '१५ (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक—(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरन्जन के स्थानों में प्रवेश के ..... बारे में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निर्बन्धन अथवा शर्त के अधीन न होगा'।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्राम प्रसाद]

और संविधान की धारा १७ में लिखा है अनटचेबिलिटी कानून से वर्जित है। लेकिन मैं पूछता हूं जि शास्त्री जी अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें कि जिस प्रकार यह कहा जाता है उसकी पूर्ति हो सकी है ?

अब मैं आपका ध्यान रिजरवेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। अखबार पढ़ने वाले समझते हैं कि हरिजनों के लिए सरकार बहुत करती है। जो एडवरटाइजमेंट निकलते हैं उनमें लिखा जाता है : उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध होने पर यह स्थान अनुसूचित तथा आदिम जातियों के लिये संरक्षित समझी जायगी अन्यथा यह समझा जायेगा कि यह रक्षित नहीं है। वे लोग उन जगहों के लिए जाते जरूर हैं लेकिन पबलिक सरविस कमीशन को जहां यह मालूम हो गया कि यह तो हरिजन है वैसे ही उनको निकाल दिया जाता है। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की परीक्षाओं में जो लड़के लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं वे इंटरव्यू में रह जाते हैं। कल बताया जा रहा था कि हरिजनों की जगहें पूरी हो गयी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट से पता चलता है कि सन् १९६२ में आई० ए० एस० की १९१८ जगहों में से ४६ जगहें हरिजनों को और २० शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलीं, जो कि ३–४ प्रतिशत के बराबर होती हैं इसी प्रकार आई० पी० एस० की १०७१ जगहों में से इनका प्रतिशत ३–४ है। क्लास १, क्लास २, क्लास ३, और क्लास ४ के टोटल नहीं दिए गए हैं नहीं तो मैं आपको उनका भी परसेंटेज बतला देता। वे भी तीन या चार परसेंट के बीच में होंगे। मैं जब सवाल करता हूं तो उसके जवाब में या तो यह लिख दिया जाता है कि अभी इनफौरमेशन इकट्ठी की जा रही है या फिर उसके पूरे आंकड़े नहीं दिये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि मुझे वह बतलाने की कृपा करें कि अब तक जो साढ़े १२ परसेंट का रिजरवेशन होना चाहिये उस की कहां तक पूर्ति हुई है। सन् १९६१ के सैंशन्स के मुताबिक इस देश के अन्दर २१.५२ परसेंट हरीजन और शेड्यूल्ड कास्ट्स की आबादी है लेकिन रिजरवेशन का जो परसेंटेज है वह सिर्फ साढ़े १२ प्रति शत है : इतना ही नहीं मैं उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ५४ जिले हैं जिनमें कि ५४ डी० एम० और ५४ ही एस० पीज० होंगे। मंत्री जी कृपा करके बतलायें कि उन में कितने हरिजन रक्खे गये हैं ?

रिजरवेशन का जहां तक सवाल है एलक्शंस में वह अवश्य पूरा कर दिया जाता है। चुनाव में हरिजनों को चुनाव लड़ने के लिए पूरी सीटें दी जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है ? ऐसा इस लिये किया जाता है ताकि उस इलाके के जो बाअसर आदमी हों वह इस सदन के अन्दर आ जांय और उनके असर के कारण वहां की जनता पूरी तरह दबी रहे। स्वयं अपने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल को देख लिया जाय। १८ कैबिनेट मिनिस्टर्स में १ हरिजन है। १२ स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनमें कोई हरिजन नहीं है। २२ उप मंत्री हैं उनमें केवल एक हरिजन उपमंत्री है। सभासचिव जो कि सबसे कम हैं अर्थात् ६ हैं उनमें दो हरिजन हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ५८ में आपके यहां कुल चार हैं . . . .

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अब माननीय सदस्य को अगर अपने ही बारे में ठीक ठीक खबर नहीं है तो फिर मैं क्या कहूं – मैं जिस रूप में वह जिक्र कर रहे हैं उस रूप में तो बतलाना नहीं चाहता कि कितने हरिजन डिप्टी मिनिस्टर्स हैं मगर इतना अवश्य कहूंगा कि जो उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर्स एक बतलाया वह बात उनकी बिलकुल ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विश्राम प्रसाद : तो दो होंगे ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : दो भी गलत हो सकते हैं ।

श्री राम सेवक यादव (बारांबंकी) : मंत्री महोदय स्वयं इसको बतला दें कि कितने हैं, आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : आप क्यों सवाल करते हैं ? आप को इस में ज्यादा मजा आता है कि दूसरों के बीच में बिना बात दखल दें । मैं तो उन से बात कर रहा हूं ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है । मैं सदन में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं—

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्दर : कोई प्वाएंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बगैर मुझे सुने ही कैसे कहा जा रहा है कि कोई प्वाएंट आफ आर्डर नहीं है ? मुझे सुन तो लिया जाय . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

श्री विश्राम प्रसाद : जहां तक हरिजनों को रिजरवेशन देने का सवाल है मैं मंत्री महोदय से पूछंगा कि उन्होंने हरिजनों में से कितनों को अपना राजदूत बनाया है ? कितनों को गवर्नर बनाया है और कितनों को बड़ी बड़ी पोस्टस जैसे सेक्रेटरीज़ की जगहें दी हैं ? मुझे याद है कि जब यू० पी० असेम्बली में रिजरवेशन का सवाल आया तो उस वक्त उत्तर देते नहीं मिल रहा था तो उसमें विधानसभा में जितने मेहतर वगैरह थे उन सबको मिलाकर किसी तरह यह आंकड़े पूरे कर दिये कि इतनी रिजर्वड पोस्ट्स यहां पर हैं ।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस अध्यक्ष हरिजन हैं ।

श्री विश्राम प्रसाद : अगर आप रियल सेंस में रिजरवेशन को लाना चाहते हैं और उनकी तरक्की करना चाहते हैं तो यह लिख कर दे दिया जाया करे कि इतनी पोस्ट्स इस डिपार्टमेंट में रखी गई हैं और उनमें इतने हरिजनों की जरूरत है । इस तरह का पबलिसिटी डिपार्टमेंट होना चाहिये जोकि हरिजनों को बतलाये कि इतनी सीटें उनके लिए खुली हुई हैं ।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजरवेशन के बारे में हुआ है लेकिन अभी उसकी सिर्फ ग्रेड तीन और चार पर ही लागू कर रहे हैं । सिर्फ ग्रेड तीन और चार का ही प्रमोशन होगा । क्लास १, क्लास २ और स्पेशल क्लास में इसे क्यों नहीं लागू किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री विश्राम प्रसाद : अब मेर चार, पांच मिनट तो बेकार में उस प्वाएंट आफ आर्डर में चले गये । इसलिये मुझे वह तो समय मिलना ही चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : एक आध मिनट में खत्म कर दें क्योंकि अभी बहुत से लोगों को बोलना बाकी है ।

श्री विश्राम प्रसाद : साइंटिफिक और टैकनिकल पोस्ट्स का पता ही नहीं है । प्री ऐग्जामिनेशन कोचिंग संटर्स हालांकि इलाहाबाद और बंगलौर में खोले गये लेकिन तीन वर्ष में ३८ ही लिये गये ।

अभी इस रिपोर्ट के अन्दर लिखा है कि १८ करोड़ रुपया हरिजनों के ऊपर खर्च हो रहा है जबकि हरिजनों की आबादी ९,४३,९४,७८३ है । अगर इसको आप डिवाइड कर दें तो सिर्फ २ रुपया फी हरिजन पड़ता है । साढ़े ६ करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया । रैफयूजीज इस देश के अन्दर आये । उन के लिये अलग मंत्रालय बना उनको घर मिला रोजगार मिला लेकिन साढ़े ९ करोड़ हरिजनों को पूरे पूरे अधिकार इस देश के अन्द नहीं मिल सके ।

हरिजनों को लेकर कुछ गलतफहमी भी फैली । पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह गलतफहमी फैल गयी कि हरिजनों की वजह से इस देश को चीन से हारना पड़ा । पंडित नेहरू का कहना है कि जब चीनियों से निपट लेंगे तो फिर हरिजनों से निबट लेंगे । इस तरह की गलत फहमी हम लोगों के बारे में फैलाई जाती है ।

एक माननीय सदस्य : यह गलतफहमी किसने फैलाई ।

श्री विश्राम प्रसाद : सवर्ण लोगों ने फैलाई है । पूना पैक्ट १९३७ में बना । आज उस पैक्ट को बने २६ साल हो गये । महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को देश के लिए कलंक बताया और उन्होंने इस देश से इसे मिटाने का संकल्प लिया और प्रयास भी किया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अस्पृश्यता इस देश से मिट गई ? इस काम के लिये आप दूसरा मंत्रालय खोलें । कमिशन आफ शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स बिलकुल एक पोस्ट आफिस की तरह है । वह केवल फौरवर्डिंग आफिस का काम करता है ।

न्याय पंचायतों को अधिकार दिये जांएं । इसी प्रकार पुलिस को भी अधिकार दिये जायें पुलिस के पास पावर रहने से गांवों में जो अस्पृश्यता फैली रहती है और उन गरीब लोगों को सताया जाता है, उसको वह ठीक तरह से डील कर सकेगी आज के गांव में सवर्ण लोगों के बराबर बैठ नहीं सकते और सामाजिक स्थानों में जा नहीं सकते । इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस को अधिकार दिये जांएं कि वह इस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और अस्पृश्यता चाहे किसी भी रूप में विद्यमान हो उसको सख्ती के साथ समाप्त करें। आज जिस रफ्तार से चला जा रहा है उससे मैं समझता हूं कि इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय मैं स्वयं गांधी का एक वाक्य पढ़ कर अपने कथन को समाप्त करता हूं। उसका सारांश इस प्रकार है :

> मैं ईश्वर से सदैव यह प्रार्थना करता हूं कि अस्पृश्यता का यह कलंक हिन्दू जाति के माथे से हट जाए । मैं अपना समस्त जीवन इस कार्य के लिये समर्पित करना चाहता हूं ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है और उसमें "पिछड़े वर्गों के कल्याणों" का अध्याय है । अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित

आदिम जाति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें आदिवासियों के वर्गीकरण को बारे में लेफ्ट आउट के बारे में कमिशन ने जो सिफारिश की है वह सिफारिश इस मंत्रालय ने अभी तक अमल में नहीं लाई है ।

शैड्यूल्ड ट्राइब्स का जो अर्थ आज है वह इस तरह का होता है कि जो शैड्यूल्ड ऐरियाज में रहते हैं उनको आदिवासी माना जाता है । जो स्पेसीफाइड ऐरिया में रहता है वही आदिवासी माना जाता है । लेकिन जो स्पेसीफाइड एरियाज के बाहर रहते हैं उनको लैफ्ट आउट ट्राइब्स माना जाता है – रिपोर्ट में यह कहा गया है :

आदिवासियों का वर्गीकरण उस क्षेत्र के आधार पर किया गया है जिस पर वह बसे हुये हैं । यह वर्गीकरण निम्न प्रकार का है :

अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले आदवासी शेष राज्य में रहने वाले आदि वासी ।

जो आदिवासी शिड्यूल्ड एरियाज और स्पेसिफाइड एरियाज में रहते हैं, उन को शिड्यूल्ड ट्राइब्ज या आदिवासी माना जाता है, और जो बाहर रहते हैं, वे आदिवासी नहीं माने जाते हैं । उनको "अदर बैकवर्ड क्लासिज" माना जाता है । इस के बारे में ढ़ेबर कमीशन हर एक स्टेट में गया और वहाँ पर इस के बारे में एन्क्वायरी की । महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऐसे आदिवासी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, हैं, जो आदिवासी नहीं माने जाते हैं । महाराष्ट्र के नागपुर विभाग में छः लाख और मध्य प्रदेश में १२ लाख से ऊपर ऐसे आदिवासी रहते हैं, जो कि आदिवासी नहीं माने जाते हैं । इस का परिणाम यह है कि संविधान में उन के प्रोटेक्शन और कल्याण के सम्बन्ध में जो प्राविजन रखा गया है और उस प्राविजन को कार्यान्वित करने के लिए जो स्कीम्ज बनाई जाती हैं, वे उन लोगों पर लागू नहीं होते हैं । इस लिए अब तक उन लोगों का कल्याण नहीं हुआ है ।

जब वह कमीशन महाराष्ट्र में गया, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इस बारे में अपनी प्रोपोजल उस के सामने रखी । इस रिपोर्ट में कहा गया है : —

महाराष्ट्र की राज्य सरकार के निम्न क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल करने का प्रस्ताव किया ।

मैं उन एरियाज की लिस्ट को समय के अभाव के कारण पढ़कर नहीं सुनाना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि मैं ने अभी कहा है वहाँ पर ऐसे बहुत से एरियाज हैं और उन की पापुलेशन छः लाख है । उन्हों ने यह रिक्वेस्ट कमीशन के सामने रखी । उन्होंने यह कहा कि लगभग छः लाख आदिम जातियों के सदस्य उन क्षेत्रों से बाहर रहते हैं जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र माना गया है, इस से उन्हें वे लाभ प्राप्त नहीं हो सके हैं जो उन के अन्य भाइयों को मिले हैं ।

कमीशन ने एन्क्वायरी करने के बाद अपनी ओपीनियन इस प्रकार दी : इस प्रश्न पर अध्याय ८ में दिये गये वैकल्पिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये ।

फार्मर विन्ध्य प्रदेश और भोपाल के भाग को उस वक्त की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए शिड्यूल्ड एरियाज में शामिल नहीं किया गया था और उन को शिड्यूल्ड एरियाज से सम्बन्धित कौंस्टीट्यूशनल आर्डर्ज के स्कोप से एक्सक्लूड किया गया था । इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश ने निम्न क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल करने का प्रस्ताव किया है । जैसा कि मैं ने अभी

[श्री दे० शि० पाटिल]

बताया है, वहाँ पर बारह लाख की पापुलेशन आदिवासियों की है। कमीशन ने उस पर अपनी यह ओपीनियन दी : —

केन्द्रीय सरकार को हमारे द्वारा प्रस्तावित मापदंड के आधार पर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये ।

इस तरह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन एरियाज को शिड्यूल्ड एरियाज में शामिल करने की प्रार्थना की है। इस के अलावा उन आदिवासियों की जो आर्गेनाइजेशन्ज और संस्थाएं हैं, उन्हों ने भी यह प्रार्थना की है कि नासिक में १४ माच को जो महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कांफ्रेंस हुई थी, जिस का उद्घाटन श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने किया था, उस में इस तरह का प्रस्ताव पास किया गया था। इस के अलावा और भी बहुत से डेपुटेशन्ज आए ये हैं और लोक सभा के सदस्यों ने भी रिप्रेजेन्टेशन दिया है। लेकिन "लेफ्ट आउट ट्राइबलज" की तरफ मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाये ।

कमीशन ने इस बारे में जाँच की और जाँच करने के बाद उस ने अपनी रिपोर्ट दी। उसने अक्तूबर १९६१ में राष्ट्रपतिजी को जो लैटर भेजा, वह इस बात का सुबूत है कि आदिवासी की यह माँग आम है कि मंत्रालय को इस सम्बन्ध में गौर करना चाहिये। कमीशन ने वह लैटर अपनी रिपोट में दिया और वह इस प्रकार है : —"आदिम जातियों का एक अन्य वर्ग भी है जिसे क्षेत्रीय परीक्षा में खरा न उतरने के कारण इन विशेषाधिकारों से वंचित रखा गया है, मध्य प्रदेश और नागपुर क्षेत्र के भी कुछ आदिम जातियों को छोड़ दिया गया है, हम विशेष रूप से उन के पुनर्विचार की सिफारिश करते हैं।

इस लैटर से यह समस्या बहुत स्पष्ट हो जाती है। जब तक यह समस्या हल नहीं होती है, तब तक आदिवासी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिये इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इस तरफ ध्यान देने की इसलिये भी जरूरत है कि आदिवासियों के दिल में बहुत असंतोष और संशय है। वे यह महसूस करते हैं कि कॉंस्टीट्यूशन में उनके लिये जो प्राविजन रखा गया है, उनको जो संरक्षण दिया गया है और उन के लिए जो स्क्रीम्ज बनाई जाती हैं, आज के कानून के मुताबिक वे लोग उन के अन्तर्गत नहीं आते हैं। जो स्क्रीम्ज आदिवासियों के लिए है, "अदर बैकवर्ड क्लासिज" उन से फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिये वे लोग उन स्क्रीम्ज के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वे एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन की बात, रहन-सहन का ढ़ंग और धंधा एक हैं, और वे भी ट्राइबल्ज हैं, लेकिन चूंकि वे शिड्यूल्ड एरिया से बाहर रहते हैं, इसलिए उन के साथ दूसरी तरह का ट्रीटमेंट किया जाये, मैं इस को योग्य नहीं समझता हूं। आज कल जो व्यवस्था है, उस में संविधान के द्वारा दिया गया संरक्षण और प्रोटैक्शन केवल शिड्यूल्ड एरियाज के ट्राइबल्ज को मिलता है, ऐसा उन का ख्याल हो गया है । उनमें असमानता का आभास हो रहा है और उन की यह राय बनती जा रही है कि इस ट्रीटमेंट से वे न्याय से वंचित हो रहे हैं। चूंकि यह प्राबलम बहुत बढ़ ही है, इसलिए मंत्रालय को इस बारे में बहुत जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिये ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ट्राइबल के लिये जो रकम रखी गई है, वहका फी कम है। इस के अलावा हम देखते हैं कि स्टेट गवनमेंट्स को जो रकम खर्च करने के लिये दी जाती है, उस को वे खर्च नहीं कर पाती है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में भी यह कहा गया है :

राज्य सरकार दूसरी योजना में इस ३९ प्रतिशत से अधिक राशि व्यय करने में समर्थ नहीं हुई है ।

अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आप के समने कई उदाहरण रख सकता था।

मैं एक बहुत जरूरी बात आप के सामने रखना चाहता हूं। ये सब स्कीम्ज कलैक्टर के अख्तियार में हैं, लेकिन पंचायती राज कायम होने की वजह से कलैक्टर के पास अब कोई पावर नहीं है। जब तक कलैक्टर के पास पूरे अधिकार नहीं होंगे, तब तक वह इन स्कीम्ज़ को नहीं चला सकता है। जिला परिषद् और पंचायत समिति उन को नहीं मानती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे दो मिनट और दें, तो मैं मैसूर-महाराष्ट्र बार्डर इस्यू के बारे में कुछ कह दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। अब माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री शंकर आल्वा।

†**श्री अ० शं० आल्वा** (मंगलौर) : भारत की प्रतिरिक्षा नियमों के अन्तर्गत किये गये कार्यों तथा नियमों के सम्बन्ध में काफी आपत्ति की गई है। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कुछ ऐसे मामले लिए हैं जहां उन्हों ने बताया है कि उन के दल की कुछ शिक्षित महिलायें भी अभी भी हिरासत में हैं।

तथापि मेरा विचार है कि यह आरोप एकदम निराधार है कि भारत की सुरक्षा अधिनियम का साम्यवादियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया है। यदि कोई ऐसी बात सरकार के मन में होती तो वह सीधे साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगा सकती थी।

वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के लिये विशेषत: पश्चिम बंगाल और आसाम में यह देखना नितान्त आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाये, जिन की गतिविधियों से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों में से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये सजग है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सेवाओं में भ्रष्टाचार न पनपे। हमें यह भी समझना चाहिये कि इस मामले में लोगों का सहयोग भी बड़ा आवश्यक है।

मैसूर में सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों को अभी तक अंतिम रूप से मिलाया नहीं गया है। इस मामले की जाँच की जाये।

विधि आयोग की इस सिफारिश को क्रियान्वित किया जाये कि किसी राज्य ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कम से कम एक तिहाई व्यक्ति अन्य राज्यों के होने चाहियें।

अन्त में मैं कुछ शब्द अपने निर्वाचन क्षेत्र कुर्ग के बारे में कहना चाहता हूं। १९५९ में जब शस्त्रास्त्र अधिनियम का संशोधन हुआ था तो उस समय कहा गया था कि उन्हें लायसेंस रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि बाद में उनसे भी लाइसेंस रखने को कहा गया। जब गृह मंत्री को इस बात का उल्लेख किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लायसेंस से छट देना पक्षपात करने के बराबर होगा। मैं बतलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री कुर्ग के निवासियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के संबंध में पुनर्विचार करेंगे।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों पर दो दिनों से बहस सुन रहा हूं। इस बहस को कांग्रेस की तरफ से श्री माथुर ने शुरू करते हुये और पी० एस० पी० की तरफ से श्री कामत ने शुरू करते हुए, जो मूल सिद्धान्त की चन्द बातें सामने रक्खी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

हैं उन को बहुत गौर से देख कर और अमल में ला कर अपना आत्म संशोधन करना है। ट्रेजरी बेंचेज़ पर जो लेजिस्लेटर्स बन कर माननीय सदस्य बैठे हैं उन के लिये आत्म संशोधन करना जरूरी है। इसी दृष्टि से मैं ने इस बहस में भाग लेने की जुर्रत की।

मैं प्यारे लाल जी की लिखी हुई 'महात्मा गांधी—लास्ट फेज' को पढ़ रहा था जिस में महात्मा गांधी जी की हिदायतें दी हुई हैं। प्यारे लाल जी ने उन के जिन विचारों को मुल्क के सामने और दुनिया के सामने रक्खा है, उन को हम न सिर्फ दिल लगा कर पढ़ें, बल्कि उन को अमल में लायें, जिस के लिये हम को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। महात्मा जी को हम बहुत पूजनीय मानते हैं। हम न सिर्फ उन की फोटो की ही भक्ति करें बल्कि उन के दिल के अन्दर जो तत्व थे उनको जिन्दा रखना भी हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। मैं यहां पर सदन का अधिक समय न लेते हुए सिर्फ उन के विचारों को ही रखना चाहता हूं।

यहां पर हिन्दी भाषा की चर्चा बहुत होती है। यहां पर दक्षिण का और केन्द्र का उस के प्रति जो रवैया है उस को देखते हुए मैं साफ जाहिर कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम दक्षिण में जाते हैं तो उन के लिये हमारे दिल में अच्छी ही भावना होती है उसी तरीके से जिस भाषा को महात्मा गांधी हिन्दी या हिन्दुस्तानी कहा करते थे उन के लिये लोगों के दिल में सद्भावना है। जितनी श्रद्धा उन को भारतीय संस्कृति पर है उतनी ही इस भाषा पर है। लेकिन उस का ज्यादा से ज्यादा फैलाव करने में न सिर्फ दक्षिण वाले आड़े आते हैं, न सिर्फ दक्षिण भारत की जनता उस में आड़े आती है, बल्कि मेरा आरोप यह है कि केन्द्रीय सरकार को भी जो कुछ उस के लिये करना चाहिये था वह उस ने नहीं किया है। अगर आप आंकड़े निकाल कर देखें तो दक्षिण भारत में जो हिन्दी बोलने वाले हैं वह अंग्रेज़ी बोलने वालों से कई गुने ज्यादा निकलेंगे। आज ही अंग्रेज़ी को खत्म करो, मैं ऐसा नहीं कहता, अगर पन्द्रह वर्षों में लोग हिन्दी नहीं सीख सकते तो दस बीस साल और दिये जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी को हमेशा के लिये कायम रख कर एक ऐसोशिएट लेंग्वेज बना दिया जाय और भारतीय संस्कृति को ठीक से पनपने न दिया जाय, इस का मैं घोर विरोध करता हूं।

मैं यहां पर केवल महात्मा जी के शब्दों को पढ़ना चाहता हूं, संक्षेप में उन्होंने कहा कि :

> "कांग्रेस के मंत्रियों तथा विधायकों को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या कांग्रेस में प्रशासन का रूप अंग्रेजी राज्य से भिन्न होगा। जब तक जनता को परिवर्तन का अनुभव नहीं होता तब तक जनता इस कार्य में अपना सहयोग नहीं दे पायेगी" उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि जब तक भारत विदेशी संस्कृति और भाषा को नहीं छोड़ेगा तब तक हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकेंगे जो कुछ कामत साहब ने और श्री माथुर ने आप के सामने रक्खा है उस का स्वरूप महात्मा जी ने पहले से अर्थात् सन् १६४७ में ही रक्खा था : कि मंत्रियों को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिये। उन्हें अपनी हाथ के काते खादी के ही कपड़े पहिनने चाहिये। उन्हें नागरी तथा फारसी भाषा सीखनी चाहिये तथा अंग्रेजी का प्रयोग यथासंभव छोड़ देना चाहिये उन्ह जातिवाद से दूर रहना चाहिये तथा किसी प्रकार पक्षपात या भेदभाव नहीं करना चाहिये। उन्ह शारीरिक श्रम करना चाहिये तथा टीपटाप से दूर रहना चाहिये। जो उन्होंने सिम्लिसिटी, को अन्डरलाइन किया है उस के बारे में मैं इस सदन में बतलाना चाहता हूं कि उस के बिल्कुल खिलाफ आज अमल हो रहा है।

श्री बागड़ी (हिसार) : महात्मा जी ने एलेक्ट्रिसिटी के लिये भी कुछ लिखा है ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इसी तरीके से उन्होंने और भी बहुत सी हिदायतें दी हैं जिन को मैं छोड़ता हूं।

इसके बाद आप देखिये कि जब स्टेट्स मर्ज हुई थीं तब कुछ ऐग्रिमेन्ट्स हुए थे। उन के बारे में जब मैं कोई सवाल पूछता हूं तो प्रिविलेज के क्लाज को ला कर उन का जवाब नहीं दिया जाता। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि जरा उन ऐग्रिमेन्ट्स को दुबारा रिवाइज करने की जरूरत होगी। मैं यहां पर किसी जज्बे या फीलिंग के मातहत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि तकरीबन ७१/२ लाख रु० आज निजाम साहब के जिम्मे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आते हैं, उन के लिये वह प्रिविलेज्ड रेट्स मांग रहे हैं। इसी तरह से जो सोंडूर की स्टेट है वहां के महाराज ने आयरन ओर, मैंगनीज और जंगलात को इस लिये कब्जे में रक्खा है कि कहीं कोई आदमी उसमें दखल न कर बैठे। लाखों रुपये की कीमत की सोंडूर की सैंडलवुड वहां से कट कर ले जाई जा रही है और रोज स्टेट को उस का नुक्सान हो रहा है। इस के बारे में ह्वाइट पेपर को देखने से जाहिर हुआ कि यह जंगल उन को सिर्फ शिकार के लिये दिया गया था, दरख्तों को ले कर स्टेट को नुक्सान पहुंचाने के लिये नहीं।

इसके बाद मैं कैपीटल पनिशमेंट के लिये सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सके इसको डैड लेटर बना कर रखा जाए तो अच्छा होगा। इसका उपयोग केवल बहुत ही सीरियस केसेज में किया जाए। ज्यादातर केसेज में जहां तक हो सके लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना काफी होगा।

करप्शन और घूसखोरी को बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इसको रोकने के लिये एक कमीशन बिठाकर सीरियस ऐक्शन लेना चाहिये। और अगर करप्शन का अपराधी बड़े से बड़े आदमी को, मिनिस्टर तक को, पाया जाए तो उसको सजा दी जानी चाहिये। ऐसा होगा तभी आप करप्शन को कम कर सकेंगे। करप्शन बहुत बढ़ रहा है।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं संघ क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट का पैरा ६ दिल्ली के बारे में लिखा है। इसमें एक पैरा में भूमि अधिग्रहण के लिये कुछ शब्द लिखे हैं। इसमें यह लिखा है कि ७८०० एकड़ जमीन हासिल की गई और उसके लिये दस करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया। इसमें बताया गया है कि यह जमीन लो इनकम वालों के लिये ली गई है। इस पर जो दस करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसका हिसाब लगाया जाए तो पता चलेगा कि सरकार को यह जमीन दो रुपया और ६८ नए पैसे प्रति वर्ग गज पड़ी। कहा जाता है कि इसके विकास के लिये, सड़क के लिये, पार्क के लिये, जिन्दगी की जरूरियात के लिये जैसे अस्पताल आदि के लिये ६० प्रतिशत भाग छोड़ दिया जाएगा। यानी ४० प्रतिशत भूमि के वास्ते जो कि रिहाइश के लिये रखी जाएगी, ६० प्रतिशत भूमि को छोड़ा जाएगा। हम यह भी समझ लें तब भी इस जमीन का दाम ७ रुपये प्रति वर्ग गज पड़ता है। अगर इसके लिये ७ रुपये प्रति गज विकास का खर्चा आ जाए तो इसका दाम १४ रुपये प्रति वर्ग गज हो जाएगा। मगर मैं मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि यह जमीन जो ८० गज के प्लाट बना कर लो इनकम वालों को दी गई है, उसका मूल्य २५ रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से लिया गया है। किसी हिसाब स इसका इतना दाम नहीं आता।

[श्री नवल प्रभाकर]

जिस समय यह जमीन सरकार ने ली थी तो कहा था कि हम इसलिये इसे ले रहे हैं कि जो कालोनाईजर हैं वे ज्यादा मुनाफा लेते हैं और लोगों को लूटते हैं। यह ठीक था। वे जमीन खरीदते थे, उसको ज्यादा कीमत पर बेचते थे। यह सरकार का कदम तो ठीक है कि उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया। लो इनकम वाले यह आशा करते थे कि जो जमीन सरकार डेवेलप कर रही है वह उनको १४ या १५ रुपये गज के हिसाब से दी जाएगी, जब कि कालोनाइजर १४ से बीस रुपये तक के दाम ले लेते थे। लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। इस हाउस में प्रश्नोत्तर काल में श्री हजारा नवीस जी ने कहा था कि ६०० रुपये गज तक जमीन यहां बिकी है। जो सम्पन्न लोग हैं उन्होंने उसको लिया होगा और वह ऐसी जगह होगी जहां उसका इतना मूल्य लग सकता था। लेकिन जो जमीन शहर से सात सात और आठ आठ मील दूर है, उसका विकास हो रहा है। और वह लोगों को अगर २५ रुपये से ३५ रुपये गज के हिसाब से दी गई तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि क्या यह लो इनकम वालों के लिये भार स्वरूप नहीं होगी। इसको सरकार को देखना चाहिये, सोचना चाहिये और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये।

इसी में आगे चल कर दिल्ली के सम्बन्ध में यह लिखा है कि जमुना के अन्दर बाढ़ आती है। दस ग्यारह वर्ष से प्रति वर्ष बाढ़ आती है। यहां बारिश हो या न हो पर यहां बाढ़ का आना आवश्यक हो गया है। पंजाब का पानी दिल्ली में आ जाता है, उसकी निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। जहां तक नजफगढ़ झील और नजफगढ़ नाले का सवाल है, इस हाउस में कई बार उसकी चर्चा आ चुकी है। उसके लिये रुपया सेंक्शन हो चुक है लेकिन उसमें देरी होती जाती है। मैं मिनिस्टर साहब से बिनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि उस ओर ध्यान दिया जाए और उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए।

दिल्ली में राजनीतिक पीड़ितों के लिये एक कमेटी बनी हुई है। वह कमेटी पहले तो उनको अनुदान देती थी। लेकिन अब अनुदान बन्द कर दिए गए हैं। अब उनको कर्जा दिया जाता है जिससे कि वे किसी धन्धे में लग सकें। पिछले ६ महीनों में उस कमेटी ने यह त कर दिया है कि अमुक को कितना कर्जा दिया जाए, लेकिन आज तक गृह मंत्रालय से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को वह रुपया नहीं पहुंचा है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। भारत देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है, वह कब तक आएगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। किन्तु दिल्ली की तो भाषा ही हिन्दी है और रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि दिल्ली प्रशासन के अन्दर दो हमारे सलाहकार हैं, उनमें एक सलाहकार हिन्दी लाना चाहते पर दूसरे नहीं लाना चाहते। अब केन्द्रीय सरकार के कहने से कुछ सरकुलर निकले हैं और मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश से एक अवर सचिव भी वहां नियुक्त किए गए हैं कि हिन्दी को लाया जाए। किन्तु जो उनसे बड़े अधिकारी हैं वे नहीं चाहते कि हिन्दी को लाया जाए। तो मेरा निवेदन है कि दिल्ली की भाषा हिन्दी है, दिल्ली के लोग हिन्दी बोलते हैं, और हिन्दी को पसन्द करते हैं। तो फिर कोई वजह नहीं है कि दिल्ली के एक ग्रामीण को अंग्रेजी में पत्र भेजा जाए, या उसको अंग्रेजी में फार्म भरवाना पड़े और उसके लिये सको पैसा देना पड़े। तो मेरा यह आपसे विनम्र निवेदन है कि दिल्ली में हिन्दी होनी चाहिये।

दिल्ली के अनुसूचित जाति वालों के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनको मैट्रिक से आगे पढ़ने के लिए छात्र-वत्तियां मिलनी हैं उनको वे आजतक नहीं मिली हैं। मैं

यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त के नाम से एक इंजिनियरिंग कालिज खुला है। उसको बने दो साल हो गए। उसमें जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। पहले तो यह कहा गया कि इसका विधान तैयार नहीं हुआ है। जब विधान तैयार हो गया तो कहा गया कि अभी फार्म तैयार नहीं हुए हैं। जब फार्म भी तैयार हो गए तो कहा गया कि यह तो समय के बाद आए हैं, इस लिए पैसा नहीं दिया जा सकता। मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप देख।

व्यवसाय और उद्योग में अनुसूचित जाति के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरफ भी आप ध्यान दें।

रिपोर्ट के अन्दर एक बात और कही गयी है कि दिल्ली के लिए नया प्रशासनिक ढांचा बनाया जाएगा। मेरा तो समय हो गया मैं इसके सम्बन्ध में क्या कहूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको देखेंगे। लेकिन वह इतना जरूर देख लें कि आज-कल दिल्ली की जनता की असुविधायें दिन-प्रति-दिन बढ़ रही हैं। एक तरफ कार्पोरेशन है, एक तरफ दिल्ली प्रशासन है और उन के बीच में दिल्ली के देहात पिसे जा रहे हैं। वहां पर न तो डेवेलपमेंट का कोई काम होता है और न कोई दूसरा काम होता है। इस बात को वह जरूर ध्यान में रखें।

एक शब्द और कह कर मैं बैठ जाऊंगा। यहां पर अमलेदार लोग रहते हैं। उन्होंने जमीन किराये पर ली हुई है और उस पर खुद मकान बनाए हुए हैं। लेकिन आज-कल उन की बहुत बेदखलियां हो रही हैं। माननीय मंत्री जी कृपा कर के कोई ऐसा कानून लायें, जिस से उन को बेदखलियां रुक सकें और उन गरीबों को राहत पहुंच सके।

नजफगढ़ एरिया में दो दो कमरे के जो मकान बनाए गए हैं, उस के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसे भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया जाये और उस में नमक ज्यादा डाल दिया जाये, तो वह खराब हो जाता है, वही हालत इन मकानों की है। वहां पर पानी भरा रहता है और टंकियां चूती रहती हैं। इस का परिणाम यह है कि वहां के लोग दुआयें देने के बजाए बददुआयें दे रहे हैं।

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हिन्दी को आज राष्ट्र-भाषा के रूप में न ला कर उस की तिथि को आगे बढ़ाना चाहती है और सब से पहले मैं उस का विरोध करता हूं। शास्त्री जी ने वर्धा और कई अन्य जगहों पर भाषणों में कहा है कि हम अंग्रेजी को सहभाषा बनायगे और वह सब प्रान्तों के लिए समान रूप से होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने हिन्दी में अपना काम-काज करना शुरू कर दिया है, उन का क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विधेयक बनाते समय इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए।

हमारे विरोधी कहते हैं कि हिन्दी को ठूंसा जा रहा है। यह कितने अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि हम को आजाद हुए आज पंद्रह साल हो गए, लेकिन इन पंद्रह सालों में हमने अपनी गलती को महसूस नहीं किया, हिन्दी को राजभाषा नहीं बनाया और हिन्दी को नहीं सीखा बल्कि आज यह कहा जा रहा है कि हिन्दी ठूंसी जा रही है। यह नहीं कहा जाता है कि हिन्दी के बजाये अंग्रेजी ठूंसी जा रही है। मैं समझता हूं कि जब तक अंग्रेजी यहां पर लागू रहेगी, तब तक पिछड़ी जातियों के लोगों का उद्धार नहीं होगा

[श्री ओंकारलाल बरवा]

मैं माननीय मंत्री जी और दूसरे मंत्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि चुनाव के दिनों में गावों में चुनाव प्रचार क्या उन्होंने अंग्रेजी में किया था। वह समय दूर नहीं है। चार साल के बाद वह फिर आने वाला है। उस समय हम बतायेंगे कि वे अंग्रेजी में भाषण करते हैं या हिन्दी में। आज को हिन्दी को पीछे रख कर पिछड़े वर्गों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इस देश के गांवों की गरीब जनता अंग्रेजी नहीं जानती। एक हजार से ऊपर तन्ख्वाह पाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों के इशारे पर आज अंग्रेजी को सहभाषा बनाया जा रहा है और हिन्दी के साथ अन्याय किया जा रहा है।

अंग्रेजों ने जब हिन्दुस्तान पर अपना शासन कायम किया था, तो उस समय अंग्रेजी को इस देश में चलाया था। वे समझते थे कि हिन्दुस्तानी तो निर्बुद्धि और गंवार आदमी हैं और अपनी भाषा में हम इन को पागल बना सकते हैं। उन को गए हुए पंद्रह साल हो गए, लेकिन मंत्री महोदय से यह भी नहीं हो सका कि वह अंग्रेजी के काले पर्दे को हटा दें। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी और दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के अहाते में स्थापित मूर्तियां तब तक नहीं हटेंगी, जब तक हम विदेशी कर्जे से मुक्त नहीं हो जायेंगे। क्यों? हमें डर है कि अगर हम अंग्रेजी को या इन मूर्तियों को हटा देंगे, तो किसी दूसरे देश से विरोध-पत्र आने पर उस का क्या जवाब देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम ने विदेशों से कर्जा लिया था, तो इस शर्त पर नहीं लिया था।

संसार के हर एक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है, जिस में उसका सब काम-काज होता है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले विज्ञान भवन में डाक्टरों का एक सम्मेलन हुआ था। मैं वहां पर आए हुए एक रूसी डाक्टर के पास एक बच्चे की आंखें दिखाने के लिए गया। लेकिन वह डाक्टर हमारी अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ सका। मैं ने यहां के एक डाक्टर से सहायता ली और उन्होंने उस रूसी डाक्टर को उस की भाषा में समझाया। मुझे अफसोस हुआ कि हम हिन्दुस्तान में अपनी राष्ट्र-भाषा को आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन वह रूसी डाक्टर अपनी भाषा का इतना आदर करता है और सब काम उसी में करता है। हिन्दुस्तान में एक विधान, एक जुबान और एक निशान होना चाहिए, लेकिन हिन्दुस्तान का यह दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं होता है। हर एक मुल्क में ऐसा होता आया है।

अब मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस नेता दम भरते हैं कि हम ने शिड्यूल्ड कास्ट्स की उन्नति कर दी है। वे गांवों में जा कर देखें कि उन की क्या हालत है। जानवरों की हालत तो बेहतर है, लेकिन गांवों में शिड्यूल्ड कास्ट्स की हालत इतनी खराब है कि आप देख नहीं सकते।

स्वच्छता दिवस के अवसर पर कोटा, राजस्थान में कुछ नेता, सरकारी अफसर और सरकारी कर्मचारी हरिजनों के घर-बार और मकान देखने के लिए गए। स्वच्छता-दिवस पर ऐसा होता है। उन्होंने जल-पान का आयोजन किया। तब उन में से किसी नेता ने कहा कि मुझे चाय पीने से खट्टी डकारें आती हैं और किसी ने कहा कि मैं ने तो पान खाना छोड़ दिया है। इस तरह जो कट्टर नेता कहलाते थे, उन्होंने भी उस जल-पान को ग्रहण नहीं किया। मैं उन भटनागर साहब को धन्यवाद देता हूं, जो आर्य समाजी हैं, जिन्होंने पान न खाते हुए भी सब से पहले पान खाया। उन्होंने कहा कि मैं पान नहीं खाता हूं, लेकिन इस समय मुझे पान खाना पड़ेगा।

इस के बाद मैं थोड़ा सा कम्यूनिस्टों के बारे में कहना चाहता हूं। अभी लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की तरफ से एक प्रदर्शिनी हुई थी। उस में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने उस को इतना उछाला और जनसंघ की बहुत बुराई की और कहा कि इस में जनसंघ का हाथ है। वह पोस्टर मैं आप को दिखा देता हूं। यह पोस्टर है। देखिए, इस में नेहरूजी का क्या अपमान है? इस में दिखाया गया है कि नेहरूजी ने चीनियों को तिब्बत में आने का रास्ता दिया। यह बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने वहां पर सड़क बनाई थी, क्या इन को इस का पता नहीं था? उन्होंने वहां फौज इकट्ठी की, क्या इन को इस का पता नहीं था। सब कुछ पता था। यह सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने उन को आने का मौका दिया।

जब कम्यूनिस्ट चीन ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया, तो हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने प्रधान मंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम इंडियन कम्यूनिस्ट हैं। हमारे प्रधान मंत्री शंकर भगवान् की तरह बहुत सीधे-सादे हैं। वह उस प्रस्ताव पर मोहित हो गए और उन्होंने उसको मान्यता दी। आप आज पश्चिमी बंगाल की हालत देखिए। वहां के वित्त मंत्री ने जो कहा है, उससे स्पष्ट नजर आता है कि हमारे कम्यूनिस्ट भाई कितने देशभक्त हैं। बम्बई में भी उनकी गतिविधियां इस तरह से चल रही हैं कि हमको उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

चीन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हवाई हमले से बचाव के लिए दिल्ली में खाइयां वगैरह खोदी गई थीं। हमारे प्रधान मंत्री ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि यह कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहना चहता हूं कि चीन के इस रुख को देखते हुए हिन्दुस्तान के बचाव के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं एक दोहा कह कर समाप्त करता हूं।

जल उठा चीन देख हिन्दुस्तान की आजादी को,
मरवा दिये उसने लाखों सैनिक करने कम आबादी को।
यह हिम्मत है हिन्दुस्तान की पीछे हट कर आगे बढ़ना,
नेहरू-नीति नहीं सिखाती आगे हो कर लड़ना।
खेल कबड्डी का सिखलाता पीछे हट कर आगे बढ़ना,
सम्भल सम्भल कर दाव बचा कर दुश्मन को नीचे धरना।
जाल बिछा "भाई-भाई" का हिन्दुस्तान में आया था,
भूल गया कुछ दिन पहले जापान ने मजा चखाया था।
सम्भल गए हैं हम भी अब, मुंहतोड़ जवाब दे देंगे,
अगर किया दोबारा हमला, तो दांत खट्टे कर देंगे।
यह चाल है उसकी अब पाकिस्तान को आगे करने की,
चीनी चूहा जब निकलता है, तब आती है मरने की।
मैं नम्र निवेदन करता हूं, अगर चीन से लड़ना है,
फट न होने दो घर में, दुश्मन के अगर भुस भरना है।
एक सूत्र में बंधे रहें, हमको न तनिक पिछड़ना है,
देशभक्ति की भावना सबके दिल में भरना है।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के बारे में जो बातें कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कही गई हैं, सबसे पहले मैं उनका ही जवाब देना चाहती हूं। चीनी आक्रमण के बाद, एमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद हमारे देश में जो हालत पैदा हुई, उसका मुकाबला करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अगर कुछ कार्रवाई की, तो कोई बुरा नहीं किया और मैं अपनी गवर्नमेंट को उसके लिए धन्यवाद देती हूं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी को याद दिलाना चाहती हूं कि जो भी कम्युनिस्टों की गिरफ्तारियां हुई हैं और जिसके बारे में वे कम्प्लेन कर रहे हैं, उसका मुकाबला अगर केरल में जो कुछ हुआ था जिस वक्त कम्युनिस्टों का वहां शासन था, उससे किया जाए, पता तो लगेगा कि कुछ भी आज नहीं हुआ है। जब केरल में उनका राज था और जब यह डिफेंस आफ इंडिया एक्ट था ही नहीं, तब उन्होंने कैसे रूल किया था....

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कैसा किया था?

श्रीमती जयाबेन शाह : इसको सारा देश जानता है, यह सदन जानता है कि कैसा रूल था। इट वाज सिम्पली ए रेन आफ टैरर।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रिवेंटिव डिटेंशन कभी यज नहीं किया था हम लोगों ने।

श्रीमती जयाबेन शाह : क्या कुछ वहां नहीं हुआ था। इतना कुछ होने के बाद भी जब आप कम्प्लेंट करती हैं, तो आश्चर्य होता है। यह बात साफ हो चुकी है कि जब उनका वहां पर रूल था तो कितने ही कांग्रेसियों को कष्ट पहुंचाया गया, कितनों ही को मर्डर कर दिया गया और कितनों ही की जानें खतरें में थीं। इन सब बातों को सारा देश, और यह सदन भी अच्छी तरह से जानता है। यही कारण थे जिनकी वजह से उनका राज वहां खत्म हुआ। यह सब कुछ देख चुकने के बाद भी ऐसी वसी बातें अगर यहां पर की जाती हैं और इस तरह के विचार गवर्नमेंट के खिलाफ प्रकट किये जाते हैं, तो मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट के साथ वह अन्याय कर रहे हैं।

यहां पर लेबरर्ज की बात भी की गई है और कहा गया है कि उन्होंने इतना प्रोडक्शन को बढ़ाया है, इतना पैसा डोनेट किया है, इतना चन्दा इकट्ठा किया है। मैं कहूंगी कि लेबरर्ज में से ज्यादा तर लोग इंटक के साथ हैं। यह बात भी साफ हो जानी चाहिये। पार्टी तो रीजनेबल बात कहती है। मगर मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों आप इस पर आबजैक्टिवली सोचते नहीं हैं। मैं समझती हूं कि जिन छोटी छोटी बातों को लेकर के कम्युनिस्ट भाइयों ने इस सदन का समय लिया है, वह उचित नहीं था।

यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, वैसा किया है, इतने टैक्स लगा दिये हैं। पता नहीं अगर दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट होती अगर हमारे रंगा साहब की पार्टी की गवर्नमेंट होती, जनसंघी भाइयों की गवर्नमेंट होती, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हमारे कम्युनिस्ट भाई क्या करते। लेकिन अगर दूसरी पार्टी की हुकूमत होती तो हमारे कम्युनिस्ट भाइयों को अंडर-ग्राउंड जाना पड़ता, यह बात भी पक्की है। मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से कहना चाहती हूं कि वे अपने रवैये पर फिर से गौर करें और इस तरह की बातें कहना छोड़ दें।

यह बात तो यों ही मैंने कह दी। जिस बात को खास तौर पर मैं कहने के लिए खड़ी हुई थी, उस पर अब मैं आती हूं, जो मेरा मेन परपज़ था। मैं स्कैवेंजर्ज की हालत आपके सामने रखना चाहती हूं। आज स्पेस का युग है चन्द्रमा तक लोगों के जाने की बात

है। ऐसे जमाने में सिर पर नाइट सायल उठाने का जो सिस्टम है, वह हमारे यहां से अभी तक नहीं मिटा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिए कुछ रकम रखी गई है। जो रिपोर्ट यहां पेश की गई है वह दो बरस पुरानी है। उसमें जो कुछ कहा गया है उससे पता चलता है कि उस धनराशि का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। तीसरी योजना में योजना में इसके लिए जो पैसा रखा है, उसका अभी तक कितना उपयोग हुआ है, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि उसके आंकड़े नहीं दिये गये हैं। मैं चाहती हूं कि जो भी रकम रखी जाए, उसको पूरे तौर से खर्च करने की कोशिश की जाए। डेमोक्रेसी में ह्यूमन डिगनिटी बहुत जरूरी होती है और आदमी की पूरी पूरी प्रतिष्ठा होनी चाहिये। जब हम किसी इंसान को अपने सिर पर मैला लेकर चलते देखते हैं तो हमारे दिलों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह नजारा हम से देखा नहीं जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जो मिट नहीं सकती है। हमने यह तय किया है कि तीसरे प्लान के दौरान में हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन जिस गति से हम चल रहे हैं, इसी गति से चलते रहे तो तीसरी योजना में भी यह काम पूरा नहीं होने वाला है। इसके लिए ज्यादा कोशिश होनी चाहिये और पैसा भी ज्यादा खर्च किया जाना चाहिये। जो योजनायें बनती हैं वह परसेंटेज के बेसिस पर चलती हैं और आप चाहते हैं, कि कुछ पैसा लोकल आथोरिटीज दें, म्यूनिसिपैलिटीज दें, खर्च करें। उनके पास इतना पैसा होता नहीं है। साथ ही उनमें इतना उत्साह भी नहीं होता है। इस कारण से काम नहीं बनता है। मैं चाहती हूं कि इस बारे में फिर से सोचा जाए और इस प्रथा आदि को खत्म किया जाए।

अब मैं ला एंड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। हमारे देश में ला एंड आर्डर की स्थिति दिन प्रति दिन गिरती ही जा रही है। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूं। इमारल ट्रेफिक इन विमेन यहां पर बढ़ रहा है। जितना इसको मिटाने की कोशिश की जाती है, उससे भी आगे यह बढ़ रहा है और कहीं कहीं तो उसमें पुलिस अफसर भी शामिल हो जाते है जिस की वजह से उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। देहाती एरियाज में, रूरल एरियाज में लोगों की सिक्योरिटी का आजकल क्या हाल है, इसको भी आप देखें। लोगों पर कानून का जो प्रभाव था वह डर खत्म हो गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। इसका नतीजा यह है कि जो अनडिजायरेबल एलीमेंट्स है, वे सिर उठा रहे है। उनको काबू म करने का कोई न कोई तरीका अवश्य सोचा जाना चाहिये। अगर डमोक्रेसी में लोगों के दिमागों में ऐसी भावना आ जाए कि कानून से कुछ नहीं हो सकता है और वे निराश हो कर बैठ जायें. तो यह खतरनाक बतायी जा सकती है। जितने क्राइम्ज होते हैं, वे सब के सब रजिस्टर भी नहीं होते हैं और कोर्ट में जाने से लोग डरते हैं। वहां पर जो परेशानी होती है, उसको वे मोल लेना नहीं चाहते है। यह सवाल बहुत बड़ा है। मैं चाहती हूं कि इसको हल करने का कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाला जाना चाहिये। हमारी जनता अनपढ़ है, उस को पूरा नालेज नहीं है, उसको पता नहीं है कि किसी चीज को कैसे करना चाहिये। जैसी भी यह जनता है, उसको आपको नजर में रखना होगा और उसको देख कर के ही कानून बनने चाहिये और उन पर अमल होना चाहिये, उनका इम्प्लेमेंटेशन होना चाहिये।

अब मैं प्रोहिबिशन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। जब भी टैक्सों की बात आती है तो कहा जाता है कि प्रोहिबिशन को खत्म कर दो। मैं कहती हूं अगर इसको खत्म कर दिया गया तो हमारे देश का मारल आज से भी कहीं नीचे चला जायेगा। हम हमेशा कहते हैं कि हम को अपना स्तर ऊंचा उठाना है, तब वह कैसे हो सकता है। जिन्होंने देहाती एरियाज में और लेबरर्ज में काम किया है, वे कहते हैं कि इस प्रोहिबिशन से उनको बहुत फायदा पहुंचा है और उसको देखते हुए

[श्रीमती जयाबेन शाह]

इस पालिसी को और आगे बढ़ाया जाना चाहिये और देश में कम्पलीट प्रोहिबिशन लागू होनी चाहिये ।

अब में कनवर्शंज के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । जो मिशनरीज़ या मिशन हिन्दुस्तान आए हैं, उन्होंने जितने भी सेवा के कार्य किये है, उन सब के लिए मैं उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती हूं और उन सब के लिये मैं उनका शुकरिया अदा करती हूं । लेकिन आज जो आ जैक्ट है वह बहुत ही आबजैक्शनेबल है । वे गरीब लोगों के बीच जा कर ट्राइबल लोगों के बीच जा कर उनके लिये शालायें खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं और साथ साथ उनका कन-वर्शन भी करते है और ये वारदात दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । इसकी कितनी इटेंसिटी है, इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं । जब यहां पर नागालैंड बनाने के बिल आया था तब इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्यों ने कहा था कि लैन्ड शब्द को हटा दिया जाना चाहिये और उसके स्थान पर भूमि या प्रदेश शब्द रखा जाना चाहिये । प्रधान मंत्री ने उस वक्त कहा था कि वे लोग लैंड शब्द रखने के बहुत आग्रही है । हम नहीं कर सकते है । उसका मतलब क्या था ? उसका मतलब यह है कि लैंगुएज को, अपनी कल्चर को, अपनी सिविलाइज़ेशन को मिटाने की कोशिश है । इस तरह की जो कोशिशें मिशनरीज़ की तरफ से होती है इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये ।

करप्शन का बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है । किस तरह से यह हट सकती है, वह उन्होंने नहीं बताया है । मैं इस से उनके साथ सहमत हूं कि हमारे देश में जो कानूनी बातें चलती हैं, उन से लोगों को बहुत परेशानी होती है और उसकी वजह से करप्शन बढ़ती है । उसका सामना करना सामान्य लोगों के लिये बहुत मुश्किल होता है । में चाहती हूं कि इसके बारे में एक कमेटी या कमिशन बनाया जाए । वह इस बारे में सोचे और ऐसा कानून बनाय, ऐसा कोई प्रौसिजर रखे, जिस में गरीब जनता को फयदा हो ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: अपने भाषण के दौरान मैं पहिले उन कार्यों का व्योरा दूंगा जिनके लिये गृह मंत्रालय जिम्मेदार है और दूसरे उन आलोचनाओं का उत्तर दूंगा जो मेरे मंत्रालय के कार्यों के संबंध में की गयी है । जहां तक पहले भाग का संबंध है हमने एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है । एक बड़े संसदीय विशेषज्ञ ने उस प्रतिवेदन की प्रशंसा की है । गृह मंत्रालय ने प्रतिवेदन में अपने कार्यों के संबंध में यथातथ्य निष्पक्ष विवरण दिया है ।

प्रतिवेदन में जो कुछ कहा गया है मैं उसके संबंध में कुछ तथ्य पेश करूंगा जिससे कि गृह मंत्रालय का सच्चा चित्र सामने आ जाये ।

सर्व प्रथम मैं १९६१ की जनगणना का उल्लेख करूंगा । इसके अन्तर्गत ४४ करोड़ व्यक्तियों से जानकारी लेने का कार्य किया गया । योजना प्रतिरक्षा तथा अन्य कार्यों के लिये इसकी नितान्त आवश्यकता है । अनुभव तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस समय कुछ अन्य कार्य भी किये । सर्व प्रथम हमने सारे देश में इस कार्य के संबंध मैं एकरूपता लाने का प्रयत्न किया । हमने ११ योजनायें लीं उनके अन्तर्गत महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किये तदनुसार प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन किये । इसमें से ७ योजनायें अमल में लायी जा चुकी है बाकी चार पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त हमने वार्षिक नमूना सर्वेक्षण भी किये है। इस अवसर पर मैं उन सभी अधिकारियों तथा व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग से यह कार्य हुआ।

तत्पश्चात जनशक्ति के उपयोग का प्रश्न आता है। इसका कार्य जनशक्ति निदेशालय करता है। पिछले तीन वर्षों में हमने वैज्ञानिकों का एक पुंज बनाया जिसके प्रशासन का दायित्व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद' पर है। इस पुंज में ५०० व्यक्ति है और उन्हें कम से कम ४०० रु० मासिक मिलता है। हमने कोई प्रतिष्ठान की सहायता से व्यवहारिक जनशक्ति अनुष्ठान की स्थापना की है। ५ लाख रुपये की लागत से इसकी नयी इमारत बनने जा रही है। फोर्ड प्रतिष्ठान हमारे संस्था के लिये ५ लाख रुपये की अनावर्ती राशि देगी। हमने एक बहुत महत्वसूर्ण परियोजना जिसका नाम भारत और चीन में जनसंख्या शिक्षा व कार्यशक्ति है अपने हाथ में लिया है। इसके साथ साथ और भी बहुत से कार्य किये जा रहे है। जनशक्ति संबंधी तथ्य, भारत तथा चीन में आर्थिक विकास, राज्य सरकार की टेक्नीकल जनशक्ति की आवश्यकता टैक्निकल व्यक्तियों का वर्गीकरण इत्यादि।

यह निदेशालय टैक्निकल व्यक्तियों की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है विश्व के सभी अविकसित देशों में डाक्टर और इंजीनियरों की कमी है। इसके लिये हमने योजना आयोग के एक सदस्य प्रो० ठक्कर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। इस समिति ने यह निश्चय किया है कि विश्वविद्यालयों से इजीनियरिंग स्नातकों के पास होने की अवधि ५ वर्ष से घटाने का अनुरोध किया जाये इसी प्रकार चिकित्सा स्नातकों के क्षेत्र में इस अवधि को ५ १/२ वर्ष से घटा कर ४ १/२ वर्ष करने की सिफारिश की गयी है। इसके साथ प्रति वर्ष हर संस्था में लिये जाने वाले प्रवेशार्थियों की संख्या २०० बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयत्न से हम १०,००० सहायक नर्सों को प्रशिक्षित करने का प्रयत्न कर रहे है।

श्री रंगा ने यह आरोप लगाया है कि दिल्ली को अन्य संघ क्षेत्रों के मुकाबले बहुत बड़ी राशि दी जाती है। यह आरोप निराधार है मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जो इस प्रकार है १९६३–६४ में दिल्ली संघ क्षेत्र की कुल आय १,४२५ लाख तथा व्यय ३,५०६ लाख यानि आय का २३१ प्रतिशत होगा। हिमाचल प्रदेश मैं १९६३–६४ में व्यय वहां की आय ३९६ प्रतिशत होगा इसी प्रकार लक्कादीव तथा मिनिकोय द्वीप समूहों में यह ७,२३३ अंशदान और निकोबार ३५२ प्रतिशत त्रिपुरा में २,०२७ प्रतिशत तथा मनीपुर में ८९५ प्रतिशत है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पैकेज कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, १९६२ से वहां एक कृषि कालेज खोला गया है, २७,००० एकड़ म सिंचाई की योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी प्रकार मनीपुर में इम्फाल बिजली परियोजनायों पर ४३.८ लाख व्यय किया जायेगा।

लीमाखोंज जल विद्युत' परियोजनायें में ४ वर्ष लगेंगे। काम की संतोषजनक प्रगति हो रही है, तथा संचार साधनों को ठीक किया जा रहा है। इसी इलाके में नई कछार सड़क जो १५० मील लम्बी है बनायी जा रही है। साथ साथ ४०० मील लम्बी सीमांत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में इसी प्रकार प्रगति की जा रही है।

[श्री हजरनवीस]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री कामत ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश राज्य काल में दशा अपेक्षाकृत अच्छी थी। मेरे विचार से यह आरोप गलत है। आज लोगों में अधिक राजनैतिक और सामाजिक जागृति है। निस्संदेह हमारे देश में भ्रष्टाचार हमारे देश का अंग बन गया है तथापि हमें इसे दूर करने का संकल्प करना चाहिये। तथापि हमें यह याद रखना चाहिये कि भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान था।

†**डा० उ० मिश्र** (जमशेदपुर) : उनका कथन यह था कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

†**श्री हजरनवीस** : मैं यह कहने के लिये प्रस्तुत नहीं हूं कि भ्रष्टाचार की मात्रा किसी भी रूप में बढ़ गई है। गत १५ वर्षों में सरकार ने कुछ सीमा तक काफी कुछ किया है। उस कार्यकलाप में वृद्धि हुई है। सभा को ध्यान होगा कि जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही रोगों में वृद्धि होती रहती है उसी प्रकार अपराधों की संख्या भी बढ़ती रहती है। किन्तु मैं यह कहने के लिये प्रस्तुत नहीं हूं कि सामान्यतया लोगों में हैं नैतिकता का ह्रास हुआ है। उनका स्तर ऊंचा है। लोग किसी एक बात पर टिप्पणी किये बिना नहीं रहेंगे जब कि विदेशी शासनकाल में वह उसी बात पर आपत्ति नहीं उठाते थे। यदि श्री कामत यहां होते तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता। उन्होंने त्यागपत्र देते समय एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे अभारतीय, ब्रिटिश व्यक्तियों का उल्लेख किया था जो उसी सेवा में नियुक्त थे जिसमें वह स्वयं। मुझे स्मरण है कि एक विशेष सदस्य स्कोटिश थे और उस समय उन्होंने जो शब्दबंध प्रयुक्त किया था उसका भी मुझे स्मरण है। श्री कामत सर्वदा मनोरम भाषा का प्रयोग करते हैं. यद्यपि यदा कदा उसमें कटुता भी होती है,। उनके द्वारा प्रयुक्त यह शब्दबंध अत्यन्त प्रभावशाली था जो कि मेरे स्मृति-पटल पर अंकित हो गया था। उस स्कोटिश अधिकारी ने खजाने से कुछ चांदी के बर्त्तन निकाले और फिर उन्हें वापिस नहीं रखा। निश्चय ही यह अनुचित कार्य था। प्रत्येक व्यक्ति ने इसे अनुचित स्वीकार किया किन्तु इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। श्री कामत ने इस शब्द बंध का प्रयोग किया था : "स्कोट दंड से बच गया (दि स्कॉट वेन्ट स्कॉट-फ्री)"। यह शब्द बंध मेरे स्मृति-पटल पर बना रहा। इसलिये प्रत्येक समुदाय में, सर्वदा, भ्रष्ट और कदाचारी व्यक्ति रहे हैं। यहां पर यह दृश्यगत हुए हैं क्योंकि सरकार के प्रशासन पर व्यय १०० करोड़ रुपये से बढ़ कर ८०० अथवा ९०० करोड़ रुपये हो गया है। हमने ऐसे कार्य-क्षेत्रों में प्रवेश किया है और ऐसे कार्यों का सम्पादन अपने हाथ में लिया है कि जिस पर ब्रिटिश राज में सरकार विचार भी नहीं करती थी। किन्तु सामान्यतया, मैं यह स्वीकार नहीं करता कि यह भ्रष्टाचार विद्यमान है। मैं अमरीका गया था। पुलिस के सम्बन्ध में मुझे वहां भी वही उक्तियां सुनने को मिलीं। ब्रिटेन की ही बात लीजिये। वहां एक पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई है। हाल ही में एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है जिसके पढ़ने के उपरान्त, जैसा कि श्री कामत ने कहा है यदि देशवासी बैचैनी और दूषित वातावरण से निराशा का अनुभव कर रहे हैं तो, वह कुछ राहत अनुभव करेंगे। मैं गतवर्ष प्रकाशित पुस्तक में से एक उद्धरण पढ़ कर सुनाता हूं। यह १९६२ में रोल्फ द्वारा प्रकाशित "पुलिस एण्ड दि पब्लिक" के नाम से विख्यात है। उसमें यह कहा गया है :

> "अधिकांश पुलिस वाले उसी प्रकार के हैं जिनकी वाछां की जाती है और इस बात को न मानना अकृत्यज्ञता होगी। किन्तु लंदन और प्रान्तों की कुल पुलिस शक्ति की ख्याति पर धब्बा लगाने वाले दुष्ट व्यक्तियों की संख्या और उनके दुष्टकर्म

---

†मूल अंग्रेजी में

की कमी नहीं है। दैनिक समाचारपत्रों की छानबीन से इस दुःखद तथ्य का पता चलता है कि बहुत से पुलिस अधिकारियों पर छोटी मोटी चोरियों, सेंध लगाने, मारपीट करने, धोखे बाजी, व्यभिचार और अन्यान्य अपराधों के सम्बन्ध में अभियोग चलाया जाता है, दण्ड दिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है।"

दूसरे पृष्ठ में कहा गया है कि :

"पुलिस में घूसखोरी को कठोरतापूर्वक समाप्त कर दिया जाना चाहिये। यह अत्याधिक मात्रा में विद्यमान है।"

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात् इंग्लैंड में एक "रोयल कमीशन" की नियुक्ति की गई थी और उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इन में से बहुत सी शिकायतें निराधार हैं।

†**श्री हजरतवीस** : मुझे विदित नहीं। मुझे माननीय मित्र से ही जानकारी मिली है। मुझे ज्ञात नहीं था कि प्रतिवेतदन प्रकाशित हो चुका है। (**अन्तर्बाधायें**)। किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि वैसा ही आयोग भारत में नियुक्त किया गया, तो बहुत सी बातें जिनकी यहां चर्चा की जाती है, निराधार ही ठहराई जायेंगी। जिस प्रकार के आरोप यहां किये जाते हैं उसी प्रकार के उस देश में भी किये जाते थे जहां स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की दीर्घकालीन परम्परा है।

इसलिये मेरा कथन है कि बहुत सी बातें जो कही जाती हैं, सच नहीं होतीं। मैं उनमें से किसी का दोषमार्जन नहीं करता, न ही किसी को क्षुद्र समझता हूं। ऐसी घटनायें नहीं होनी चाहियें। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें ऐसो बातों के मूलोच्छेद के लिये प्रत्येक संभव सावधानो बरतनी चाहिये। किन्तु सतर्कता का यह अर्थ नहीं कि पुलिस में अथवा कार्यालयों के समस्त कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न की जाये। उन्हें यह अनुभव नहीं होने देना चाहिये कि उनके कार्य करते समय कोई उनकी छाती पर चढ़ा हुआ है अथवा निकट से उनकी निगरानी कर रहा है। वरन् उनमें ऐसी भावना होनी चाहिये कि जब तक वह सही मार्ग पर चल रहे हैं और कोई दुष्कार्य नहीं करते कोई भी उन पर हाथ नहीं डालेगा। और केवल इस कारण से कि वह किसी विशेष पदाधिकारी से अप्रसन्न हैं अथवा लोग उससे इसलिये अप्रसन्न हैं कि वह उनकी इच्छानुसार कार्य नहीं करता, उसके भविष्य को नष्ट नहीं कर सकेगा। उन्हें यह अगुभव होना चाहिये कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इनकी ख्याति पर दोषारोपण नहीं करेगा न ही उस पर आपत्ति उठायेगा। हर प्रकार से सतर्कता बरती जाये। किन्तु निश्चय ही सब अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं। दुष्टजन प्रत्येक स्थान पर हैं। इसलिये सतर्कता बर्तने के साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अधिकारियों के मन में यह भावना बनी रहे कि जब तक वह अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं तब तक उन पर अथवा उनकी पदवृद्धि पर कोई आंच नहीं आयेगी।

श्री माथुर ने सरकारी कर्मचारियों का उल्लेख किया। मुझे खेद है कि इसके लिये मेरे पास थोड़ा ही अवकाश है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि सभा के जिन दो माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में अधिकतर इसी बात पर जोर दिया, उन्होंने विशिष्ट प्रशासकों के रूप में कार्य किया था और मुझे ज्ञात नहीं है कि एक सदस्य के रूप में श्री कामत और श्री माथुर प्रशासक के रूप में श्री कामत और श्री माथुर के ऋणी हैं अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरतवीस]

अब यदि यह आरोप लगाया जाता है कि इस देश की प्रशासकीय सेवा देश की प्रजा-तंत्रीय पद्धतियों के साथ सहयोग नहीं करती और रुकावटें डालती है तो मैं इस आरोप का जोरदार खंडन करता हूं। हमें उन से पूर्ण सहयोग और उत्तम तथा विश्वसनीय मार्ग-दर्शन प्राप्त होता है और मैं नहीं जानता कि इस कोटि की घोर निष्ठा की सेवा के बिना सरकार का कार्य किस प्रकार चलेगा। मुझे केवल चार वर्ष से ही प्रशासन का अनुभव है। मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ कि किसी राजनैतिक मख्याधिकारी द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हो और उसे उस आवश्यक कार्य को करने से रोकने के लिये ही उस प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई गई हो। यह लगभग हमेशा ही होता है कि भारत सरकार के स्तर पर किया गया निर्णय कई राज्यों पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर और बहुत से व्यक्तियों पर प्रभाव डालता है। चाहे कोई मंत्री किसी विशेष विचार अथवा योजना के संबंध में कितना ही गभीर क्यों न हो, चाहे वह उस के उचित होने के विषय में कितना ही विश्वस्त क्यों न हो और चाहे यह वास्तव में ही लाभप्रद क्यों न हो, प्रत्येक नये सिद्धांत और प्रस्ताव के समान इस पर भी तीक्षण आलोचना की की जानी चाहये। ऐसी परीक्षा में से गुजरना अच्छे सिद्धांत अथवा अच्छे कार्य की कसौटी है। एक प्रस्ताव की कई स्थानों पर परीक्षा करनी पड़ती है। यह किसी कमरे में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। इसके विस्तृत प्रभावों की जांच की जानी चाहिये। इस में व्यय करना पड़ता है। इस में सेवा और अधिकारियों का स्थानांतरण करना होता है। इसके प्रभावों का भी अनुमान लगाना होता है। इस लिये जहां मंत्री मूल प्रस्तावक होता है, किसी मंत्रालय को उत्साह शक्ति और नया दृष्टिकोण देता है वहां प्रशासनीय कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यान्वित किये जाने के विषय में मार्ग दर्शन किया जाता है। वह कार्य वह बहुत कुशलतापूर्वक और निष्ठापूर्वक करते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री ने ठीक नहीं समझा। मेरी शियकायत यह थी कुछ एक को छोड़ कर शेष मंत्री नौकरशाही के दबाव में आ जाते हैं।

†**श्री हजरतवीस** : मैं ऐसा नहीं समझता। असैनिक सेवा एक ऐसी नाजुक चीज है कि इसे तुरन्त समाप्त किया जा सकता है। किन्तु यदि ऐसा किया गया, तो यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय विपत्ति होगी। यदि हम इस से ठीक काम लें, तो इस से हमें अत्यधिक लाभ हो सकता है।

कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में, मैं श्री माथुर से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्हें तुरन्त ठीक करने की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपील या अभ्यावेदन करता है, तो निर्णय करने वाला प्राधिकारी उसे सुनने का पूरा अवसर देकर अपना निर्णय देगा। किन्तु त्येक मामला मंत्री के स्तर पर नहीं जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि मामले पर निर्णय के बाद किसी सदस्य द्वारा फिर उठाये जाने पर, पुनर्विचार किया जाता है। वर्तमान गृहकार्य मंत्री बहुत कोमल हृदय के हैं।

कर्मचारियों के बारे में जहां सिद्धांत का प्रश्न हो, हम अवश्य उन के संघों से सलाह लेंगे। हम चाहते हैं कि उन की शक्ति और उपयोगिता बढ़े।

†**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर) : आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि राजस्थान और पाकिस्तान के सीमान्त पर बहुत सी डकैतियां हो रही हैं। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री जी से

---

† मूल अंग्रेजी में

कहूंगा कि वे सदन को बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और उन डकैतों को जो भारत के होते हुए, पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे देश में डकैतियां करते हैं, भारत में प्रत्यर्पण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

मैं यह भी चाहता हूं कि केन्द्रीय सीमान्त पुलिस के प्रश्न पर, जो कि उन राज्यों के लिये होगी, जिन का अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त है, पुनर्विचार किया जाये। इस से तीन लाभ होंगे—पहला यह कि केन्द्रीय पुलिस द्वारा समन्वित दृष्टिकोण रहेगा, दूसरा पुलिस वालों पर कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं होगा और तीसरा यह कि संसद् इन डकैतों को पकड़ने में अधिक समर्थ हो सकेगा। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सीमान्त पुलिस डकैतों की समस्या को अन्तिम रूप में हल कर सकेगी।

श्री गुलशन (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो रोज़ से होम मिनिस्ट्री पर हो रही बहस को सुन रहा हूं। होम मिनिस्ट्री पर देश की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस समय तो इसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, जब कि देश में संकट काल है।

इस बहस में दो तीन विषयों पर बहुत चर्चा चली है। पहली बात तो यह है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। जब आनरेबल श्री लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर बने, तो देशवासियों को यह आशा थी कि चूंकि वह देशभक्त, ईमानदार और काम को सच्ची लगन से से करने वाले हैं, इसलिए अब हालत में कुछ सुधार होगा। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि भ्रष्टाचार का समुन्दर बहुत बड़ा है, जिस की लहरें बहुत बढ़ गई हैं और शास्त्री जी का शरीर छोटा है और इसलिये पता नहीं कि वह इस को कैसे पार करेंगे। लेकिन उन की गम्भीरता से जो कुछ आशा होती है कि शायद वह इस को पार कर जायें। मुझे याद है कि जब वह रेलवेज मंत्री थे, तो एक हादसा हुआ, जिस को वह सह न कर सके और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

आज भ्रष्टाचार की हालत यह है कि बहुत बड़े स्कैंडल होते हैं, स्मगलिंग होती है, डकैतियां पड़ती हैं; कत्ल होते हैं। पिछले दिनों हम ने अखबारों में पढ़ा कि तांबे की तार बहुत बड़ी मिकदार में पकड़ी गयी। भाखड़ा का स्कैंडल हुआ। जब किसी को पकड़ने की बात हुई तो क्या कोई डायरेक्टर पकड़ा गया या इंजीनियर पकड़ा गया या कोई बड़ा अफसर पकड़ा गया ? नहीं। कोई कांस्टेबल, कोई पटवारी, कोई क्लार्क पकड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग रिश्वत लें, तो देश को उतना नुक्सान नहीं पहुंचता, क्योंकि वे दो, चार, पांच रुपये लेते हैं, लेकिन देश को लाखों करोड़ों रुपयों का नुक्सान करने वाले जो लोग हैं, उन के साधन भी उतने ही बड़े हैं, और इस लिए वे बच जाते हैं। यह जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस के कारण क्या हैं ? क्यों यह रुक नहीं रहा है ? यह समुन्दर इतना क्यों बढ़ गया है ? इसका कारण यह है कि छोटे से ले कर बहुत दूर तक यह लिंक बना होता है। मैंने कल अखबार में पढ़ा है। बीकानेर में बीकानेर जिले के कांग्रेस के प्रेज़ीडेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है, इसको भी आप देखें। उनको इसलिये पकड़ लिया गया है कि वह डकैतों के साथ मिले हुए थे, लूट मार का जो माल है, उस में उनका हिस्सा था। मैं इस बात के लिए वहां की पुलिस को बधाई देना चाहूंगा . . .

श्री त्यागी (देहरादून) : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर सोच रहा था . . .

श्री त्यागी : क्या यह मुकदमा तय हो गया है कि या अभी चलना है। अगर फर्ज कीजिये यह सब-जुडिस है तो इस तरह की बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहना और उसका जिक्र करना कि उसका ताल्लुक क्या था, नाजायज बात है ।

श्री गुलशन : कल हो अखबार में निकला है । मेरे पास अखबार पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : एतराज यह है कि जब एक आदमी पकड़ा गया है और उस पर यह इल्जाम है कि वह डकैतों के साथ मिला हुआ था और वह दे रहे हैं मुबारिकबाद पुलिस को कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है, अब अगर अदालत उसको बाद में बेगुनाह करार दे देती है और कह देती है कि बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं था तो फिर आ कर के यह कह देना कि मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने . . .

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मुबारिकबाद दी जा सकती है। मैरिट्स पर वह नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता है कि अब पकड़ने वालों को दें और बाद में जब पता चले कि पुलिस ने गलती की और अदालत उसको छोड़ दे तो फिर अदालत को मुबारकबाद दें। मैं सिर्फ इसलिये खामोश था कि वह कुछ इंटर-स्टेट मामले के बारे में कह रहे थे। वर्ना यह ला एंड आर्डर की बात है और स्टेट का मामला है और यहां नहीं उठाया जा सकता है। कुछ लफ्ज उन्होंने ऐसे कहे इंटर-स्टेट कि मैं उस वक्त कुछ सोच में पड़ गया कि आया स्टेट गवर्नमेंट का इस से ताल्लुक है या नहीं, आया खामोश रहूं या कुछ कहूं । वैसे एक स्टेट का ला एन्ड आर्डर का पाजिशन आप नहीं ले सकते हैं इस वक्त ।

†**श्री कपूर सिंह** : वे घटना पर नहीं, उसके सिद्धांत पर जोर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उस में भी असर हर एक पर पैदा होगा। आप तो शायद आपस में साथ होंगे, मगर जो आम पब्लिक पर असर होगा, वह ठीक नहीं होगा ।

श्री गुलशन : एक स्टेट का मैंने जिक्र किया, इसलिये इस पर एतराज हुआ। लेकिन हिन्दुस्तान तो एक है। ये जितनी स्टेट्स हैं, ये इस शरीर के कान हैं, नाक हैं, आंखें हैं और जो सारा शरीर है वह भारत है। हिन्दुस्तान अलग अलग स्टेट्स से बना हुआ है और केवल एक स्टेट का ही नाम हिन्दुस्तान नहीं है——

अध्यक्ष महोदय : हमारी कांस्टीट्यूशन ऐसी है कि आंख का एक जगह जिक्र किया जा सकता है, कान का दूसरी जगह और तीसरी चीज का तीसरी जगह और जो सब का इकट्ठा हो वह यहां हो ।

श्री गुलशन : मैं सब को इकट्ठा कर रहा हूं। एक मिसाल ही मैंने दी है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। यह तो मैंने एक नमूना पेश किया है कि पुलिस वालों को मुश्किल पड़ जाती है उस वक्त जब उनको मजबूर किया जाता है कि भाई यह तो हमारा आदमी है, कोई बात नहीं है।

---

†कैल अंग्रजी में

बेचारे पुलिस वालों का भी बाद में पता नहीं क्या बनता है। मैं यह कहने वाला था कि उन्होंने हिम्मत तो दिखा दी लेकिन पता नहीं अब किस मुसीबत में वे पुलिस वाले पड़ेंगे।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का मसला आया है और बहुत चर्चा उसकी हुई है। मैंने पिछले साल भी सर्विसिस के बारे में आंकड़े दिये थे और अब भी मेरे पास बहुत से हैं। चूंकि वक्त नहीं है इस वास्ते मैं देना नहीं चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक उन लोगों के रहन सहन का ताल्लुक है, वे जब सरकार की योजनाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके सामने बहिश्त का नक्शा आ गया है लेकिन जब उसके अमल को वे लोग देखते हैं तब उनको पता चलता है कि कुछ भी नहीं निकलने वाला है।

पिछले साल की रिपोर्ट में १९६१-६२ की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि शैड्यूल्ड कास्ट लोगों में जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिये ३३० ब्लाक खोले जायेंगे। लेकिन इस साल की रिपोर्ट में, १९६२-६३ की रिपोर्ट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया कि हम इसके सिरे चढ़ गए हैं। पंजाब में पिछले साल आठ करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाये गये थे शैड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर और यह रकम लोगों से वसूल भी कर ली गई थी। पता नहीं वह रुपया कहां चला गया है। हरिजनों की तो वही पुरानी झौंपड़ियां हैं, वही पुराने घर हैं, वही पुराना रहन सहन है और इतना ही नहीं बल्कि उनकी बेरोजगारी और भी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, इसको भी आप देखें। वह इसलिये बढ़ी है कि किसान जो हैं उनकी जमीन पर सीलिंग लगा दिया गया है। कुछ फ्लड्स के कारण जमीन खराब हो गई है, जहां तक दूकानदारों का संबंध है, उनको टैक्सों ने दबा लिया है। जहां तक कारखानेदारों का संबंध है, जो मजदूर लोग होते हैं, उनकी लिमिट होती है और उनके कारण भी वे परेशान हैं। रोजगारी लोग भी बेकार हो गए हैं। कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि काम नहीं मिलता है।

मैं मानता हूं कि सरकार ने इन पिछड़ी जातियों के संबंध में पिछड़े वर्गों के संबंध में तथा उनकी स्थिति की समय समय पर जांच पड़ताल करते रहने के उद्देश्य से एक कमिश्नर की नियुक्ति की हुई है। उसकी जो रिपोर्ट है, उसको अगर देखा जाए तो किसी भी पन्ने को पढ़ कर प्रसन्नता नहीं होती है, सन्तोष नहीं होता है। सरकार कहती है कि उसने विद्यार्थियों के लिए, जो कि हरिजन हैं, बहुत कुछ किया है। लेकिन कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में यह बताते हैं कि सरकारों ने विद्यार्थियों के लिए जो रूल्ज़ बनाये हैं, उन से साधारण जो विद्यार्थी हैं वे फायदा नहीं उठा सकते हैं। बात भी ठीक है। मेरे पास हिन्दुस्तान के कई हिस्सों से पत्र आए हैं। विद्यार्थी कालेज में पढ़ रहे होते हैं, उनको साल साल तक वजीफा नहीं मिलता है। वह किस तरह से ऐसी हालत में अपनी स्टडीज़ जारी रख सकते हैं। हमने पिछले साल माननीय मंत्री जी को पत्र लिखे थे और उनके जवाब भी आ जाते हैं लेकिन फिर भी दो दो साल तक कागजी चक्कर चलता रहता है और फिर कह दिया जाता है कि अब तो डेट गुजर गई अब वजीफा नहीं मिल सकता है।

इसी तरह की बातें जो लोग बाहर भेजे जाते हैं, उन के साथ भी होती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में एक साल छः विद्यार्थी सिलैक्ट किए गए थे लेकिन एक को भेजा। दूसरे साल में बारह सिलैक्ट किए गए, लेकिन सिर्फ तीन भेजे,। बाकी को जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने इतनी तकलीफ भी नहीं की कि इस तरह की बातों की सूचना वे कमिश्नर साहब को दें। सरकार की नीयत कितनी ही साफ क्यों न हो, वे कैसे राजी हो सकती हैं। मैंने देखा है कि इन लोगों में बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ रही है। ८० प्रति शत इन में वे लोग हैं जो

[श्री गुलशन]

तन से नंगे, पेट से भूखे और बिना झोंपड़ी के नंगे अम्बर के नीचे सोते हैं। उनकी तरफ आपका खास तौर पर ध्यान जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस गृह मंत्रालय पर है और वह जिम्मेदारी देश में लोगों का आपस में तालमेल बनाये रखने की है। अगर वह इस में कामयाब होता है तो इस में उसकी सयानत ही मानी जाएगी। देश में जो कम गिनती वाले लोग हैं और बड़ी गिनती वाले लोगों के बीच में तालमेल करवाना इस महकमे का कान है। माननीय प्रधान मंत्री माननीय होम मिनिस्टर साहब, माननीय राष्ट्रपति जी जब कभी सिखों के बारे में कुछ कहते हैं तो उनकी तारीफ किये बगैर नहीं रहते हैं। बात भी ठीक है। सिख हमेशा देश के बहादुर सिपाही रहे हैं और देश की आजादी में उन्होंने आगे होकर काम किया है, आगे बढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने देश की खातिर सेना में भरती हो कर बढ़ चढ़ कर कुर्बानियां की हैं, नेफा में की हैं, लद्दाख में की हैं। उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है वह बेमिसाल है। लेकिन उन को अपने भरोसे में लेना भी बड़ा जरूरी है। उन को जो गिला है उस को दूर करना भी बड़ा जरूरी है। वह कहते हैं कि उनके साथ कोई समझौता होना चाहिा था जैसे कि पीछे सिख लीडरों के साथ हुआ था, सच्चर फार्मूला और उसके बाद रीजनल कमेटी का एक समझौता हुआ। लेकिन बाद में प्राण उस में से निकल गये और लाश पड़ी रह गई। यह भी कहा जा रहा है कि जब कभी धर्म का कोई काम आता है तो उस में भी दखल होता है। तो ऐसे ऐतराज जो हैं उन को दूर करना चाहिये। इस वक्त देश को एकता की जरूरत है। जैसा पीछे देखा गया कि कई जगह पर एतराज हुआ कि जब पाकिस्तान में गुरद्वारे की यात्रा में जाते हैं तो वहां भी पुलिस की तरफ से पूछा जाता है कि भाई, तुम अकाली दल के मेम्बर तो नहीं। अभी उड़ीसा और बिहार की सरहदों पर झगड़े फसाद हुए। पंजाब की विधान सभा में होम मिनिस्टर ने उत्तर देते हुए कहा कि हां, वहां पर बहुत से पंजाबी हैं। तो पंजाबी कौन थे? अखबारों में खुल कर लिखा गया है कि सिख थे। झगड़े फसाद होते हैं तो इस में सयानत से काम लिया जाना चाहिये। हमारे पंजाब के एक कम्यूनिस्ट नेता श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र को रिहा किया गया है। मुझे कोई ऐतराज नहीं कि उन्हें क्यों छोड़ा गया। ऐतराज तो इस बात का है कि पन्द्रह साल उनका वारंट रहा। अगर वह दोषी नहीं थे तो पन्द्रह साल उनको दोषी ठहरा कर क्यों रखा गया और अगर वह दोषी थे तो पन्द्रह साल वारंट क्यों रहा? इसमें सयानत से काम लिया जाना चाहिये। इसके लिये इस बात को कहा गया कि उन्होंने भरोसा दिया कि वह देश की सुरक्षा के लिये काम करेंगे। हमारे बहुत से अकाली नेता हैं। हमारे अकाली नेता विधान सभा के सदस्य सरदार हजारा सिंह गिल चुन कर आए, जत्थेदार मोहन सिंह तूर हैं, वह भी इतना भरोसा दे सकते हैं तो उन को क्यों न छोड़ा जाय? इस लिये मैं फिर कहूंगा कि इन बातों पर गौर किया जाय।

श्री मुजफ्फर हुसैन (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, आज होम मिनिस्ट्री पर दो दिन से मैं तकरीरें सुन रहा हूं। हमारी तो कैफियत यह है कि:

"वफूरे गम से दो आंसू बहायें तो बगावत है,
सितमगारे जहां को भूल जायें तो बगावत है,
जमाना शादमां हो कहकहे गूंजे फिजाओं में,
अगर हम इत्तफाकन मुस्करायें तो बगावत है।'

एक माननीय सदस्य: मुकर्रिर हरशाद:

श्री मुजफ्फर हुसैन : "जमाना शादमां हो कहकहे गूंजें फिजाओं में,

अध्यक्ष महोदय : यह मुकर्रिर कहना दुरुस्त नहीं है।

श्री मुजफ्फर हुसैन : इस के लिये आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी जिम्मेदारी ले कर ही तो कह रहा हूं।

श्री मुजफ्फर हुसैन : "अगर हम इत्तफाकन मुस्करायें . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आपको रोक रहा था।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मैं तो अपनी बात कहे जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस को एक पब्लिक जल्सा न समझें कि किसी तरफ से दख्वास्त आ जाय और आप उसे मान लें।

श्री मुजफ्फर हुसैन : "समझ में नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे,
हंसायें तो बगावत है, रुलायें तो बगावत है।"

मैं आज यह देख रहा हूं कि यह मुल्क, जिस को एक जम्हूरियत या सेकुलर स्टेट कहा जाता है, एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। यह मसला बहुत ही अहम है और काबिले गौर है। लेकिन जहां तक हमारे दुश्मनों का ताल्लुक है, और उस पर तब्सरा करना है, वहां साथ ही साथ यह भी कहना है कि दुश्मनों की सरगर्मियों का मुकाबला तो बहरहाल हर सूरत से किया जा सकता है और उस के मुकाबले के लिये हर तदबीर अख्त्यार की जा सकती है जिस मे कि हम इस मुल्क को और अपनी सारी रवायात को बाकी रख सकें और उस को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर खुद चमन का बागबां ही चमन के मुखालिफ हो, खुद गुलचीं उस के फूलों को अपने कदमों से रौंदता हो, तो गैर की शिकायत तो बाद में की जायेगी, अपनों की शिकायत पहले करनी है। इस लिये मैं अर्ज कहुंगा आप से कि हमें गौर करना है।

हम सन् १९४७ से लेकर अब तक इन पन्द्रह सालों के अन्दर यह देख रहे हैं कि जहां योमे आजादी हमारे लिये पैगामे मसर्रत लेकर आया वहां साथ ही साथ मेरी कौम के लिये पैगामे मौत लेकर भी आया, और आज इन पन्द्रह सालों के अन्दर कमो बेश ६०० मुकामात पर ऐसे बलवे हो चुके हैं जहां पर इन्सानियतसोज मजालिम किये गये हैं और जो खेल खेले गये हैं वह जिम्मेदाराना हुकूमत से रूपोश नहीं हैं। लेकिन जहां तक हमारी अकलियत का इस मुकाम पर सवाल है, हम यहां पर साढ़े छः करोड़ हैं। सन् १९४७ में मुसलमान साढ़े चार करोड़ थे और पन्द्रह साल के अन्दर वह साढ़े छः करोड़ हो गये हैं। लेकिन इन साढ़े छः करोड़ मुसलमानों के लिये हर वह तदबीर सोची जाती है, हर वह तदबीर अख्त्यार की जाती है जिससे हमारी कौम को फना के घाट उतारने की कोई स्कीम तैयार हो जाय। मैं यह नहीं कह सकता कि इस में अपनों का और बेगानों का कितना कितना हाथ है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आये दिन मुजालिम ढाये जा रहे हैं और यह एक ऐसी गलत शय है जो कि एक जम्हूरित के लिये और सेकुलर स्टेट के लिये किसी तरह से जेबा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान से बहुत से लोग भाग आये हैं।

श्री मुजफ्फर हुसैन : जहां तक मैंने सुना है आसाम में और वहां के दीगर इलाकों में पाकिस्तान से आकर मुसलमान बसे हैं। कितने आये, दो लाख आये, दस हजार आये, दो आदे,

[श्री मुज़फ़्फ़र हुसैन]

एक आया, लेकिन जो आये हैं, उनके मुताल्लिक अगर आप नोटिस ले रहे हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हजारों मुसलमान, असाम की सरजमीन को बंगाल की सरजमीन को छोड़ दीजिये क्योंकि वह सरहदी इलाके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान देखा तक नहीं है, जिनकी किसी पुश्त में कोई बच्चा वहां गया तक नहीं है। मगर आज भी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है और उन पर पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाया जाता है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री मुजफ्फर हुसैन: मेरे पास सबूत मौजूद हैं। इसलिये मैं अज कर रहा हू कि जहां तक उनके आने का ताल्लुक है, जो लोग वहां से आये हैं, अगर वह आपकी नोटिस में आ रहे हैं और आप उन पर ऐक्शन ले रहे हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान देखा तक नहीं है, उनको निकालना, उनके पीछे रोजाना पुलिस का पड़ा रहना, उनके दरवाजों पर पुलिस का खड़ा रहना, किसी तरह से जेबा नहीं है।

तीसरे जहां तक आप का ताल्लुक है, आप मुझ को गलत कह सकते हैं, लेकिन वह देवबन्द जिस का एक एक बच्चा मुसलमानों का मुखालिफ रहा मगर आप का वफादार रहा, आपकी वफादारी उसने की, उसने अपने कौम की गालियां खाईं . . .

एक माननीय सदस्य : यह आप से क्या मतलब है ?

श्री मुजफ्फर हुसैन : आप से मतलब है हुकूमत से। वह हुकूमत के साथ वफादारी बरतता रहा, लेकिन आज भी उसकी खाना तलाशी ली जा रही है, आज उसके मदरसों की तलाशी ली जा रही है। मेरी मुराद है वह देवबन्द जिसमें मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना हुसेन अहमद मदनी और दूसरे लोग थे जिन्होंने जंग आजादी में आपके साथ शाना ब शाना होकर लड़ाई की उनके साथ यह बरताव हो रहा है ? आज मुझ पर इल्जाम लगाया जा सकता है क्योंकि उस जमाने में शायद मैं मुसलिम लीग में रहा होऊं, मुझ पर जो भी इल्जाम लगाये जायें, वह अपनी जगह पर वजा हो सकते हैं, लेकिन जो लोग उस वक्त हुकूमत के साथ थे, जो हुकूमत के साथ आज भी मौजूद हैं, उनके मदरसों की खाना तलाशी, उनके घरों की खाना तलाशी क्या जम्हूरियत है, क्या इसी का नाम सेकुलर स्टेट है ? अभी अभी मैं बताता हूं कि मौलाना अबदुल वहीद सिद्दीकी, एडीटर नई दुनिया, ने नवम्बर १९ को एक खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और मिनिस्टर आफ इनफारमेशन और ब्राडकास्टिंग को जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं दुश्मनों का मुकाबला करने के लिये सबसे पहले जाने के लिये तैयार हूं। उन्होंने मिनिस्टर आफ ब्राडकास्टिंग और इनफारमेशन को लिखा था कि उनका अखबार मुल्क की यह खिदमत करने के लिये तैयार है कि सारे सरकारी इश्तिहारात बिला मुआवजा के उस में छप सकते हैं। इसका जवाब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इनफारमेशन मिनिस्टर साहब ने भी दिया और उनको मुबारकबाद दिया और सराहा। लेकिन अगर एक मामूली सी तनकीद उनके अखबार में हो जाती है तो उनको जेल के हवाले कर दिया जाता है। यह अखबार मौजूद है। इसमें कोई लफ्ज ऐसा नहीं कहा गया जिससे

कहा जाये कि वह इस काबिल थे कि उनकी सारी खूबियों पर पानी फेर कर उनको जेल के हवाले कर दिया जाता। इसमें लिखा है :

> "यह सब जानने के बाद हम सिर्फ यह सवाल करना चाहते हैं कि जब हुकूमत अन्दरूनी तखरीबकारों और हंगामा परवर अनासिर को नहीं रोक सकती तो वह चीनी हमलावरों को कैसे रोकेगी? जरा गौर तो कीजिये कि हिन्दुस्तान पर चीनी हमले के बाद पैदा होने वाले इत्तहाद की शान में कितने कसीदे पढ़े गये।"

यह इतना सा जुमला है जिसकी बिना पर उन्हें आज चौथा रोज है कि गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जमानत तक नहीं हो रही। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे ज्यादा दीगर अखबारात ने हुकूमत के खिलाफ, होम मिनिस्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सारी कार्रवाइयों के खिलाफ क्या कुछ नहीं लिखा।

मैं लखनऊ की सरजमीन पर गया था। वहां पर एक नुमायश लगी है जिसमें मूां की पुकार के नाम से किस कदर लगवियात बरती गयी हैं, लेकिन वहां किसी फर्द को गिरफ्तार नहीं किया गया न किसी के खिलाफ कुछ ऐक्शन लिया गया।

श्री कछवाय (दवास) : वह कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रचार था, सरकार के खिलाफ नहीं था।

श्री मुजफ्फर हुसैन : प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ था। आपने देखा नहीं इसलिये ऐसा कह रहे हैं।

जिन अखबारात ने हुकूमत की तनकीद की, प्राइम मिनिस्टर की तनकीद की, हुकूमत की कार्रवाइयों पर तनकीद की, उनको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी अगर वह न माने हों तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी हो। लेकिन तमाम अखबारात में इस इमरजेंसी के दौरान में हजारों ऐसे बयानात निकले, हजारों एडीटोरियल लिखे गये जो काबिले ऐतराज थे, जो हुकूमत की अन्दरूनी मशिनरी के तमाम राज को अफशां करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई नोटिस तक नहीं दिया गया, न उनको लिखने वालों में से किसी को एक दिन की सजा दी गयी। लेकिन वह इन्सान जिसने सबसे पहले इस बात का सबूत दिया हो कि वह नेफा और लद्दाख जाने को तैयार है और जिसका अखबार कौम की खिदमत के लिये वक्फ है उसको एक मामूली सी लगजिश पर गिरफ्तार किया जाता है। और जेल में रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से एक अर्ज करना चाहता हूं। पहले भी कई मेम्बरों से मैंने यह कहा है। यह मामला बहुत नाजुक है क्योंकि हमारे सामने वह ग्राउंड्स नहीं हैं जिन पर उनको गिरफ्तार किया गया। मैं यह नहीं कहता कि जो आप कहते हैं वह सही नहीं है, हो सकता है कि वह सही हो। हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई और ग्राउंड्स हों। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अखबार में कुछ लिख दिया उसी की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। हमारे पास ग्राउंड्स नहीं हैं, इसलिये इस बात को इतने जोर से नहीं कहा जा सकता।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मैंने मालूमात हासिल की हैं। और उनके बेटे ने मुझे बतलाया है कि उनको इसी ग्राउंड पर गिरफ्तार किया गया है।

एक माननीय सदस्य : अगर वह आपके हम खयाल न होते तो आपके पास क्यों आते, किसी दूसरे के पास न जाते ?

श्री मुजफ्फर हुसैन : हर एक अपने हमदर्द के पास जाता है । आपकी जिससे मुलाकात होगी वह आपके पास आयगा, जिसकी मुझ से मुलाकात होगी वह मेरे पास आयेगा ।

बहुरहाल मैं अर्ज करता हूं कि जम्हूरी हुकूमत के लिये यह किसी तरह जेबा नहीं है कि वह उन लोगों को जो सरकार के साथ वफादारी करने को तैयार हैं और जो अपनी खिदमात पेश करते हैं, उनकी वह एक मामूली सी लगजिश को नजरन्दास न कर सके। यह कहां तक दुरुस्त है ।

दूसरे मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक मुसलमानों का मुलाजमतों में होने का सवाल है, य जिन्दगी के दूसरे शोबों में दाखिल होने का सवाल है, उनको महरूम किया जाता है । हमारे बच्चों के अगर अच्छे नम्बर भी आयें तो पबलिक सरविस कमीशन उनको कोई हिस्सा नहीं देती। उनको इसलिये नजरन्दाज कर दिया जाता है कि वे मुसलमान हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पबलिक सरविस कमीशन के लिये यह कहने की इजाजत नहीं दे सकता कि वह किसी के साथ इस बिना पर इम्तियाज़ करती है कि वह मुसलमान है ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : आपसे शिकायत न करें तो किससे करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मेरे सामने हाई कोर्ट की या पबलिक सरविस कमीशन की यह शिकायत लायें कि वह रियायत करते हैं तो मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता। पबलिक सरविस कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन है । उसके लिये यह कहना कि वह किसी के साथ मुसलमान होने की वजह से एक खास सलूक करती है या हाई कोर्ट के लिये यह कहना कि वह किसी के साथ रियायत करती हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मैं इस जम्हूरी हुकूमत के बारे में अर्ज कर रहा था। जो मैं कहता हूं वह काबिले गौर है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं कि यूनियन पबलिक सरविस कमीशन या किसी अदालत के खिलाफ आप यहां इल्जाम नहीं लगा सकते ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मेरा निवेदन है कि ये शब्द निकाल दिये जायें ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मैं वापस लेता हूं । लेकिन मैं कहता हूं कि जहां तक हमारी अक्लियत का सवाल है उसके ऐतबार से हमको हिस्सा मिलना चाहिये ।

जहां तक हमारे जान माल, हमारी इक्तसादी कमजोरी, हमारी सामाजिक कमजोरी का ताल्लुक है उसको हमने नजरन्दाज कर दिया है और खामोश बैठे हैं। हो सकता है कि हमारे मुताल्लिक कुछ सोचा जाये। लेकिन जहां तक हमारे दीन और मजहब का सवाल है उसके मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि हमें मालूम हुआ है कि बकरीद की छुट्टी खत्म की जा रही है। आपके मामूली त्यौहारों की छुट्टी दी जाती है, लेकिन बकरीद की छुट्टी खत्म की जा रही है। यह चीज अखबार में आ चुकी है और इस पर अहतजाज हो चुका है । इससे हमारे मजहब का ताल्लुक है । और कोई अपने दीन को मिटाया जाना पसन्द नहीं कर सकता, कोई अपने मजहब को मिटते देखना पसन्द नहीं कर सकता । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक हमारे मजहब की रवाइयात का ताल्लुक है उनको बाकी रखा जाये। बकीया अगर आप कोई मराआत बरतने के लिये तैयार नहीं हैं [तो आप जानें और आपका धर्म जाने। लेकिन यह एक जम्हूरी हुकूमत को जेबा नहीं देता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, आज के इस नाजुक वक्त में हमारे दोस्त मुजफ्फर हुसैन साहब ने जो चर्चा की है वह वक्त को देखते हुए गैर मौजूं है । ऐसे वक्त में जबकि हिन्दुस्तान की हुकूमत महंगी से महंगी कीमत दे कर पाकिस्तान के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहती है, यह चर्चा छेड़ना खास तौर से जबकि यहाँ की हुकूमत अच्छासे अच्छा सलूक उन लोगों के साथ कर रही हो जिन को उन्होंने अपने अल्फाज में साढ़े ६ करोड़ के करीब बताया है, ठीक नहीं था । ऐसा करना हिन्दुस्तान की हुकूमत के साथ अन्याय करना नहीं है बल्कि इस देश के बहुमत के साथ भी अन्याय करना है ।

मेरे लायक दोस्त ने इस बात की चर्चा भी की कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं और आसाम में बस गए हैं उन को वहाँ से हटाया जा रहा है । इस के लिए उन्होंने यह शक जाहिर किया कि यह देख लिया जाय कि जो लोग वहाँ बसे हैं वह वहाँ के रहने वाले तो नहीं हैं, और अगर वे वहाँ के रहने वाले हैं तो उन को घर से बेघर न किया जायें । कल काँग्रेस बैंचेज से भी एक मेम्बर ने यह कहा था कि अगर वे लोग वहाँ के रहने वाले हैं तो उन को हटा कर न सिर्फ हुकूमत को इन्सान की निगाहों के सामने गुनहगार बनायेगा बल्कि खुदा की निगाह में भी गुनाहगार बनायेगा । मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हुकूमत हिन्दुस्तान ने अभी तक इस मामले में यह ही बताया है कि ढाई तीन लाख लोग पाकिस्तान से आ कर आसाम में बस गए हैं जबकि उन की तादाद सात लाख के करीब है । हिन्दुस्तान की हुकूमत का कहना है कि उस में से केवल १२ हजार आदमी ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से आसाम को छोड़ कर वापस पाकिस्तान चले गए । जो बाकी कोई पौने तीन लाख लोग रह गए हैं हिन्दुस्तान की हुकूमत उन के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रही यह सोच रही है कि शायद वे अपनी मर्जी से वापस चले जायें । ऐसे वक्त में हिन्दुस्तान की हुकूमत की आलोचना करना ऐसे गलत आधार पर, न केवल हुकूमत के साथ अन्याय है बल्कि इस सारे देश के साथ भी बड़ा अन्याय है । मैं तो अपने गृह मंत्री पर एक दूसरा आरोप लगाना चाहता हूं और वह यह है कि आप ने इस रिपोर्ट में बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में करीब ५०,००० व्यक्ति आये और ३,००,००० के करीब असम में पाकिस्तान से लोग आये । इसी तरीके से पश्चिमी बंगाल में ४५,६४३ आदमी पाकिस्तान से आ कर बसे हैं । यह आप के कुछ जिम्मेदार आँकड़े हैं जिन को कि आप ने इस रिपोर्ट में छापा है । लेकिन इसी के साथ साथ इस में आप ने यह भी लिखा है कि कुछ लोग ऐसे थे जोकि दूसरे देशों से आये और हिन्दुस्तान में आ कर बसे । विदेशों से आ कर जो लोग हिन्दुस्तान में बसे ३० सितम्बर १९६२ तक, ऐसे लोगों की तादाद ४,२९,०६८ है । मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह सोमवार को अपना जवाब देते वक्त बतलायें कि जिन ४,२९,०६८ आदमियों को आप ने हिन्दुस्तान का शहरी करार दिया है उन में पाकिस्तानी लोगों की तादाद कितनी है ?

श्री मुजफ्फर हुसैन साहब ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि हिन्दुस्तान की सर्विसेज में मुसलमानों को स्थान प्राप्त नहीं है । मैं इस बारे में बहुत विस्तार के साथ तो नहीं जाना चाहता लेकिन मोटे आँकड़े रख कर यह बतलाना जरूर चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में गवर्नर मुसलमान हैं । हमारे राजदूतावासों में १२ उच्च कर्मचारी मुसलमान हैं । केन्द्रीय सरकार के ६ मिनिस्टर्स मुसलमान हैं । राज्य सरकारों के २९ मिनिस्टर्स मुसलमान हैं । हाई कोर्ट्स के १० जज मुसलमान हैं और जो अपना उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उस में भी जज मुसलमान है ....

एक माननीय सदस्य : एक नहीं बल्कि दो मुसलमान जज हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे एक मित्र ने मेरी भूल सुधारी है । सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि दो जज मुसलमान हैं । इसी तरह से जो अपना यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन है उस में एक मैम्बर मुसलमान है । प्रान्तों के जो पबलिक सर्विस कमिशंस हैं उन में भी ८ मुसलमान मैम्बर्स हैं । इतना

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

होने के बाद भी अगर वह हिन्दुस्तान की हुकूमत की नीयत पर शक करता है और हिन्दुस्तान की हुकूमत पर इस तरह के आरोप लगाता है तो मैं समझता हूं कि यह अन्याय है। मैं तो चाहूंगा कि गृह मंत्री जी नरसों अपना उत्तर देते हुए इस बात का अवश्य जवाब दें कि असम में जो पाकिस्तानी आकर बसे हैं, कहीं असम राज्य में असम की मशीनरी में तो कुछ इस तरह के दिमाग़ काम नहीं कर रहे हैं और जोकि जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए हैं जिन की कि वजह से ७,००,००० के क़रीब आदमी आ कर बस गये और यह चीज़ ऐसे वक्त में और की ज्यादा खतरनाक बन जाती है जबकि हमारी असम की सरहद पर चीन की विशाल सेनाएं आ कर खड़ी हुई हैं और कल को उत्तर से चीन का आक्रमण हो और इधर पाकिस्तान की नीयत जिस तरीके से धीरे धीरे बदलती जा रही है उस की भी शरारत शुरू हो जाय तो उस वक्त हिन्दुस्तान की अन्दरूनी हिफाजत की क्या हालत होगी ? मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत चिन्ता की बात है। मेरे लायक़ दोस्त को इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले हिन्दुस्तान की हुकूमत के आँकड़े ज़रूर देख लेने चाहिए थे। एक दूसरे विषय के संबंध में भी मैं अपनी सरकार से कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

हुकूमत देश से यह चाहती है कि देशवासी त्याग और बलिदान करें। देश के इस विपत्ति काल में जनता जितना अधिक से अधिक त्याग हो सकता है, वह करे लेकिन गृह मंत्री जी, त्याग कराया था राणा प्रताप ने जिस ने कि राजस्थान की रक्षा के लिए पहले अपना सब कुछ त्याग दिया और तब फिर यह घोषणा की कि मैं जब तक राजस्थान के गौरव की रक्षा नहीं कर लूंगा तब तक पलंग पर सोऊंगा नहीं, महलों के अन्दर रहूंगा नहीं। थाल में भोजन नहीं करूंगा पत्तल के ऊपर भोजन करूंगा। इस तरह राणा ने त्याग और बलिदान का एक आदर्श उपस्थित किया। नतीजा इस का यह हुआ कि भामाशाह जैसा व्यक्ति उन को मिला जिस ने कि अपनी सारी सम्पत्ति उन्हें दे दी। लेकिन इस के विपरीत आज अपनी सरकार और शासक वर्ग की क्या स्थिति है। सरकार देश से तो त्याग कर ना चाहती है लेकिन उस की अपनी स्वयं की स्थिति क्या है ? होम मिनिस्टरी की जो टी० ए०, डी० ए० की ५१ नम्बर की डिमांड है उस को देखने पर मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सरकार का खर्चा निरन्तर उसी गति से बढ़ता ही चला जा रहा है जैसे कि सुना है सुरस का मुंह बढ़ता गया था। सन् १९५४-५५ में टी० ए०, डी० ए० पर ४ लाख ७१ हजार रुपया खर्चा हुआ। सन् १९५६-५७ में ८ लाख २१ हजार रुपया खर्च हुआ। सन् ६०-६१ में ९ लाख ५८ हजार रुपया खर्च हुए। ६१-६२ में ९ लाख ९३ हजार रुपये खर्च हुए। सन् १९६२-६३ के बजट में पहले ८ लाख रुपये रक्खे गये लेकिन रिवाइज्ड बजट में उस को ९ लाख रुपये किया गया। इसी तरह सन् १९६३-६४ के बजट में भी आप ने ९ लाख रुपये रक्खे हैं लेकिन मेरा अंदाजा है कि जैसे आप हमेशा बाद में रिवाइज कर लिया करते हैं यह भी रिवाइज्ड हो कर १० लाख रुपये तक ज़रूर पहुंच जायेगा।

इस प्रकार से सरकार का खर्चा बराबर बढ़ता चला जा रहा है मेरे पास कुछ विस्तृत आँकड़े हैं जिन में एक एक मिनिस्टर का टी० ए० डी० ए०, का ब्यौरा दिया हुआ है। हम देखते हैं कि कहीं कहीं उन का टी०ए० डी०ए० का टोटल बिल उन के वेतन से लगभग दुगना पहुंच गया है। मैं एक, एक मिनिस्टर का हिसाब नाम ले कर तो नहीं बता सकूंगा लेकिन सरकार से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि वह इस विषय में अवश्य कुछ आदर्श उपस्थित करे। जहाँ यह सरकार और उस के मिनिस्टर्स देश की जनता से त्याग करने की अपील करते हैं वहाँ स्वयं भी कुछ नमूना बनें। मिनिस्टर्स को जो सम्चुअरी एलाउंस मिलता है, अतिथ्य भत्ता मिलता है वह सन् १९६१-६२ में ८३ हजार २६२ था। सन् १९६२-६३ में यह बढ़ कर १ लाख ७५ हजार रुपये हुआ और सन् १९६३-६४ के

बजट में इस मद में १ लाख ११ हजार ४०० रुपये रक्खे गये हैं। अब नहीं कहा जा सकता कि रिवाइज़ हो कर इस में कितना बैठेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को आप कहने की आज्ञा दीजिए कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल का आकार काफ़ी बड़ा है और इसी को ले कर सारे देश में चर्चा हो रही है कि कैबिनेट बहुत बड़ी है, क्या ही अच्छा हो कि केन्द्रीय सरकार अपने मंत्रिमंडल के आकार को छोटा करे और पंजाब की तरह एक आदर्श उपस्थित करे ताकि दूसरे प्रान्तों में भी इस तरह के आदर्श मंत्रिमंडल बनाये जायें। कैबिनेट मिनिस्टर्स की तनख्वाह सन् ६२-६३ में जहाँ ३ लाख २४ हजार रुपये थी वह अब इस नये बजट में बढ़ कर सन् ६३-६४ के बजट में ४ लाख ८६ हजार के करीब हो गई है। १ लाख ६२ हजार की वृद्धि हो गई और अब क्या अब कुछ और मिनिस्टर्स भी बढ़ाने की तैयारी है। यह १ लाख ६२ हजार क्यों और बढ़ाया। अब सरकार की इस के पीछे क्या मंशा है जनता को इस का थोड़ा परिचय तो दें कि यह वृद्धि क्यों करनी पड़ी है।

दूसरी एक बड़ी बात यह है कि यहाँ हमेशा करप्शन और भ्रष्टाचार आदि की काफ़ी चर्चाएं होती हैं। गृह मंत्री जी, हमारे देश का जो संविधान बना है वह इंगलैंड की विधान का अधिकांश अनुकरण कर के बना है। चंद दिन पहले इंगलैंड के एक उपमंत्री ने केवल इसलिए त्यागपत्र दिया कि उसने अनजाने में अपनी कार एक ऐसे विद्यार्थी को ड्राइव करने के लिए दे दी जिस का लाइसेंस पहले छीना जा चुका था लेकिन इतना होने के बाद उस ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया यह कह कर कि यह मेरा दोष था, भले ही मैं उस की जानकारी न रखता होऊं। इस तरह के आदर्श कम से कम यहाँ भी तो कुछ व्यक्तियों को अवश्य उपस्थित करना चाहिए जिस से कि देश को विश्वास हो कि इस तरह के दो चार व्यक्ति यहाँ भी हैं।

हिन्दी के साथ अंग्रेजी को जो सन् ६५ के बाद भी जो सहभाषा या सखी भाषा बनाये रखने का जहाँ तक सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना विचार उस बारे में इस प्रकार का है कि सरकार जब यह कहती है कि अगर अंग्रेजी को १९६५ के बाद नहीं रक्खा गया तो देश की एकता टूट जायगी, मेरा तो अपना अनुमान है कि इस का सब से बड़ा कारण मद्रास में खास तौर से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम का अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को राजभाषा बनाने के बारे में विरोध है। मैं तो कहूंगा कि सन् १९६५ के बाद बजाय इस के कि हिन्दी के साथ अंग्रेजी को आप सह भाषा रक्खें, आप तमिल को सह भाषा बना दें तो देश उस को अच्छा स्वीकार कर लेगा। कम से कम भारतीय भाषा तो वह होगी ...

†**श्री कन्डप्पन** (तिरुचेंगोड) : क्या वे हमारे दल की ओर निर्देश कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने आप के दल के अपमान में कुछ नहीं कहा।

†**श्री कन्डप्पन** : धन्यवाद।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी अंग्रेजी को सह भाषा बनाने की बात कह रहे हैं मेरा अपना अनुमान है कि यह सखी भाषा नहीं बन पायेगी क्योंकि सखी भाषा का अभिप्राय तो मित्रतापूर्ण व्यवहार का भी है। लेकिन अंग्रेजी की मित्रता जब इन १५–१७ वर्षों में हिन्दी के साथ स्थापित नहीं हो सकी तो १९६५ में जब कि वह अपना सूर्य अस्ताचल की ओर जाता हुआ देखेगी तो यह मित्रता कैसे स्थापित हो सकेगी? अंग्रेजी और हिन्दी को सन् ६५ के बाद सखी भाषा कहने के बजाय अगर आप

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सौत भाषा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा । अंग्रेजी को तो यह देख कर सौतिया डाह अभी से हो रही है कि कल हिन्दी मेरे आसन पर आने की तैयारी कर रही है ।

दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि १७-२-५९ के हिन्दुस्तान टाइम्सके अनुसार दिल्ली की २४ लाख की आबादी में १२००० के लगभग अपराधी थे । उनमें ७२०० आदमी ऐसे हैं जो कि बदचलन या सजायाफ्ता थे । दूसरे शब्दों में इसे कहा जाय तो यह ठीक होगा कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति २०० बालिग़ों में एक आदमी अपर धी है । सन् १९५८ की पुलिस रिपोर्ट में एक साल में १५४१४ केस दर्ज हुए जिनमें से कि ५४४० केस इसलिए छोड़ दिये गये कि उनके लिए शहादत नहीं मिल पाई थी । १४ अक्तूबर सन् ६० के स्टेट्समैन में एक ख़बर छपी कि यहां के डी० आई० जी० पुलिस ने रात को तमाम थानों का जाकर आकस्मिक मुआयना किया और उस चैकिंग में वह हैरान रह गये । उन्हें २० थाने ऐसे मिले जहां कि १२ बजे के बाद स्टाफ़ आराम के साथ सोया पड़ा था । परिणाम उसका यह है कि दिल्ली के माथे पर इस प्रकार का कलंक लगता चला जा रहा है । अभी कुछ दिन की बात है कि एक विदेशी पत्रकार श्री एटकिन्सन की उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई । एक दूधिया व एक दो और आदमी इस सम्बन्ध में पकड़े भी गये जो कि इस हत्या से सम्बन्धित बतलाये जाते हैं । अब मैं नहीं समझता कि आगे चल कर जांच में उसका क्या परिणाम निकलेगा परन्तु जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है वह कोई केवल अकेली ही ऐसी घटना नहीं है बल्कि यहां दिल्ली में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं । दिल्ली में डाके और चोरियां व हत्याएं होती रहती हैं । बलात्कार, तेज़ाब फेंकने और लड़कियों के साथ साथ छेड़छाड़ करने के केस भी दिल्ली में बढ़ रहे हैं । यह दिल्ली की पुलिस के लिए लज्जा की बात है कि वह इन घटनाओं को रोक नहीं पाती है । जब कि शास्त्री जी कहते हैं कि दिल्ली में चूंकि केन्द्रीय सरकार है इसलिए यहां पर अन्य और किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है तो दूसरे शब्दों में अगर जनता यह कहे कि जितनी भी कमी है यह सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आती है तो गलत नहीं होगा । जब केन्द्रीय सरकार की ठीक नाक के नीचे जनता की सुरक्षा नहीं हो सकती है तो फिर अन्य जगहों का तो कहना ही क्या है ? इसके लिए मंत्री महोदय को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिएं ।

मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो, तीन बातें और विशेष कहना चाहता हूं । एक तो यह कि दिल्ली राजधानी में जो विदेशियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं जब जब सरकार को उनको हटाने के लिए कहा जाता है तो सरकार कहती है कि इन को उठा कर रखने के लिए हमारे अजायबघर में कोई जगह नहीं है । पर मेरा तो कहना है कि इनको अडायबघर में रख कर ही क्या इनकी पूजा करियेगा ? इन को समुद्र में फिकवाइयें न ? यह कलंक भारत के माथे से हटाइये । १५–१७ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक यह कालिमा हमारे माथे पर लगा हुआ है । इन विदेशियों की प्रतिमाएं हटा कर इन की जगह पर लगवाइये वह प्रतिमाएं जिनको कि देख कर भारत का स्वाभिमान जागृत हो उठे । इंडियागेट जहां पर जार्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई है वहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए । विजय चौक में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए । लेकिन साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, में बड़ी नम्रता से यह भी यनवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस पार्लियामैंट की चहारदीवारी का सम्बन्ध है, अभी मैं ने कल या परसों देखा कि यहां अन्दर किसी की प्रतिमा

लगने जा रही है, अब यह प्रतिमाएं दिल्ली में कहीं भी लग, बम्बई में लगें, कलकत्ते में लगें लेकिन जहां तक पार्लियामैंट की चहारदीवारी का सम्बन्ध है इस में हमें किसी का भी स्टैचू नहीं लगानी चाहिए। पार्लियामैंट को तो बिल्कुल एक प्रभावरहित निष्पक्ष ढंग से ही रहना चाहिएं। इसमें किसी की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। और फिर जब गांधी जी की प्रतिमा यहां नहीं लग पाई तो किसी और की प्रतिमा इस चहारदीवारी में स्थापित की जाय मैं समझता हूं कि यह कोई शुभ परम्परा नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री महोदय इन सारी बातों पर गम्भीरता से निर्णय लेंगे।

†**श्री अब्दुल गनी गोनी** (जम्मू और काश्मीर) : मैं आपका ध्यान केवल सेवाओं के एकीकरण की ओर दिलाना चाहूंगा। मुझे हर्ष है कि यह सिद्धांत इंजीनियरिंग, मेडिकल और अल्प विभागों में भी लागू किया जा रहा है। किन्तु एकीकरण केवल पदोन्नति तक सीमित नहीं रहना चाहिये। लोक प्रशासन के हित में अन्तर्राज्यीय स्थानांतरण होने चाहियें। ये शिकातें आई हैं कि पदाधिकारी १०–२० साल तक एक ही स्थान पर रह जाते हैं। उनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करने के लिए अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण आवश्यक है। उदाहरणतया काश्मीर का कोई भी पदाधिकारी केवल काश्मीर में नहीं रहना चाहिय, बल्कि अन्य राज्यों में भी भेजा जाना चाहिये। इसी तरह अन्य राज्यों के प्रशासकों को काश्मीर भेजना चाहिये।

१९४७–४८ की तुलना में १९६२–६३ में पुलिस का खर्च २२ गुना बढ गया है किन्तु इस के साथ साथ कार्यकुशलता भी बढ़नी चाहिये, अधिक नहीं, तो कम से कम दुगनी हो जानी चाहिये। पुलिस को जनता का विशेषकर ग्रामीण जनता का रक्षक होना चाहिये। किन्तु अभी तक यह स्थिति पैदा नहीं हुई।

एक और निवेदन यह है कि सरकारी सेवाओं में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये। पदाधिकारियों को राजनीतिज्ञों के प्रभाव या हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिये और उन्हें अपने कृत्य मंत्रियों आदि के दबाव में आकर नहीं पूरे करने चाहियें। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवश्यक है कि हस्तक्षेप कम से कम हो। दूसरे स्थानांतरण भी सीमित होने चाहियें। अनुशासन का होना भी आवश्यक है। अधीनस्थ पदाधिकारियों को सीधे मंत्रियों से मिलने की मनाही होनी चाहिये। किसी एक पदाधिकारी को एक स्थान पर कम से कम तीन वर्ष तक रखना चाहिये।

लालफीताशाही और विलम्ब को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य में सतर्कता समितियां बनाई जानी चहिये और पदाधिकारियों को विलम्ब के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये।

यह कहना गलत है, जैसा कि श्री कामत ने कहा है, कि काश्मीर में करोड़ों रुपया बिना लेखापरीक्षा के खर्च किये गये हैं। उन्हें शायद यह ज्ञात नहीं कि पिछले चार या पांच वर्षों से काश्मीर ने केन्द्रीय सरकार से एक वित्तीय समझौता किया है, जिस के अन्तर्गत महालेखापरीक्षक को राज्य के लेखों पर क्षेत्राधिकार है। मेरे पास अन्य राज्यों की तरह काश्मीर के बारे में भी लोक लेखा समिति के प्रतवेदन हैं। यह खेद का विषय है कि वित्त आयोग ने काश्मीर का आवंटन ३ करोड़ रुपये से १.७५ करोड़ कर दिया है। काश्मीर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यह उसके प्रति अन्याय है। काश्मीर के आवंटन मे वृद्धि होनी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को लेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र बायुर** (जालौर) : यदि आप दूसरा संकल्प लेते हैं, तो यह ६.३० तक चला जायेगा । फिर तीसरा संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है और पहला अगली बार ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सदन सहमत हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी स्थिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से, जो २७ मार्च १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी स्थिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से, जो २७ मार्च १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नेफा में प्रशासनिक नीति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की यह राय है कि उत्तर पूर्व सीमान्त एजेन्सी (नेफा) पर हाल के चीनी आक्रमण से जो तथ्य और शक्तियां प्रकाश में आई हैं, उन्हें देखते हुए उस क्षेत्र में जिस प्रशासनिक नीति का अब तक अनुसरण किया जाता रहा है, उस में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है ।"

चीनियों के सशस्त्र आक्रमण और हमारी पराजय के कारण आज नेफ़ा पर सारी दुनिया की नज़रें हैं। इस तथ्य से नेफ़ा में हमारी बुनियादी विचारधारा की त्रुटियां सामने आई हैं, जिन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

संकल्प—वापस लिया गया

१८७३ के भीतरी रेखा विनियम, १८८० के सीमान्त शुल्क विनियम और १९१९ के भारत सरकार अधिनियम की धारा ६० ने मिल कर नेफ़ा पहाड़ियों और शेष भारत के बीच खाई को और भी चौड़ा कर दिया है। ये सब विनियम वास्तव में पृथक्करण की नीति को क्रियान्वित करते हैं और हम आजादी के बाद उसी नीति को और भी ज़ोर से चला रहे हैं।

७० साल के लम्बे अंग्रेज़ी प्रशासन ने वहां के लोगों के सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक जीवन में कोई विकास नहीं हुआ।

ढेबर आयोग के प्रतिवेदन में बताया गया है कि इस नीति का वहां के लोगों के जीवन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमें चाहिये कि हम उन्हें भारतीयों के रूप में विकसित करें। किन्तु नेफा को बिल्कुल अलग अलग रख कर ऐसा नहीं किया जा सकता। वैदेशिक कार्य मंत्रालय इस क्षेत्र में अपनी मनमानी करना चाहता है।

अब समस्या यह है कि नेफ़ा को प्रजातंत्रात्मक ढांचे में कैसे ढाला जाये।

१९५० में हम ने तिब्बत में अपने अधिकार छोड़ दिये और अब यह चीन का हिस्सा बन चुका है। अंग्रेज़ों ने तिब्बत की सहायता और सहयोग से सुरक्षा के उपाय किये थे। जहां तक नेफा और बर्मा का सम्बन्ध है, हम ने अंग्रेज़ों को पृथककरण की नीति तो अपनाया है, किन्तु सुरक्षा के उपाय नहीं किये। संभवतः हमारा यह विचार था कि चीन हम पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो १९५० में यह कहता था कि चीन से भारत को खतरा है, उसे युद्ध का इच्छुक कहा जाता था। इस का परिणाम यह हुआ है कि हम ने नेफा और सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा की उपेक्षा की है। चाओ एन किंग ने १९१० में तिब्बत पर हमला किया था। अब श्री चूएन लाई पिछले कुछ वर्षों से इन लोगों की धार्मिक और जातीयता की भावनाओं का दुरूपयोग कर रहे हैं। नेफा के लोग मंगोल जाति के होते हुए भी, नेफा भारत का उतना ही अंग है जितना कि पंजाब या उत्तर प्रदेश है। मुझे दुख से कहना पड़ता है अभी तक इस देश में यह विचार धारा पैदा करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया कि नेफा भारत का अंग रह और कि भारत भी नेफ़ा का है। इस प्रथककरण की नीति के प्रगति में बहुत बाधा पड़ी है।

नेफ़ा सम्बन्धी नीति में मनोविज्ञान, प्रशासन, राष्ट्रीय एकीकरण प्रतिरक्षा आदि के महत्व की उपेक्षा करके वहां के प्राणकीय पहलू को अत्यधिक महत्व दिया गया है। वहां एक व्यापक भारतीय मनोवृत्ति कैसे पैदा की जा सकती है? मैं कहूंगा कि नेफा को निकटवर्ती राज्य में मिला देने से। प्रधान मन्त्री ने कहा है कि वे नेफा के लोगों की संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि औद्योगिक सभ्यता के बुरे पहलू वहां न जाने पायें। किन्तु यह गलत नीति होगी यदि नेफा के लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकीय के लाभों से वंचित रखा जाये प्रधान मन्त्री तो यह भी नहीं चाहते कि वहां के लोगों को सड़कों का लाभ भी हो। आप उन्हें सड़कों से भी वंचित रखना चाहते हैं। इनको अजायबघर की वस्तुओं की तरह सुरक्षित रखने का कोई लाभ नहीं। आधुनिक सभ्यता के एक नमूने के होने की प्रवृत्ति है। कुछ भी हो, नेफ़ा को अलग रखने की नीति, क्योंकि आप उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, गलत है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय नेफा नहीं जा सकते? वहां जाने के लिए भारतीयों को परमिट लेना पड़ता है। परन्तु ऐसा नेफा की दूसरी ओर क्या है? चीनी लोग आते हैं और जाते हैं। वे वहां के लोगों के साथ विवाह करते हैं। सभी जानते हैं कि चानी दिरांग लौंग से लोगों को ले गये और उन्हें प्रशिक्षण दिया और अब यहीं ये ही व्यक्ति वहां गड़बड़ी कर रहे हैं। अतः

[श्री हेम बरूआ]

मेरा कहना है कि प्रधान मन्त्री जी को चाहिये कि वे हमारी जनता को भी वहां जाने दें। वहां चीनी लोग चीनियों की अराजकता का प्रचार कर रहे हैं और सम्भव है कि इसका वहां की जनता पर मानसिक प्रभाव हो। यह बड़ी ही खतरनाक बात है। इसके साथ ही हमने वहां अपनी सेना न भेजने का निश्चय किया है। यदि नेफा के लोग यह समझने लगें कि भारत सरकार उनकी उपेक्षा करती है, तो वह बहुत ही खतरनाक बात होगी। संविधान में उल्लेख है कि अन्त में नेफा आसाम में मिलना चाहिये। इस बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। यदि अभी आसाम के साथ नेफा प्रशासी एकीकरण करना सम्भव न हो तो, अन्य बातों में तो एकीकरण हो जाना चाहिये। सर्व प्रथम, इस दिशा में आसाम तथा नेफा के अधिकारियों के बीच आदान प्रदान होना चाहिये। आसाम सरकार को चाहिये कि नेफा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दे और उनके लिए आसाम के मैदानों में शिक्षा की सुविधायें दे। तीसरी बात यह है कि विकास कार्यक्रमों में आसाम और नेफा में सहयोग होना चाहिये। चौथी बात है कि यदि आवश्यक हो तो आसाम विधान सभा में नेफा के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। उससे उन्हें जानकारी होगी कि हमारा लोकतन्त्र कैसे कार्य करता है। फिर, नेफा के प्रशासन में तीन बातें अवश्य होनी चाहियें। पहिली, समाजवादी अर्थ-व्यवस्था और लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में अधिकतम स्वायत्तशासन हो, दूसरे शोषण समाप्त हो, और तीसरे, पहाड़ी लोगों को भूमि तथा वन सम्बन्धी अधिकार। जहां तक नेफा में भाषा का प्रश्न है वहां आजकल लगभग ५० भाषाओं या बोलियां प्रचलित हैं और एक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना कठिन है। दूसरी ओर, नेफा के अधिकतर लोग आसामी बोलते व समझते हैं। मेरा सुझाव है कि जब तक कि इन ५० बोलियों में से किसी एक को भाषा बनाया जाये तब तक आसामी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाये और नेफा के लोग यदि न चाहें तो उसे समाप्त कर दिया जाये।

नेफा जैसे सीमान्त प्रान्त में सड़कें मानव शरीर की धमनियां की भांति महत्व रखती हैं क्योंकि हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए उनकी आवश्यकता है। संविधान सभा की पहाड़ी उप-समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय सरकार आसाम की सरकार के साथ मिल कर सीमान्त तथा आदिम जाति क्षेत्रों का प्रशासन उस समय तक करती रहे जब तक प्रान्तीय सरकार उन क्षेत्रों का प्रशासन अपने हाथ में न ले। इसमें एकीकरण का आभास मिलता है। परन्तु किसी प्रकार हुआ यह कि प्रान्तीय सरकार की बजाये राज्यपाल नेफा के एजेण्ट बनाये गये और इस प्रकार वहां नौकरशाही की नींव पड़ी जो लोकतन्त्र और राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध है। यदि नेफा हमारी प्रतिरक्षा की पहिली पंक्ति है तो आसाम की पहाड़ियां और आसाम के मैदान प्रतिरक्षा आधार हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं। हम नेफा में जितना भीतर जाते हैं, देखते हैं कि वहां सभ्यता उतनी ही पीछे जा रही है। इन परिस्थितियों में नेफा के हित में नहीं अपितु समूचे देश के हित में मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा कि चीनी आक्रमण ने नेफा के प्रति हमारी नीति के बारे में हमारी आंखें खोल दी हैं। नेफा पर देश का भविष्य निर्भर है, उसे स्थिर सुदृढ़ और निश्चित बनाने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : मैं संकल्प पर अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

संकल्प—वापस लिया गया

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : नेफा का प्रशासन १९५२ में आसान कर दिया गया था और उद्देश्य यह था कि उसका धीरे धीरे विकास करके उसे आसाम से, अर्थात् शेष भारत से मिला दिया जायेगा। परन्तु बड़े ही दुःख की बात है कि लगभग १०० करोड़ रु० व्यय करने के बाद भी नेफा थोड़ा सा भी ऐसा विकास नहीं कर सका है कि आसाम के साथ मिला दिया जाये अपितु इसकी ओर नेफा भी जाता और मदानों के लोगों के बीच चीन की दीवार खड़ी हो गई है। पृथक्करण की नीति आजकल नहीं सही जा सकती क्योंकि सावधान रहना चाहिये, क्योंकि हम उत्तर में चीन जैसे शत्रु के होते हुए चुप नहीं बैठ सकते। कार्यवाही इतनी कठोर थी वहां से जानकार अधिकारियों को हटा कर दूर से अधिकारियों को लाकर बिठा दिया गया। उनकी संस्कृति के परिरक्षण के बहाने से उन्हें स्थानीय तथा देश के अन्य लोगों से मिलने तथा यह भावना उत्पन्न करने से वंचित कर दिया कि वे महान् भारत राष्ट्र के निवासी हैं ?

वहां की शिक्षा पद्धति बहुत ही दोषयुक्त है क्योंकि जिन अधिकारियों को यह काम दिया गया है उन्हें उस प्रदेश की जरा भी जानकारी नहीं है। नेफा के विद्यार्थियों को शिलांग ले जाने और अपना अध्ययन करने देने का क्या कारण है जबकि पास के मदानों में अच्छी संस्थायें विद्यमान हैं ? क्या इसका अभिप्राय नेफा के लड़कों को मदानों के लड़कों से मिलने से रोकना है। क्या देश में भावनात्मक एकता उत्पन्न करने का यह ढंग है ? नेफा प्रशासन के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भारी शिकायत है कि उन्होंने ८ अगस्त १९५९ को लोकसभा में आसामी भाषा को प्रदेश की भाषा बनाने सम्बन्धी वक्तव्य के बाद प्रारम्भिक नेफा के विद्यार्थियों से ज्ञापन दिलवाया कि नेफा में प्रारम्भिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाया जाये। अतः मेरी कटु भावना है कि नेफा शिक्षा नीति का पुनर्गठन होना चाहिये ताकि उनकी पास के मदानों के लोगों से भावनात्मक एकता हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नेफा के स्कूलों में पास के मदानों के अध्यापक रखे जाने चाहिय। मेरा सुझाव है कि आसाम और नेफा के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विभाग जैसे विभागों का यथाशीघ्र समन्वय होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, मेरा विचार यह भी है कि आसाम और नेफा के लिए अधिकारियों की एक ही सेवा पदाली होनी चाहिये इससे एकता शीघ्र ही प्राप्त होगी। यह बात स्मरण रहनी चाहिये कि नेफा के लोगों का भविष्य पास के मदानों के लोगों के भविष्य के साथ बंधा है। चीन का आक्रमण भौतिक ही नहीं था अपितु भावनात्मक भी था। जब तक कि उल्लिखित ढंगों से इसे समाप्त नहीं किया जाता, वह क्षेत्र तब तक चीनी आक्रमण से सुरक्षित नहीं है।

इन शब्दों में मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं ने संकल्प प्रस्तुत कर्ता का भाषण बहुत ध्यान से सुना है। उन्होंने अनेक बातें कही हैं। उनमें से बहुत सी बातें नेफा पर लागू नहीं होतीं। उदाहरणार्थ उन्होंने धर्म प्रचारकों आदि का उल्लेख किया और फिर स्वयं ही कहा कि नेफा में कोई धर्म प्रचारक नहीं है और वह कुछ अन्य स्थानों (हो सकता है नागालैण्ड हो) के बारे में कह रहे थे . . . (**अन्तर्बाधा**) । उन्होंने सड़क बनाने में मेरे विरुद्ध होने की बात कही। यह बात ध्यान में रख कर कि हम वहां सड़कों तथा हवाई अड्डों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं, यह एक असाधारण वक्तव्य है।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने केवल तस्कर परियोजना का उल्लेख किया था। व्यक्तियों ने गलत सड़कें बनाई। बस यही कठिनाई थी।

†मूल अंग्रेजी में

संकल्प—वापस लिया गया

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न से विचार किये जाने के लिए अनेक पहलू पैदा हो जाते हैं। यह कहा कि नेफा अलग नहीं रखा जाना चाहिये और इसे भावनात्मक तथा अन्यथा की दृष्टि से भारत से मिलाना चाहिये, पूर्णतया ठीक बात है। परन्तु यह काम कैसे किया जाये ? पिछले कुछ वर्षों में क्या किया गया ? और क्या उससे इस कार्य में सहायता मिली है या रुकावट पड़ी है ? अंग्रेजों ने क्या किया, उससे मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने प्रायः क्षेत्र की अवहेलना की थी। यह मामला यहां इस लिए उठाया गया है कि चीनी आक्रमण से नेफा प्रदेश प्रसिद्ध हो गया है। यह ठीक है। वास्तव में, इसी चीनी आक्रमण ने नेफा के बारे में अपनाई गई नीति का औचित्य सिद्ध कर दिया है। मैं इसके समर्थन की बात नहीं करह रहा हूं। परन्तु यहां तक कि जब चीनी लोग आक्रमण कर रहे थे, यहां तक कि बोमडिला और आसपास की आदिम जाति के लोग और स्त्रियां वहां सामान ढोकर हमारी सशस्त्र सेनाओं की सहायता कर रही थीं। तवांग में, उन्होंने चीनियों द्वारा आयोजित कुछ समारोहों में भाग लेने से मना कर दिया। हां कुछ स्थानों पर कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया था क्योंकि कब्जा करने वाली सेनाओं के वहां होते हुए मना नहीं किया जाता। परन्तु चीनियों के इस आक्रमण और नेफा के क्षेत्र के एक या दो मास अधिकारी बने रहने से पता लगा कि नेफा के लोगों को शेष भारत के लोगों की ओर खींचने की गति काफी तेज हो गई। मैंने कहा कि वहां तक यह ठीक था।

यह कहना गलत है कि हम नेफा के लोगों को संग्रहालय में रखी वस्तुओं की भांति दर्शनीय रखना चाहते हैं। यह नीति हमारी कभी नहीं रही है। हमारी नीति का आधार सदैव ही यह तथ्य रहे हैं कि आदिम जाति के लोगों का विश्वास प्राप्त किया जाये और इसके लिय व्यक्ति को बहुत सोच विचार कर कार्यवाही करनी पड़ती है। साधारणतया समस्त संसार में हुआ यह है कि जहां कहीं कम प्रगति प्राप्त व्यक्ति है ; अर्थात् वे लोग जो रहन सहन के प्राचीन ढंगों के आदी हैं, जहां कहीं वे अधिक सभ्य लोगों के सम्पर्क में आये हैं, वहां उनको बहुत हानि हुई है। मिलने के बजाये वे कुछ नष्ट हो गये हैं। अमरीका में ऐसा हुआ है। ऐसा ही दक्षिण सागर के द्वीपो में हुआ है और सब जहग हुआ है। अतः कार्यवाही बहुत ही सोच समझकर करनी पड़ती है। इस समस्या को विशेषकर नेफा की समस्या पर स्वतन्त्रता के पिछले १२, १३ वर्षों में यह प्रयास किया गया है क्यों कि हम इसे भारत के पास लाना चाहते थे, हम उसे विचारों व भावनाओं में मिलाना चाहते थे। इस के लिये हमें शीघ्र ही पता लगा कि हमें एक विशेष अधिकारी की आवश्यकता है। सामने बैठे माननीय ने नेफा के लिये पृथक सेवा न रखने की बात कही। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने ऐसा कहा।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा था कि नेफा और आसाम के अधिकारियों का आदान प्रदान होना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**। आसाम का कुशल अधिकारी वहां अवश्य जा सकता है। परन्तु हमारा अनुभव यह है कि नागालैंड से यह बात विदित नहीं होता क्यों कि जो अधिकारी नागालैंड भेजे गये वे विशेष रूप से वहां सफल सिद्ध नहीं हुए। उन्होने नागाओं को बहुत भड़का दिया और उन्होंने वह किया जो सम्भतः कहीं भी इन लोगों के साथ, अर्थात् अपेक्षतया ऊंचे होने का रवैया अपनान नहीं चाहिये।

अनेक वर्ष पूर्व, स्वतन्त्रता से पहिले नेफा में एक अंग्रेज अधिकारी कुछ सशस्त्र व्यक्तियों के साथ गया। उसने कुछ कहा जो नेफा में आदिम जातियों के रीतियों के लिए घृणाजनक थी। उसी रात उस

†मूल अंग्रेजी में

अधिकारी, विलियमसन तथा सारी पटलन की हत्या कर दी गई है। आदिम जातियों के लिए इससे ज्यादा बुरी बात कोई नहीं है कि उनके साथ व्यवहार में उन्हें गिरा हुआ और स्वयं को ऊंचा समझा जाये ।

†**श्री त्यागी** : श्री हेम बरुआ को जाने दीजिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं जाने को तैयार हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संभव है कि माननीय सदस्य जाने को तैयार हों। संभव है कि वह बहुत उपयुक्त सिद्ध हों, और यह भी संभव है कि वह बहुत अनोपयुक्त सिद्ध हों।

इस बात पर हम सब एक हैं कि हमें उन्हें मिलाना है और उन्हें विचारों तथा भावनाओं में शेष भारत के समीप लाना है। यह करने की प्रक्रिया क्या है ? यह कोई अद्भुत प्रक्रिया नहीं है। इसमें कुछ समय लग सकता है ।

लोग कहते हैं कि भारत के अन्य सभी व्यक्तियों को नेफा जाने दीजिये। वहां सर्व प्रथम छोटे व्यापारी धन कमाने जायेंगे ? माननीय सदस्य ने आदिम जाति के लोगों की रंग विरंगी पोशाक पर ताना कसा था। यह केवल रंगीन पोशाक ही नहीं है, हम वहां कताई और बुनाई को भी बजाय इसके कि छोटे व्यापारी यहां से वहां ऐसे कपड़े ले जायें, जो अधिक नहीं चलते, जो देखने में अच्छे नहीं होते, जिन में कोई कला का चिन्ह नहीं होता और जिनके कारण उन्होंने अपने गृह उद्योग छोड़ दिये, बढ़ावा देना चाहते हैं। हम ग्राम उद्योग का समूचे भारत में विकास कर रहे हैं और इस जैसे क्षेत्र में तो और भी अधिक विकास कर रहे हैं जहां यह अब भी बढ़ रहा है और कहीं अधिक कलामय है। अतः हमारी नीति उनके दिल व दिमाग पर विजय पाना है और इससे भी बढ़कर उन्हें यह महसूस नहीं होने देना है कि हम अपने को उनसे ऊंचा समझते हैं ! यह बहुतही महत्वपूर्ण है। इसी कारण हमने देखा कि वहां भेजे जाने वाले अधिकारियों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया जाना है। उनका चुनाव किया गया और वे बहुत ही अच्छे सिद्ध हुए। वास्तव में, कुछ ने चीनी आक्रमण के समय बड़े ही दृष्टापूर्ण ढंग से व साहस से कार्य किया। मैं प्रत्येक के बारे में अचानक नहीं बता सकता, परन्तु साधारणतया वे बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, क्यों कि उनका चुनाव किया जाता है। वहां बहुत ही कम लोग जाना चाहते हैं, क्यों कि वहां उनको एक तरह जंगलों में एकाकी जीवन बिताना पड़ता है। वहां सिनेमा, थियेटर और मनोरंजन के साधन नहीं हैं। यदि आप वैसा न चाहें तो यह कोई साधारण बात नहीं है। अतः वह सेवा बनाई गई ।

सड़क बनाना हमारा मुख्य कार्य है। हमें खोलनी पड़ी है और अन्तरिम भागों के लिये परमिट की व्यवस्था के कारणों से जारी रखी। मुख्य कारण यह था कि लोग वहां गये और आदिम जाति वालों की भूमि छीन ली। आदिम जाति के लोगों के साथ व्यवहार में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है, उनकी रीति रिवाजों का आदर किया जाय। हाल में तीन समिति बनीं थी, एसा मेरा ख्याल है, जो वहां गई। एक ढेबर समिति थी जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया। एक रेणुका राय समिति थी और एक गृह-कार्य मंत्रालय की समिति थी। इनका काम बहु प्रयोजनीय आदिम जाति खंडों के कार्य का मूल्यांकन करना था। इन सब समितियों ने इस बात पर जोर दिया कि किसी को उनकी भूमि न छूने दो। अंतिम कथित समिति ने विकास योजनाओं के बारे में उनसे बहुत से प्रश्न पूछे। उन्होंने उन योजनाओं में अभिरुचि दिखाई। परन्तु सदैव कहा: "हमारी भूमि का क्या होगा" ? "क्या कोई इसे ले लेगा"?

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उन्हें इसका डर है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ घटनाएं देखी हैं। हमारे भरसक प्रयास के होते हुए भी कभी यह हो गया है और उनकी भूमि ले ली गई है। कोई व्यक्ति शेष भारत से वहां गया और धन देकर उनकी भूमि ले ली। स्वाभाविक है कि हम यह नहीं कर सकते। यदि हम लोगों को यहां से जाने और उनकी जमीन खरीदने दें, तो वह बहुत ही विनाशकारी बात होगी और हम उन्हें मिलाने के बजाय ऐसी स्थिति में ला देंगे जहां वे हमें शेष भारत को पसन्द करने के बजाय नफरत करने लगेंगे और सोचेंगे कि शेष भारत उन्हें व उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुई भावना केवल गलत ही नहीं होगी अपितु अत्यधिक हानिकारक होगी। यही कारण है कि लोगों को वहां नहीं जाना चाहिये और जाकर छोटी दुकान नहीं खोलनी चाहिएं जिससे उनके ग्राम उद्योग समाप्त हों।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या ये उद्देश्य उन्हें पृथक रखे बिना प्राप्त नहीं हो सकते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने अपने चुने हुए अधिकारी भेजे। फिर देखा कि अधिकारी ठीक हैं परन्तु उनके साथ जो कर्मचारी गये वे उसी ढंग से नहीं चुने गये थे। मैं क्लर्कों आदि की बात कर रहा हूं। हमें उनके साथ कठिनाई हुई। फिर हमने कहा कि क्लर्कों को भी सावधानी पूर्ण ढंग से चुना जाना चाहिये। हमें स्त्रियों के बारे में कुछ कठिनाई हुई। इस मामले से भी वहां बड़ी गड़बड़ी होती है। यदि कोई व्यक्ति वहां स्त्रियों के साथ बुरा आचरण करता है, तो उससे गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कुछ व्यक्तियों ने ऐसा किया और उससे बड़ी कठिनाई पैदा हुई। अतः इस बात के होते हुए भी कि भारत से लोग बड़ी संख्या में गये— सड़कें बनाने के लिये इंजीनीयर तथा सशस्त्र व्यक्ति परन्तु गड़बड़ी के उदाहरण थोड़े हैं क्योंकि हमने सेना को भी स्पष्ट अनुदेश दे दिये हैं। चीनी आक्रमण से पहिले जब वहां सेना भेजी गई थी, मैंने वहां जाने वाले सेना कमान्डरों को एक विशेष पत्र लिखा था और बताया था कि उन्हें वहां ऐसा आचरण नहीं करना चाहिये जो वे अन्यथा न करते हों, उन्हें स्त्रियों के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिये, उन्हें अपने अपने आप को ऊंचा मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिये, अपितु उन्हें सहायतापूर्ण व मित्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिये। उन्हें सदैव यह स्मरण रखना है कि हमें उनके दिल व दिमाग जीतने हैं और हम वहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य कर रहे हैं।

मैं कुछ और आंकड़े दूंगा। स्कूलों को लीजिये। स्वतन्त्रता के समय समूचे नेफा क्षेत्र में दो प्रारम्भिक स्कूल थे। अब यह संख्या १५९ हो गई है। नेफा में २० मिडिल स्कूल और ६ हाई स्कूल हैं। आसाम सहित देश भर में डिग्री की शिक्षा पाने वाले नेफा के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। गोहाटी विश्वविद्यालय के मैट्रिकुलेशन के परीक्षा से पता लगा कि समूचे रूप में गोहाटी विश्वविद्यालय की औसत ४४.९ है जब कि नेफा के विद्यार्थियों का प्रतिशत ८१.५ था जो लगभग दुगना है। अतः अवसर मिलने पर वे अच्छा कार्य करते हैं। यह कहना कि हम लोगों को रोकते हैं, हम उन्हें पृथक करते हैं, ठीक नहीं है। यह सही है कि हम राजनीतिक दलों का वहां जाना और दल बनाना पसन्द नहीं करते ये लोग बुरी तरह भ्रम में पड़ जायेंगे। यह बात भिन्न है। परन्तु अन्यथा, हम दुकाने पसन्द नहीं करते, हम बड़े बड़े दलों का वहां जाना पसन्द नहीं करते। परन्तु जैसा कि अब होता है, वहां सैनिक बड़ी संख्या में गये हैं, वहां इंजीनियर और उनके अधीनस्थ कर्मचारी बड़ी संख्या में गये हैं? वहां उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जो यह देखने गये कि वहां क्या हो रहा है, अनेक लोग गये हैं।

नेफा में आजकल ९१ स्वास्थ्य यूनिट काम कर रहे हैं। ९१ कुष्ट निवारक केन्द्र हैं। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम भी वहां लागू है। २१,६०० लोगों को टीके लगाये गये हैं। मलेरिये पर वहां

†मूल अंग्रेजी में

काफी नियंत्रण रखा गया है। सड़क निर्माण का कार्य वहां तेजी से हो रहा है। इस प्रकार के सभी कार्यों को बड़ी तेजी से किया जा रहा है परन्तु इन विकास योजनाओं के लिये समुचित प्रोत्साहन और सहयोग देने की आवश्यकता है। एक बात आश्चर्यजनक जरूर है कि हमने दूकानदारी को प्रोत्साहन नहीं दिया सहकारिता को बढ़ावा दिया है। सहकारिता वहां बड़े सन्तोष जनक ढंग से चल रही है। सहकारी संस्थाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आशा है कि क्षेत्र के व्यापार का बहुत सा भाग इन सहकारिताओं के हाथ में आ जायगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र का विकास किया जाये। यहां के लोग बड़े बहादुर और सरल हैं। हमें इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि खतरनाक विदेशी तत्वों को वहां जाने से रोका जाय। वहां बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप में बाग-बानी के विशेषज्ञ होने के बहाने जाते रहे हैं। बाद में हमें यह जान कर बड़ा दुख: हुआ कि बागवानी के स्थान पर वे लोग वहां जासूसी करते थे।

कुटीर उद्योगों तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इनका परिणाम अच्छा रहा है। कुटीर उद्योगों में ११५० लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ३९० लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। २१ छोटे उद्योग स्वतंत्र रूप से अपना काम चला रहे हैं। भारत दर्शन कार्यक्रमों में भी लोगों को इधर उधर भेजा जाता है। नेफा के लोग इस तरह से अन्य भारत के निकट आ रहे हैं और अन्य भारत के लोग यहां के लोगों को समझ रहे हैं। हमें उन लोगों के दिलों को जीतना चाहिए। मैं चाहता हूं, और सरकार की भी यही इच्छा है कि नेफा के लोग अपनी परम्पराओं के अनुसार अपना विकास करें, परन्तु हम उन्हें स्वतंत्र और आधुनिक जीवन के लिए विकास सुविधायें देने से इन्कार नहीं कर सकते। उन्हें अपनी परम्पराओं के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाय। आधुनिक विकास की लहर से कोई भी परे नहीं रह सकता। आज वहां स्कूल, अस्पताल, कुटीर उद्योग, सहकारिता, सभी दिशाओं में विकास की आवश्यकता है। हमें उन्हें पथप्रदर्शन के लिए अच्छे और सुयोग्य अधिकारी देने चाहिऐ। हम यहां के बच्चों को स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे है ताकि विज्ञान तथा तकनीकी कामों में वे पीछे न रह जाये। प्राथमिक स्तर पर यहां भाषा का माध्यम तो स्थानीय भाषा है। उस के बाद आसामी और हिन्दी का स्थान आता है। परन्तु यहां के लोग अंग्रेजी पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। अंग्रेजी यहां विज्ञान के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तकनीकी शिक्षा में भी ये लोग भारत के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आदिम जातियों के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय की एक समिति की राय बताता हूं। समिति ने कहा है :—

> भारत में आदिम जाति लोगों का जो व्यापक क्षेत्र है। उसका पिछले कुछ वर्षों का इतिहास काफी खेदजनक है। यह शोषण, अतिक्रमण तथा दमन की कहानी है। इस में भी सन्देह है कि इसके लिए जो विधान बनाये गये हैं, वे भी किसी तरह आदिम जाति लोगों को कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। कुछ न कुछ कमियां निकल आती हैं और स्थानीय लोग उसका लाभ उठा कर उसके प्रभाव को समाप्त कर देते हैं।

परन्तु मेरा विचार है कि शनैः शनैः स्थिति बदलती रहेगी और नेफा के लोग शेष भारत के लोगों के निकट आते जायेंगे। नेफा बड़ा व्यापक क्षेत्र है, इसलिए यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यहां कृषि की व्यवस्था काफी अच्छी हो सकती है। यह भी सुझाव था कि इस उद्देश्य से कुछ लोगों को बाहर से ले जा कर वहां बसाना चाहिए। छोटे छोटे क्षेत्रों में बाहर से सीमित संख्या में अच्छे कृषक भेज कर प्रयोग करने का प्रस्ताव है। इस दिशा में हो रही प्रगति पर पूरी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नजर रखी जायेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि किसी प्रकार का शोषण न हो और इस दिशा में जो नीति अपनाई गयी है उस में कोई अव्यवस्था न हो। क्योंकि यदि ऐसा कुछ हुआ तो इस आपात काल में लोगों के लिए वह अच्छा नहीं होगा। यहां के लोगों में सन्देह तथा असन्तोष की भावना बहुत ही बुरा प्रभाव पैदा कर सकती है।

कोई सन्देह नहीं कि नेफा में विकास का कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है। इस विकास कार्य का पर्याप्त प्रचार भी किया जायेगा। इस कार्य को करने वाले अधिकारियों को भी इन लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि यह मेरे मंत्रालय का काम है और यह बड़े संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ेगा।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : मैं ने केवल एक ही बात कहनी है कि हमारी कठिनाई यह है कि प्रधान मंत्री जब भी बोलते हैं हवा सरक जाती है। उनकी बात का प्रतिवाद करना कठिन हो जाता है। परन्तु मेरे विचार में श्री हेम बरुआ का समर्थन किया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में अब हमें इस बात को समाप्त करना चाहिए।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं ने अभी संकल्प वापिस नहीं लिया।

मैं प्रधान मंत्री के भाषण का स्वागत करता हूं। उन के भाषण में मेरे ही दृष्टिकोण की बात है। परन्तु मेरा विचार है कि संकल्प का उद्देश्य पूरा हो गया है। नेफा के लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया गया है। इस समस्या की ओर सदन का और प्रधान मंत्री का ध्यान गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने संकल्प में निहित बात को पूरा करने का प्रयत्न किया है। अतः मैं अपने संकल्प को वापिस लेता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को संकल्प वापिस लेने की अनुमति है ?

†**एक माननीय सदस्य** : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य-सूची के प्रथम संकल्प को अगली बार लेने का निर्णय हो गया है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (बलरामपुर) : मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करती हूं :

> "कि चीनी आक्रमण से उत्पन्न आपातकाल स्थिति को देखते हुए इस सभा की यह राय है कि राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। ताकि देश के राष्ट्रीय संसाधनों को संगठित किया जा सके।"

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे अगली बार लिया जायेगा। अब गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदान सम्बन्धी मांगों पर चर्चा होगी।

अनुदानों की माँगें--जारी

गृह-कार्य मंत्रालय--जारी

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मुझे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की यह बात समझ में नहीं आई कि इस आपातकालीन स्थिति में श्री गोपालन के सुझाव पर अमल करके आय-व्ययक के विरुद्ध विद्रोह किया जाय। आज जब कि देश चीनी आक्रमण का मुकाबला करने का प्रयत्न कर रहा है संगठित विद्रोह की बात करना बहुत ही खतरनाक है। परन्तु मेरे विचार में जिन लोगों में देश का कुछ हित है वे इस प्रकार के संगठित विद्रोहों का अवश्य मुकाबला करेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पश्चिमी बंगाल में गड़बड़ी हो रही है, इससे पता चलता है कि चीन के सभी एजेन्टों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि भूल तो इन्सान से हो जाती है परन्तु यह कहना गलत है कि पश्चिमी बंगाल का सत्तारूढ़ दल पक्षपात करके लोगों को दंड दे रहा है। यदि कोई बात देश की सुरक्षा के विरुद्ध हो तो प्रशासन को दंड देना ही पड़ता है। पुरानी जेलों और आज की जेलों के बारे में बहुत अन्तर है। उन जेलों में देश की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ने वालों को रखा गया था, जब कि आज की जेलों में देश के गद्दारों को डाला गया है। वैसे स्वतंत्रता के पहिले से जेलों की हालत आज बड़ी सुधरी हुई है।

अखिल भारतीय सेवायें बहुत अच्छी हैं, इनका बड़ा महत्व है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि सरकार के लिए यह बहुत ही आवश्यक चीज है कि देश भर से भ्रष्टाचार दूर करे। गृह-कार्य मंत्रालय पर तो इस बारे में भारी जिम्मेदारी है। गृह-कार्य मंत्रालय के लिए यह बड़ा जरूरी है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए बड़े ठोस कदम उठाये। एक बात और है, वह यह कि आज भ्रष्टाचार से कहीं अधिक कठिनाई अकार्य कुशलता की है। प्रशासन की गति बहुत ढीली है, अतः योजनाओं के कार्य को भली भांति कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। प्रशासन के ढांचे को ठीक करने की जरूरत है ताकि यह इस योग्य हो जाय कि समाजवादी समाज की स्थापना का कार्य ठीक ढंग से किया जा सके।

बड़े बड़े अधिकारियों को सेवा निवृत्त हो कर बड़े बड़े व्यापारियों के पास काम नहीं करना चाहिए। विधि म भी यह व्यवस्था है कि उच्च सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद दो बरस तक सरकार की अनुमति के बिना किसी फर्म में नौकर नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से इस व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो अधिकार सरकार को प्राप्त हैं उन्हें कार्यपालिक ढंग से लागू किये जाने चाहिएं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस वक्त समय दिया गया है, जब सदन में क्वोरम नहीं है। मुझे कुछ ऐसी बात कहनी थीं, जिन को अगर इस सदन के माननीय सदस्य सुनते, तो शायद हम को बल मिलता। लेकिन इस समय क्वोरम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की आवश्यकता नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : जहां तक गृह मंत्रालय का सवाल है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। कोई भी, किसी भी प्रकार की, सरकार हो, कम से कम दो बातों की सभी लोग उस से आशा करते हैं—देश की रक्षा और उस के साथ साथ देश में साफ़-सुथरा प्रशासन। अगर हम इन दोनों कसौटियों पर कसते है, तो हम गृह मंत्रालय को असफल पाते है। गृह मंत्रालय की खुफ़ियागिरी की यह ज़िम्मेदारी थी कि वह इस बात की जानकारी रखे कि सीमाओं पर क्या गतिविधियां चल रही हैं। सीमाओं पर बसने वाली जनता को तो उन के बारे म पता था, लेकिन सरकार को पता नहीं चल सका। इस से पता चलता है कि गृह मंत्रालय की खुफियागिरी असफल रही। और असफल क्यों न रहती ? वह खुफियागिरी तो प्रधान मंत्री और मंत्रियों की रक्षा में और ख़ास तौर से विरोधियों की गतिवधियां देखने में व्यस्त रहती हैं और सीमाओं पर क्या क्या हलचलें हो रही हैं, उधर उस का ध्यान नहीं जाता है।

जहां तक प्रशासन का सवाल है, उस पर अधिकारी और अफ़सर पहले से ही छाये हुए थे और जब से संकट-कालीन स्थिति की घोषणा की गई है, तब से ये अधिकारी और भी बुरी तरह से प्रशासन पर हावी हो गये है और खुले-आम जनता को दबा रहे हैं। मैं आप के द्वारा गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब संकट-कालीन स्थिति की घोषणा हुई और इस सदन में चर्चा चली, तो इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने एकमत से गृह मंत्री महोदय को व्यापक अधिकार दिये, ताकि वह उन का उपयोग देश की रक्षा के लिए करें। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि संकट-कालीन स्थिति और उन अधिकारों का सदुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि उन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं एक दो बात माननीय गृह मंत्री के सामने रखना चाहता हूं।

वैसे भी पहले बड़े अफ़सरों की नुक्ता-चीनी करना ठीक नहीं था। जो उन की नुक्ता-चीनी करते थे, वे उन के कोप के भाजन होते थे। लेकिन जब से संकट-कालीन स्थिति की घोषणा हुई और सरकारी अधिकारियों को और भी अधिकार दे दिये गए, तब से स्थिति और भी भयावह हो गई है। उदाहरण के लिए दरभंगा में एक हवाई अड्डा बन रहा है। उस हवाई अड्डे को बनाने के लिए एक कार्पोरेशन को ठेका दिया गया। उस कार्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं, वे इस सदन के भूतपूर्व कांग्रेस-सदस्य हैं। उस ठेके में काफ़ी गोलमाल चल रहा है। जो मज़दूर वहां काम करते हैं, उन को वेतन कम मिलता है। इस के अलावा उस में ठेका-दर-ठेका, इस प्रकार तीन तीन ठेके चल रहे हैं। जब समाजवादी सदस्य, श्री कफ़ील अहमद ने इस सवाल को उठाया और मज़दूरों को ज्यादा मज़दूरी देने की मांग की, तो उन बेचारे को डिफ़ेंस आफ़ इंडिया रूल्ज़ के अन्तर्गत जेल की हवा खिला दी गई और आज वह जेल में हैं।

एक और विचित्र बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी अभी अख़बार में ख़बर छपी है कि डा० लोहिया आसाम के कुछ क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। वह किसी दूसरे ज़िले में सभा करने जा रहे थे, तो उन को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि जब उन से यह पूछा गया कि तुम कौन हो, क्या हो, तो उन्हों ने अपना परिचय नहीं दिया। डिफ़ेंस आफ़ इंडिया रूल्ज़ का इस्तेमाल डा० राममनोहर लोहिया जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किया गया है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : बड़े लोगों के लिए ही तो ये रूल्ज़ बने हैं।

श्री राम सेवक यादव : उसके बाद उन को छोड़ दिया गया। चूंकि माननीय सदस्य, श्री माथुर को इस का पता नहीं है, इसलिए वह इस को पढ़ लें और अख़बारों में भी यह छपा है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, वह पहले ही बढ़ा हुआ था, लेकिन संकट-कालीन स्थिति की घोषणा के बाद यह उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार घटेगा और वर्तमान परिस्थितियों को देख कर कुछ सुधार होगा । लेकिन भ्रष्टाचार घट नहीं रहा है, बल्कि वह बराबर बढ़ता जा रहा है । जब सदन में मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाये, तो यह एक बड़ी भयावह स्थिति है । जैसाकि मैं ने पहले भी एक बार इस सदन में निवेदन किया था—और आज फिर कहना चाहता हूं—कि भ्रष्टाचार के कई तरीके हैं और आज मंत्रियों के लड़के बड़े बड़े पूंजीपतियों के कारख़ानों में अच्छी-ख़ासी मोटी तन्ख्वाहों पर लगे हुए हैं और उस के ज़रिये भ्रष्टाचार चलाया जाता है ।

प्रधान मंत्री ने एक बार इस सदन में कहा था कि भ्रष्टाचार नीचे के स्तर पर ज्यादा है और ऊपर भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है और यही कारण है कि भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है । जब गंगोत्री में ही कीचड़ है, तो इलाहाबाद और कानपुर की सफ़ाई से काम नहीं चलने वाला है । यह दिल्ली पाप की नगरी बन रही है और सारा भ्रष्टाचार यहां से चलता है ।

इस सदन में पूंजीपतियों के खिलाफ भी आरोप लगाए गए । मैं नाम नहीं लूंगा ,लेकिन में आप को बताना चाहता हूं कि किस तरह से बड़े बड़े सरकारी अधिकारी ठेकों में शामिल हो रहे हैं । एक इलाहाबाद के है । वह आज आई० ए० एस० आफ़िसर हैं । वह वाराणसी महापालिका के प्रशासक हैं । उन्हों ने स्वयं एक ठेके की कम्पनी बनाई है, जिस के वह प्रोप्राइटर हैं । उस कम्पनी को रेलवे का ठेका दिया गया, एक दूसरे को छोड़ कर, जिस ने वही क्वोटेशन्ज़ दिये थे, बल्कि बाद में घटा दिये थे । लेकिन पता नहीं, किस तरह से उन आई० एस० ए० महोदय की कम्पनी को ठेका दिया गया । जब इस बारे में शिकायत हुई, चर्चा चली, तो फिर उन्हों ने अपनी प्रोप्राइटरशिप को ग़लत ढंग से ट्रांस्फ़र किया, दूसरे के नाम किया । इस तरह के भ्रष्टाचार आज चल रहे हैं और इन की जांच होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब ख़त्म करने का प्रयत्न करें ।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से में अकेला सदस्य बोल रहा हूं । मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दो मिनट और ले लें ।

श्री राम सेवक यादव : दो मिनट में मैं पूरी बात नहीं कह सकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : में क्या कर सकता हूं । अभी तीन चार माननीय सदस्यों ने बोलना है ।

श्री राम सेवक यादव : में अपने दल की तरफ़ से अकेला सदस्य बोल रहा हूं । मैं निवेदन करता हूं कि मुझे दस मिनट और दिये जायें क्योंकि मुझे दो एक बात और कहनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो तीन मिनट और ले लीजिये ।

श्री राम सेवक यादव : दो तीन नहीं दस मिनट मुझे दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, पांच मिनट में आप खत्म कर दें ।

श्री राम सेवक यादव : इसी तरह से मैं स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के एक अफसर का ज़िक्र करना चाहता हूं । उस का रिश्तेदार गोरखपुर में है । यहां से उस को कारटरिजिज़ दिये जाते हैं । इस का उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी जिक्र हुआ है और अब मैं भी इस का यहां ज़िक्र कर रहा हूं । ये कारटरिजिज़ राइफल क्लब के लिए दिए जाते हैं लेकिन ये जा कर काले बाजार में बिकते हैं । इस तरह से इस का नाजायज़ लाभ उठाया जा रहा है ।

हरिजनों और पिछड़े वर्गों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । इन में मैं आदिवासियों, हरिजनों, शूद्रों सब को शामिल करता हूं । कुल मिला कर इन की आबादी ८५ प्रतिशत होती है । अब आप देखिये कि इस ८५ प्रतिशत आबादी का प्रशासन में क्या योगदान है ? मैं यहां आप को प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के अफसरों के ही आंकड़े देना चाहूंगा । प्रथम श्रेणी के १२,२५४ अफसर हैं जिन में हरिजनों और आदिवासियों के केवल २०३ हैं यानी १.७ परसेंट हैं । द्वितीय श्रेणी में २३,२९५ अफसरों में से हरिजनों और आदिवासियों की गिनती ७२६ है यानी ३.११ परसट है । पिछड़ी जातियों की संख्या नगण्य नहीं है। ८५ सैकड़ा वे हैं। अगर इन का हिस्सा राजकाज में नहीं होता है तो क्या आप चीन का मुकाबला कर सकेंगे । अगर आप समझते हैं कि कर सकगे तो यह असम्भव है । पिछड़ी जातियों के बारे में गृह मंत्रालय ने एक सर्क्यूलर जारी किया है कि शिक्षा संस्थाओं को जो अनुदान मिलते थे, इन लोगों को वजीफे इत्यादि मिलते थे वे बन्द कर दिये जायें । इस सर्क्यूलर से क्या मैं यह समझूं कि दस पंद्रह बरसों में पिछड़ी जातियों के लोगों की हालत अच्छी हो गई है, क्या उच्च नौकरियों में इन को जगह मिल गई है, क्या परिषदों के जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन में इन को अध्यापकों की जगह मिल गई है । अगर यह सही नहीं है तो जरूरी है कि इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाए ।

अब मैं आप का ध्यान संविधान की धारा ३४० की ओर दिलाना चाहता हूं । इस में राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि पिछड़ी जाति के लोगों की शिक्षा सम्बन्धी तथा दूसरे कार्यक्रमों के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करें । उस आयोग की नियुक्ति २९ जनवरी १९५३ में भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने की थी । उस आयोग की रिपोर्ट ३० मार्च १९५५ को मिल गई थी । इस आर्टिकल ३४० की जो उपधारा ३ है, उस में लिखा हुआ है कि प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायेगा ।

इस में "शैल" शब्द का इस्तेमाल किया गया है । लेकिन आज तक इस सदन के पटल पर वह प्रतिवेदन न तो रखा गया है और न हीं उस पर चर्चा हुई है । मैं निवेदन करूंगा कि अगर ज़रा भी उन का न्यायसंगत दृष्टिकोण है, अगर न्यायपूर्वक वह विचार करते हैं, तो इस प्रतिवेदन को इस सदन के सामने रख कर बहस करवायें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बदकिस्मत हूं कि सब से बाद में मुझे समय दिया गया है और शायद मेरे साथ बैर भाव वाली बात भी हो रही मालूम पड़ती है । लेकिन अन्त में मैं पंचायतों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । संविधान का आर्टिकल ४० जो है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जैक्ट है ।

श्री राम सेवक यादव : मैं संविधान की व्यवस्था का ज़िक्र कर रहा हूं । इस में कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ में कहा गया है कि ग्राम पंचायतें गठित की जायेंगी और सरकार यह कदम उठायेगी कि ग्राम पंचायतें शासन की इकाई बन सकें । और इस निमित्त उन को आवश्यक अधि-

कारों से सम्पन्न किया जाय । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज शासन के क्या अधिकार होते हैं ? आज यही तो अधिक होते हैं न, ख़ज़ाने पर अखत्यार, छोटे कर्मचारियों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार और तीसरे गांव सम्बन्धी कुछ कायदे कानन बनाने के अधिकार । मैं चाहता हूं कि आप बतायें कि क्या ये तीनों अधिकार उन को मिले हुए हैं । उत्तर प्रदेश की बात तो मैं जानता हूं दूसरों की ही नहीं जानता । हो सकता है कि दूसरी जगहों पर भी यही स्थिति हो । वहां पर पंचायतों को तीनों में से कोई भी अधिकार नहीं मिले हुए हैं । मामूली चौकीदार और चपड़ासी को वे हटा नहीं सकती हैं, नियुक्त करने की बात तो दरकिनार रही । कहां से वे धन लायगी । एक एक पैसा और एक एक आना चन्दा वे जमा करती हैं । ऐसी हालत में उन के पास इतना रुपया कहां से आ सकता है कि गांवों की तरक्की कर सकें ।

आज देश गांवों में बसता है और गरीब लोग गांवों में बसते हैं । गांवों के उत्थान की बात भी आप करते हैं । किस तरह से उन का उत्थान हो सकता है । क्या पंचायतों की हालत है ? जब तक गांव पंचायतों को अधिकार नहीं दिये जाते हैं, वे कुछ नहीं कर सकती हैं, वे तरक्की के कोई काम नहीं कर सकती हैं । एक प्रयास और आप की तरफ से किया गया है । आप ने कहा है कि विकास समिति बना दी जाय और उस के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराये जायें । इस से तो पंचायतों का महत्व ही आप ने समाप्त कर दिया है । में समझता हूं कि जब तक पंचायतों को अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकेगा ।

गृह मन्त्री महोदय ने अपने सरकारी अफसरों को हिन्दी सिखाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की है । बहुत दिनों से एक इसके बारे में रेग्युलर स्कीम चल रही है। अब उन्होंने एक एड हाक स्कीम बनाई है और उसमें अध्यापकों की नियुक्ति की है । इस स्कीम के अन्तर्गत जो अध्यापक रखे गये हैं उनको जो वेतन मिलता है तथा सुख सुविधायें मिलती हैं, वे उनसे कहीं कम मिलती हैं, जो कि रेग्युलर स्कीम के अन्दर जो अध्यापक रखे गये हैं, उनको मिलती है। दोनों में बड़ा अन्तर है । छुट्टियों के दिनों को इन एड-हाक टीचर्ज की तनख्वाहें काट ली जाती हैं । दोनों का काम एक समान है । लेकिन फिर भी दोनों में इतना अधिक अंतर है । जिस दिन हमारे दातार साहब तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी, उस दिन सभी सरकारी दफ्तर बन्द कर दिये गये थे और लोगों को सवेतन छुट्टी दी गई थी लेकिन इन एड हाक टीचर्ज के उस दिन के भी पैसे काट लिये गये थे । इससे ज्यादा और भेदभाव क्या हो सकता है ।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर इस सदन में माननीय मन्त्री जी बहस करवायें ।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन पर इस सदन में बहस हो रही है । इनमें कोई सन्देह नहीं है कि यह एक ऐसी रिपोर्ट है कि जिसकी महत्ता के सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं ।

देश की संकटकालीन स्थिति में गृह मन्त्रालय ने प्रशंसनीय कार्य किया है । गृह मन्त्रालय ने जिस स्थिरता और सुदढ़ता का परिचय दिया है, उसके लिए इस मन्त्रालय के केन्द्र विन्दु श्रीमान् लाल बहादुर जी को धन्यवाद दिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । देश पर बाहरी आक्रमण के समय इस बात की आवश्यकता रहती है कि जहां सीमा पर हमारे जवान दुश्मन का मुकाबला करें वहां देश में भी आन्तरिक शान्ति बनाए रखी जाए । लद्दाख की बरफीली चोटियों और घाटियों में हमारे बहादुर जवान लड़ रहे थे, उस वक्त उतनी ही आवश्यकता इस बात की थी कि देश में शान्ति बनाए रखी जाए और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है कि उस काल में अच्छी तरह से शान्ति बनाये रखी गई । गृह मन्त्री जी ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की सहायता से इस देश में ऐसा वातावरण बनाये रखा कि

[श्री भागवत झा आज़ाद]

साधारणतः दुश्मन जो चाहता है आक्रमण के पूर्व देश की स्थायी व्यवस्था टूट जाये, उस अपनी इच्छा की पूर्ति करने में वह सफल नहीं हो पाया। यद्यपि इस देश की जनता ने एक बार स्वर से उनकी अपना सहयोग प्रदान किया है, फिर भी जिस सूझ बूझ का इन्होंने परिचय दिया है, उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं।

कल से हमारे कम्युनिस्ट भाई इस बात पर जोर देते जा रहे हैं कि भारतीय सुरक्षा कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसको बन्द किया जाए। उन्होंने इस बात में कोई भेद नहीं किया कि सरकार ने कम्युनिस्टों को जेल में बन्द नहीं किया बल्कि केवल उन कम्युनिस्टों को जेल में बन्द किया है, जो देशद्रोही थे इस अर्थ में कि जिनकी चीन के प्रति सहानुभूति थी। अगर सरकार ने सभी कम्युनिस्टों को जेल में बन्द कर दिया होता तो सम्भवतः बोलने वाले सदस्यगण यहां पर बैठे तथा बोलते दिखाई न पड़ते। इसलिए उनको इन दोनों बातों में डिफरेंशिएशन तो करना चाहिये था। सरकार ने ऐसे आदमियों को जिनके हृदय में ज़रा भी आक्रमणकारियों के प्रति सहानुभूति थी, जेल में बन्द करके बिल्कुल ठीक किया है। यह तो स्वयं हमारे कम्युनिस्ट मित्र जानते हैं कि उनके नेता श्री डांगे साहब जब बंगाल गए थे तो वहां पर उनके कम्युनिस्ट बन्धुओं ने उन पर ढेले चलाये थे, पत्थर चलाये थे, उनको गालियां दी थीं और उनका अपमान किया था। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा नायर साहब जानते हैं कि नेशनल काउंसिल में उनके दोस्तों ने उनकी उस नीति का विरोध किया था। इसके बावजूद भी वह कहते जाते हैं कि गृह मन्त्री जी ने कमज़ोरी दिखाई है। वह काबर्ड हैं। हम समझते हैं कि वे उस ट्राइब के आदमी हैं जिनको ट्रेचरस कहा जाना चाहिये। इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि इस सुरक्षा कानून का अच्छा प्रयोग हुआ है और मैं आशा करता हूं कि हमारे गृह मन्त्री जी भविष्य में भी जब तक इस देश में संकटकालीन स्थिति है, इस बात में ज़रा भी नहीं हिचकिचायेंगे कि इस ट्राइब के उन लोगों को जिनकी सहानुभूति ज़रा सी भी दूसरे लोगों के प्रति है, जेल में बन्द कर दिया जाए। यह शिकायत करना कि उनको सुविधायें नहीं दी जाती हैं, सही नहीं है। उनको वही सुविधायें मिल रही हैं जो कि शायद हम लोगों को १९४२ के उन चार वर्षों में मिली थीं। अगर असुविधायें भी दी जाती हैं तो भी जो देशद्रोही हैं, उनको असुविधाओं से क्या मतलब। मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूं और मैं समझता हूं कि इसका सदुपयोग हो रहा है।

इस संकटकालीन स्थिति में शासन तन्त्र में जिस अमरजेंसी की आवश्यकता थी वह दिखाई नहीं पड़ती है। मैंने प्रधान मन्त्री जी को एक पत्र लिखा था और उनको यह कहा था कि उनकी सारी बात, उनकी सारी नीति जनता के सामने है और वह बिल्कुल स्पष्ट है, उसकी हम तारीफ करते हैं, उसकी हम ताईद करते हैं। लेकिन वह यह भी समझती है कि इस संकट की स्थिति में शासन यन्त्र में जो भावना आनी चाहिये थी अमरजेंसी की, उसके महत्व की, वह नहीं आ पाई। और मैं जनता के इस विचार से सहमत हूं। अभी एक ऐसा समय था जबकि हम शासन यन्त्र में आई हुई बुराइयों को, उसके अन्दर आये हुए रैड टेपिज्म को या जो और तरह तरह की बातें होती थीं, उन्हें दूर कर सकते थे लेकिन वह दूर नहीं हुई। शासन की क्षमता शासन में घुसी बुराइयों को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकी। यह बात सच है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने एक ऐसा शासन यन्त्र बनाने का यत्न किया जो हमारे फाइनेन्शल टार्गेट्स को पूरा कर लेता है और वर्ष में हजारों करोड़ रुपये खर्च कर लेता है, लेकिन जहां तक फाइनेन्शल टार्गेट्स और उसके ऐचीवमेंट्स का प्रश्न है, उनमें कोई समन्वय हम नहीं देख सकते हैं।

अगर शासन यन्त्र को हम इस रूप में देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन को सोशलिस्ट सोसायटी में कैसा होना चाहिये, अगर हम यह देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन को **विजा बी पीपल्ड डिमांड्स** कैसा होना चाहिये, अगर हम देखें कि कामन मैन्स ग्रीवान्सेज जो हैं उन

की तुलना में एडमिनिस्ट्रेशन किस रूप में है, और अगर यह देखें कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिये बराबर कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार आ रहा है, इन चारों दृष्टियों से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो मैं गृह मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हमारी राय है, और हम यह आशा करते थे, कि इस संकट की स्थिति में शासन में समुचित सुधार हो पायेगा। लेकिन वह नहीं हो पाया। मैं यह नहीं कहता कि शासन यंत्र में इस संकट काल की स्थिति में अरजेन्सी नहीं आई। वह आई लेकिन जैसा प्रधान मंत्री ने बतलाया कि वह पार्शली ट्रू है, नाट होलली, मैं भी उसका समर्थक हूं। लेकिन हम आशा करते थे कि इस समय शासन में पूर्ण रूप से सुधार होगा। इस प्रसंग में मैं विस्तृत रूप में शासन में आई कठिनाईयों, बुराइयों और जो भ्रष्टाचार के रूप कहे जाते हैं, उनका विषद उल्लेख नहीं कर सकता और न इस के लिये मेरे पास जो समाधान हैं उन्हें दे सकता हूं। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि ऐसे समय में शासन में बहुत सी ऐसी अपार्चनिटीज हैं जिन का हम उपयोग करें तो उन को दूर कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता को उसका शासन उसकी भाषा में मिलना चाहिये। यह बात गृह मन्त्री जी स्वयम् समझते हैं और कुछ दिन पूर्व उन्होंने इसका संकेत भी किया था। मुझे दुःख है कि ज्यों ही गृह मन्त्री जी ने यह बात कही कि पब्लिक सर्विस कमीशन की उच्च स्तरीय परीक्षायें अब हिन्दी के माध्यम से होने की सम्भावना है, और जिस पर राष्ट्रपति जी ने भी अपने निर्देश दे दिये हैं, तुरन्त इस देश के अन्दर लम्बे लम्बे सम्पादकीय लिख डाले गये, एडीटोरियल्स लिख डाले गये, कि बड़ा गजब हो जायेगा। हालांकि यहां के जो प्रेस हैं उन्होंने संकटकाल की स्थिति में अपने रवैये का अच्छा परिचय नहीं दिया, फिर भी चूंकि प्रेस की स्वाधीनता एक बहुमूल्य स्वाधीनता है गणतन्त्र में, इस आधार को मान कर हमारे गृह मन्त्री जी ने उन्हें उल्टे लेटिट्यूड दिया, उनको काफी छूट दी, जिसके वे भागी नहीं थे, जिसके वे हकदार नहीं थे, ऐसे समय में। यह जो अहम प्रश्न है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की उच्चस्तरीय परीक्षायें हिन्दी के माध्यम से भी होंगी उन्होंने उसके विरुद्ध आज से एजिटेशन करना शुरू कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी इस को याद रक्खें कि अगर वे फ्रीडम के नाम पर उनको आज से जनता के दिमाग को दूषित करने का, प्वायजन करने का, अवसर देते हैं, तो एक ऐसा समय आयेगा जब उनके लिये कठिन हो जायेगा उनको संयम और नियन्त्रण में रखना। इसलिये मैं हिन्दी के प्रसंग में निवेदन करना चाहूंगा कि मैं यह नहीं कहता कि दक्षिण भारत के मित्र जिनको इस सम्बन्ध में कठिनाइयां हैं उन्हें आज से ही इस भाषा में आजाना चाहिये, वह जब तक चाहें इंग्लिश को रक्खें, मुझे ऐतराज नहीं लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ऐसे राज्यों में, जहां की जनता, जहां के लोग, चाहते हैं कि उनको अधिकार हो कि वे हिन्दी के माध्यम से अपनी परीक्षायें दें, अपने ज्ञान का विकास करें, उनको यह अधिकार पूर्ण रूप से मिलना चाहिये, और इस देश की १ प्रतिशत आवादी के प्रतिनिधि जो मोनोपोली प्रेस हैं, फ्रीडम आफ दि प्रेस के नाम पर उनकी बातों में न आ कर श्री लाल बहादुर शास्त्री को अपने राष्ट्रपति के निर्देश का पूर्ण रूप से यथाशीघ्र पालन करना चाहिये।

†**श्री सेझियान** (पेरम्बलूर) : गृह-कार्य मंत्रालय का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि केन्द्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं में ७० प्रतिशत स्थान उन लोगों के लिए रखे जायेंगे जो कि युद्ध सेवाओं से आयेंगे और बाकी ३० प्रतिशत सेवायें दूसरे लोगों के लिए होंगी। यह तो ठीक ही है कि युद्ध में जाने वालों के लिए यह संरक्षण होना ही चाहिए।

इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मद्रास में "केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरेट" में भी युद्धकालीन सेवा कर्मचारियों की शिकायतों की ओर समुचित ध्यान दिया जाय। यह खेद की बात है कि उन की वरिष्ठता का निर्णय करते समय तथा स्थायीकरण तथा पदोन्नति

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सेझियान]

के मामलों में, उन लोगों की युद्धकालीन सेवाओं का ध्यान नहीं रखा गया । अन्य विभागों के कर्मचारियों को यह सुविधा दी गयी है ।

भाषा का मामला बहुत जटिल है । प्रधान मंत्री ने बार बार यह आश्वासन दिया है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी लादी नहीं जायेगी । परन्तु इसके बावजूद स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों में हिन्दी लादी जा रही है । अब भी व्यवस्था यह है कि गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों से आये व्यक्तियों को पदोन्नति के बारे में विचार करने के लिए हिन्दी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है । हिन्दी को इस तरह लादे जाने के बारे में दक्षिण के लोगों में काफी रोष की भावना पाई जाती है । दक्षिण के लोगों के भय और असंतोष को दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिएं ।

हिन्दी को लादने के कार्य ने दक्षिण के लोगों में विद्वेष की भावना उत्पन्न कर दी है । कट्टर कांग्रेसियों में भी ऐसी भावना पाई जाती है । स्वर्गीय डा० पी० सुब्बारायन ने २३-१०-५७ को मद्रास में दिये गये भाषण में कहा था कि आने वाले कई वर्षों में भी केन्द्र में हिन्दी को राज-भाषा बनाया जाना असम्भव है और इसलिये इंग्लिश को बनाया रखा जाये । डा० सुब्बारायन ने यह बात एक सार्वजनिक सभा में कही थी । उन्हें इन कार्यों के विषय में काफी ज्ञान था । डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने, जो सत्तारूढ़ दल में अधिक लोकप्रिय हो गये हैं तथा जो भारत में राष्ट्रीय एकता के विषय में प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, नवम्बर, १९५७ में प्रधान मंत्री को भेजे गये अभ्यावेदन में लिखा था कि :

> "इस विरोध का आधार यह न्यायसंगत आशे का है कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी है वह इस में इतनी प्रवीणता प्राप्त कर लेंगे जितनी अन्य नहीं कर सकते और वे इससे राजकीय तथा अन्य क्षेत्रों में अनुचित लाभ उठायेंगे । दूसरों के लिये यह व्यवधान स्थायी हो जायेंगे । यह विभेद अचेतन होने पर भी वास्तविक होगा ।"

इसके पश्चात्, २२-१२-५७ को संघ भाषा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भी उन्होंने इंग्लिश के हटाये जाने का, जो कि उन के विचार में सभ्यता का प्रवेशद्वार है, विरोध किया था । उन्होंने कहा था कि यह अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति अन्याय होगा और विभिन्न क्षेत्रों में उनके विकास में बाधा उत्पन्न करेगा ।

यह भी स्वीकार किया गया है कि हिन्दी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये वैकल्पिक भाषा मानी जायेगी । अन्य भाषाओं को भी यह अवसर दिया जाना चाहिये; क्योंकि वह भी हिन्दी के ही समान समृद्ध हैं ।

मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वह लोगों के मन से इस भय को दूर कर दें । वह एक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं । प्रधान मंत्री के आश्वासन को सिद्धान्त रूप से पूर्ण किया जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री प० ला० बारूपाल ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । सभा की कार्यवाही अनुच्छेद १००(४) को देखते हुए जारी नहीं रखी जा सकती जिस में सभापति के लिये यह कर्तव्य निर्दिष्ट किया गया है कि गणपूर्ति न होने पर सभा को स्थगित कर दिया जाये । कोई भी परम्परा संविधान को नहीं लांघ सकती जिसका पालन करना हमारा कर्तव्य है . . .

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** परम्परा यह है कि सभा की बढ़ाये हुए समय में हो रही बैठक में गणपूर्ति के लिये आपत्ति नहीं उठाई जा सकती ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** यह संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है ।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से इन्तिजार कर रहा था । मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं परिगणित जाति का सदस्य हूं, इसलिए चाहिए तो यह था कि पहले उनकी समस्याओं पर बोलूं लेकिन मैं उनकी समस्याओं पर देश ी समस्याओं को प्राथमिकता देता हूं । मैं गृह मंत्रालय का ध्यान राजस्थान के सात सौ मील के बार्डर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में जहां उत्तरी भारत के सीमा क्षेत्र के विकास का संकेत किया गया है वहां राजस्थान के बार्डर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है । मैं सन् १९५२ से संसद् का सदस्य रहा हूं और मुझे सीमा पर जाने का मौका मिला है । मैं कुछ बातें सीमा के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं । जहां तक मेरा खयाल है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो पुलिस चौकियां स्थापित करने के बारे में निर्णय हुआ था वह यह था कि जो हमारे पिलर हैं, जो हमारी सीमा रेखा है, उससे ३०० गज की दूरी पर पुलिस चौकियां स्थापित की जायें । उस निर्णय के अनुसार हमारी पुलिस चौकियां तो सीमा से ३०० गज की दूरी पर स्थित हैं लेकिन पाकिस्तान की चौकियां वहीं की वहीं हैं । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं दिखायी देते । अगर खुदा न ख्वास्ता उधर से हमला हो गया तो वह तो पहले ही तीन सौ गज आगे होंगे और हम को दबा सकते हैं । मेरा निवेदन है कि इस को देखा जाये कि यह कहां तक सही है । इसकी तहकीकात की जाये ।

मैं ने यह भी देखा है कि पाकिस्तान ने उमरकोट से जम्मू तक अच्छी सड़क बना ली है । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सीमा की सुरक्षा का सारा भार राजस्थान सरकार पर है । हमारी सरकार उस भार को नहीं झेल सकती । आप को चीनी हमले से सबक लेना चाहिए । हम पहले भी चिल्लाते थे कि सीमा पर अच्छी व्यवस्था नहीं है । मैं शास्त्री जी से आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारी सीमा पर सुरक्षा का अच्छा प्रबन्ध करें ।

इसके साथ ही साथ मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है भू० पू० स्टेट गवर्नमेंट के समय से जो हमारी पुलिस चौकियां हैं उनके अन्दर टेलीफोन तो लगे हुए हैं लेकिन आपरेटर नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि कम्पनी हैडक्वार्टर से अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यह व्यवस्था ठीक होनी चाहिए ।

इसके बाद मैं पुलिस के जवानों के मकानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक हमारी पुलिस चौकियां वहां रहेंगी । मकानों की हालत यह है कि राइफिलें रखने की भी ठीक जगह नहीं है । जब बरसात होती है तो तमाम सामान भीग जाता है । मैं जल्दी जल्दी कुछ आप को संकेत करना चाहता हूं । हालांकि मैं समझता हूं कि यहां पार्लियामेंट में सुरक्षा व्यवस्था की त्रुटियों के बारे में संकेत करना उचित न होगा फिर भी मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे जवानों के पास जो कि आज पाकिस्तान के जवानों के मुकाबले आधुनिकतम हथियार नहीं हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प० ला० बारूपाल]

वे उन्हें सप्लाई किये जायें तभी सुरक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार हो सकती है । पाकिस्तान के जवानों के पास आधुनिक हथियार हैं । जरूरत इस बात की है कि अपने जवानों को भी उनसे लैस किया जाय । हमारे यहां जो पुलिस पोस्ट्स हैं मैं समझता हूं कि एक एक पुलिस पोस्ट पर कम से कम पांच एल० एम० जी० जरूर होनी चाहिएं । इसी तरह से राजस्थान में सीमा के ऊपर जो हमारी पुलिस तैनात है और राजस्थान में सिवाय ऊंट के अन्य कोई सवारी नहीं है चूंकि वह सारा रेगिस्तान है इसलिए हर एक पुलिस पोस्ट पर कम से कम दस ऊंट अवश्य होने चाहिएं ।

मैं देखता हूं कि आज वहां जवानों के लिए पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है । उस क्षेत्र में पानी खारा है । दूसरे गांवों से उनको पानी लाना पड़ता है । मैं ने पुलिस के जवानों को अपने सिर के ऊपर मटकों में पानी ढोते हुए देखा है । इसलिए मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां पुलिस पोस्ट्स हैं कम से कम आपातकाल के समय में पानी की सुव्यवस्था होनी चाहिए । वहां पर वाटर टैंक बनने चाहिएं । रिजर्व पानी के लिये ।

मैं ने यह भी देखा है कि जिन मकानों में पुलिस के जवान रह रहे हैं वह मकान ख़स्ता हो रहे हैं । और ढहने वाले हैं भू० पू० स्टेट गवर्नमेंट ने हज़ारों रुपये खर्च करके उन मकानों को बनाया । उन मकानों में पुलिस की चौकियां हैं । जब हम उनकी हालत को देखते हैं तो हमारा सिर शर्म के मारे झुक जाता है । जो भूतपूर्व शासक लोग हैं वे कहते हैं कि देखो हमने मकान बनाये वह कितने अच्छे बनाये थे और यह मकान तुम्हारी सरकार के समय ढहने लगे हैं और जहां यह मकान गिरेंगे वहां इनके नीचे पुलिस के जवान भी मरेंगे तो हमें उनको कोई जवाब देते नहीं सूझता और शर्म से सिर नीचे झुक जाता है । मैं गत होली से एक दिन पहले स्वयं पुलिस के जवानों से एक चौकी में जाकर मिला हूं और उसकी ख़स्ता हालत देखी है । मेरा निवेदन है कि पुराने भवनों की ठीक से मरम्मत की व्यवस्था की जाय और इनको ढहने से बचाया जाय ।

एक दूसरी चीज़ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां काफ़ी तस्कर व्यापार होता है । मुझे यह कहते हुए दुःख होता है यह हक़ीकत है कि वे तस्कर व्यापार करने वाले मुझे इतने वफ़ादार नहीं मालूम पड़ते हैं जितना कि शायद उनको समझा जाता है । तस्कर व्यापार के अलावा हमारे यहां जो डकैत आदि होते हैं, डकैतों का उन्मूलन करने के लिए जो प्रयास किये गये और किये जा रहे हैं उन के लिए मैं राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं । इसके अतिरिक्त जब से श्री माथुर साहब ने गृह मंत्रालय का कार्यभार सम्हाला है उस काम में काफ़ी तेज़ी आई है और काफ़ी बुरे लोगों को पकड़ा गया है । डकैतों को काफ़ी संख्या में मारा गया है । मैं इस के लिए बीकानेर पुलिस के अधिकारियों, राजस्थान की सरकार और शास्त्री की जो धन्यवाद देना चाहता हूं ।

एक अन्य बात मैं आप से कहना चाहता हूं कि हरिजनों के वास्ते समाज कल्याण आदि कार्यों की जो मेरे मित्रों ने सदन में चर्चा की और उनको और बढ़ाने के लिए कहा है मैं समय के अभाव में उसके बारे में और कुछ न कह कर अपनी राय उन भाइयों के साथ में मिलाना चाहता हूं और हरिजनों के विकास और कल्याण के लिए उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उन में मेरा नाम भी जोड़ दिया जाया ।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भ्रष्टाचार के बारे में जब हम कहते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी हमारी नहीं मानते । अब भ्रष्टाचार की शिकायत विरोधी पक्ष के लोग करते हैं और केवल इस बिना पर टाल देना कि गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए करते हैं, ऐसा सोचना

उचित व ठीक न होगा । कारण भ्रष्टाचार हमारे बीच में फैला हुआ है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि जो भ्रष्टाचारी अफसर होते हैं वे न सरकार के होते हैं और न विरोधी पार्टी के । भ्रष्टाचारी निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोही व देशद्रोही हैं और उन के ऊपर कड़े से कड़ा क़दम उठाया जाय ।

आज मेरे साथी श्री कामथ जी ने जो एक सुझाव दिया है मैं भी उसका समर्थन करता हूं इस करप्शन की बीमारी से हम बहुत तंग आ गये हैं । दूसरा आदमी जो इसको लेकर हमारी सरकार की आलोचना करे और हम उनका समर्थन करें यह उचित नहीं लगता है लेकिन मजबूरी-वश करना पड़ता है क्योंकि भ्रष्टाचार की बुराई को जैसे भी हो हमें अपने बीच से समाप्त करना है । वैसे सरकार की आलोचना करने वाले का समर्थन करने को हमारा दिल नहीं करता है लेकिन मजबूर होकर हमें ऐसा करना पड़ता है । इसलिए मेरा शास्त्री जी से निवेदन है कि आप जिस ढंग से काम कर रहे हैं उसके लिए हम आप के आभारी हैं । आपके व्यक्तित्व, आपकी कार्य-कुशलता और आप एक तीक्ष्ण बुद्धि राजनीतिज्ञ होने के नाते हम सब लोग आपकी इज्जत करते हैं पर भगवान की कृपा से हमारी सब समस्याएं आपके द्वारा हल हो जायें । मेरा बस इतना ही निवेदन है कि आप हमारे राजस्थान का ध्यान रक्खें । हमारी राज्य सरकार के ऊपर सारा भार मत लाद दें । उन को और अधिक धन दें ताकि वह अपनी सीमा की रक्षा अच्छी तरह से कर सकें ।

†**श्री मुहम्मद इस्माइल** (मजरी) : कुछ विषयों के संबंध में वक्ता और श्रोता दोनों ही उत्तेजित हो जाते हैं । यदि इन पर शांतिपूर्वक विचार किया जाये तो यह विषय को अधिक प्रभावशाली बना देगा और साथ ही लोगों को भी इसे स्पष्ट रूप से समझने में योग देगा ।

कहा गया है कि पाकिस्तानी अवैध रूप से आसाम की सीमा को पार कर रहे हैं । यदि यह सच है तो इसे रोका जाना चाहिये । यदि वह काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो इसका यह अर्थ है कि सरकार की नीति असफल सिद्ध हुई है । इसे रोकने के लिये कठोर कदम उठाये जायें ; किन्तु साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि ऐसा करने में देश में वास्तविक नागरिकों के लिये कठिनाई उत्पन्न न हो जाये । मेरा ऐसा कहने का एक विशेष कारण है ।

कुछ ऐसे मामले भी सामने आये हैं जहां ऐसे लोगों को जो १५,२० अथवा ३० वर्षों से आसाम के गांवों में रह रहे थे और जिनकी वहां सम्पत्ति थी उन्हें पुलिस ने स्थान छोड़ने की सूचना दे दी है । उन्होंने न्यायालय में अपने पक्ष में सबूत दिये हैं किन्तु न्यायालय के अनेक पक्ष में निर्णय करने के उपरान्त भी उन्हें स्थान छोड़ने के विषय में कहा जा रहा है । इन तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके देश के वास्तविक नागरिकों की कठिनाई दूर की जानी चाहिये ।

पाकिस्तान से आये हुये व्यक्तियों की संख्या के विषय में विवाद है । पिछली जनगणना में धर्म का भय नहीं रखा गया था । यदि ऐसा होता तो आसाम के रहने वाले मुस्लिमों की संख्या का ज्ञान होता और फिर इसको तुलना में बताया जा सकता था कि कितने मुस्लिम पाकिस्तान से आये हैं । संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों को मान्यता दी गई है । इसलिये यह उचित था कि जनगणना के समय इनके पृथक् आंकड़े प्राप्त किये जाते ।

जब इन्हें कोई शिकायत अथवा कष्ट होता है तो यह अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं । उन्हें बताया जाना चाहिये कि उनकी शिकायतें ठीक हैं अथवा गलत । किन्तु ऐसा नहीं किया जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

देवबन्द में दारूउलूम का प्रबन्धकार्य कांग्रेसी मूस्लिमों के हाथ में था । एकाएक वहां की जांच-पड़ताल की गई । अधिकारियों की सहमति से आगे की कार्यवाही की जानी चाहिये थी । किन्तु ऐसा नहीं किया गया । सरकार को इस विषय का स्पस्ट उत्तर देना चाहिये ।

यह भी कहा गया है कि पानीपत में बकरियों की कुर्बानी बंद करदी गई थी । इसकी जांच की जानी चाहिये । व्यक्तिगत विधि भुस्लिमों के धर्म का अंग है । उन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पालन करने का अधिकार है । जब यह प्रश्न संविधान सभा में आया था तब प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि जब तक लोग स्वयं न चाहें इस विधि में परिवर्तन नहीं किया जायेगा । किन्तु कभी-कभी इससे संबंधित मामले सामने आते हैं । सरकार को चाहिये कि इनकी जांच करे ।

मुस्लिमों ने यह कभी नहीं कहा कि उन्हें विधान मंडलों अथवा सरकारी सेवा में स्थान नहीं दिया जाता । उनका कहना तो यह है कि यह संख्या उनकी जन संख्या के अनुपात में बहुत कम है ।

जनगणना में अल्पसंख्यकों के विषय में कोई उल्लेख नहीं होता । २ माह पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे एक प्रतिनिधि मंडल ने कहा था कि भारत में मुस्लिमों की संख्या ५ करोड़ है । कुछ दिनों पश्चात् एक अन्य प्रतिनिधि मंडल ने यही सख्या ६ करोड़ बताई और कुछ दिनों पश्चात् किसी अन्य ने ८ करोड़ बताई । यह सब इसी दोष के कारण हुआ कि जनगगना में अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं किया गया था ।

फरवरी में सरकार ने ऐसी घोषणा की थी कि अडमान-निकोबार द्वीदों के आयुक्त को परामर्श देने के लिये एक १० व्यक्तियों की समिति बनाई जायेगी । लेकिन उसमें पंचायत के प्रतिनिधित्व क अनुपात कम रखा गया है । इसे बढ़ा दिया जाना चाहिये ।

लक्काद्वीव, अंडमानद्वीव और मिनिकोय द्वीपों में भी ऐसे पग उठाये जा रहे हैं । वहां सरकार स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पग उठाने का विचार कर रही है । ऐसे उपायों में तीव्रता लाने की आवश्यकता है क्योंकि यहां के लोगों में कुछ कुष्ठ और हाथी पांव की बीमारी बहुत होती है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : (फिरोजाबाद) : श्रीमान्, देश में गृह-कार्य मंत्रालय का उत्तर-दायित्व बहुत बड़ा है । यह उत्तरदायित्व चीनी आक्रमण के कारण और भी गुरूतर हो गया है । संतोष का बात है कि जिन कंधों पर यह भार है वह काफी शक्तिशाली हैं ।

मैं डा० अणे के इस परामर्श से सहमत हूं कि इस आपात काल में सरकार को अपना ध्यान प्रति-रक्षा को बलवान बनाने में केन्द्रित करना चाहिये और ऐसे विवाद उत्पन्न नहीं करने चाहिये जो देश की ऐकता को विश्रंखलित कर दें ।

स्वतन्त्र दल ने आपात काल को समाप्त करने की मांग की है । चीनी लोग सीमा पर इकट्ठी हो रही हैं । मुझे आश्चर्य है कि ऐसे समय में आपात काल को समाप्त करने और आयोजन में ढील डालने के लिये कैसे परामर्श किया जाता है । साम्यवादी दल ने यह आरोप लगाया है कि भारत प्रति-रक्षा नियमों का प्रयोग राजनैतिक प्रयोजनों के लिये किया जाता है । मेरा विचार है कि सरकार ने इस दल के साथ व्यवहार करने में काफी संयम से काम लिया है, यद्यपि लोकमत इस पक्ष में था कि इनके प्रति अधिक कठोर कदम उठाये जाते । स्वतन्त्रता-संग्राम में इसके कार्यों की अभी देश भूला नहीं है और अब भी इसकी निष्ठा संदेहस्पद है । मंत्रालय के पास तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के सबूत के अतिरिक्त शत्रु के साथ सांठ-गांठ के भी सबूत हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हम देश की सुरक्षा को संकट में डाल कर भी सहिष्णुता दिखा रहे हैं। क्या इतिहास में ऐसा कोई अन्य उदाहरण भी मिल सकता है कि जिस मुस्लिम लीग ने देश का विभाजन करवाया उसे फलने-फूलने दिया जा रहा है ? सभा में अभी एक भाषण दिया गया था जिस में मुस्लिम सम्प्रदाय, उनके धर्म अधिकार और विशेषाधिकार का ही उल्लेख किया गया था। उनकी चिन्ता केवल ६ १/२ करोड़ मुस्लिमों के विकास और कल्याण तक ही सीमित थी और शेष ३६–३७ करोड़ जनता के प्रति वह उदास थे। ऐसे भाषणों से यही प्रतीत होता है कि देश में अब भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं अपितु सम्प्रदाय के प्रति है। युद्ध के बादल घुमड़ रहे हैं और यह चिन्ता का विषय है कि जो दो राष्ट्र सीमा पर युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं उनके सक्रिय सहायक देश के अन्दर विद्यमान हैं। गृह-कार्य मंत्रालय को चाहिये कि इस ओर ध्यान दे। आसाम में भारी संख्या में पाकिस्तानी आ रहे है। इस तथ्य की अवहेलना नहीं की जा सकती।

देश में शांति और व्यवस्था के विषय में मैं कुछ शब्द कहूंगा। अपराध बढ़ रहे हैं। मेरे निवाचन क्षेत्र में जहां मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमायें मिलती हैं अपराधों की संख्या में वद्धि हो रही है। दिन दहाड़े लोगों को उठाकर ले जाया जाता है और भारी फिरौती मिलने पर ही छोड़ा जाता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि गांव से शिक्षित और समृद्ध व्यक्ति शहरों की ओर जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस विषय में कठोर कदम उठायें।

नौकरशाही के विषय में निरन्तर ध्यान देने की आवश्कता है। हम समाजवादी ढांचे के समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें व्यक्ति की गरिमा के प्रति सम्मान और अवसर, समाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति समानतायें हों। किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि इन ध्येयों की ओर अग्रसर होते समय सामान्य न्याय भी दुर्लभ हो गया है और साधारण जनता अपने को अत्यन्त असहाय अनुभव कर रही है। न्यायालयों द्वारा न्याय प्राप्त करना समन्य व्यक्तियों के वश के बाहर की बात है और प्रशासन के भ्रष्टाचार के प्रति कोई सुनवाई नहीं होती। सामान्य भावना यह नहीं है कि प्रशासन सामान्यजनों के हित में कार्य करता है। नौकर शाही के प्रति इसीदेश में नहीं अपितु सब देशों में असंतोष की भावनायें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सिंघवी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : श्रीमान्, मैं इस समय भाषण देना नहीं चाहता। सभा भवन लगभग खाली है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा सोमवार के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार, १ अप्रैल, १९६३/११ चैत्र, १८८५ (शक) के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, २९ मार्च, १९६३
८ चैत्र, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उचर		३०२१–४८
तारांकित प्रश्न संख्या		
६४२	पूर्व एशियाई देशों को कपड़े का निर्यात	३०२१–२३
६४३	अभ्रक का निर्यात	३०२३–२५
६४४	क्राइस्लर मोटर कार	३०२५–२६
६४५	कांडला में पोटेशियम क्लारोइड संयंत्र	३०२६–२७
६४८	इस्पात कारखानों के लिये कोयला	३०२७–२८
६४९	दिल्ली में सीमेंट का व्यापार	३०२९–३१
६५०	उर्वरक का उत्पादन	३०३१–३३
६५१	आसाम में सीमेंट का कारखाना	३०३३–३५
६५३	बाइसिकलों का निर्यात	३०३५–३७
६५४	हिन्दी विधि आयोग	३०३७–४०
६५५	संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा की गई खरीद	३०४०–४१
६५६	सीमेंट का निर्माण	३०४१–४२
६५७	कुटीर उद्योग	३०४२–४४
६५९	चाय उद्योग	३०४४–४५
६६०	स्टेनलेस स्टील का आयात	३०४५–४६
६६१	आमों का निर्यात	३०४६–४८
प्रश्नों के लिखित उतर		३०४८–६५
तारांकित प्रश्न संख्या		
६४६	पूर्व योरोपीय देशों के लिए लोह अयस्क का निर्यात	३०४८
६४७	तिरुचिरापल्ली में भारी बायलर बनाने का कारखाना	३०४८–४९
६५८	जम्मू तथा काश्मीर में कागज कारखाना	३०४९

विषय		पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२८६	मोटरगाड़ी उद्योग को प्रतिरक्षा संबंधी क्रयादेश .	३०४६
१२९०	समवाय विधि प्रशासन . . .	३०५०
१२९१	सिलाई की मशीनें	३०५०
१२९२	टेबल फैन	३०५०–५१
१२९३	उड़ीसा को लोहे और इस्पात का संभरण . .	३०५१
१२९४	उड़ीसा में रेशमकीट पालन उद्योग का विकास .	३०५२
१२९५	आयात में कमी	३०५२
१२९६	तार (केवल) निर्माण करने का संयंत्र . .	३०५३
१२९७	विद्युत–स्फोटक	३०५३
१२९८	विदेशी सहयोग	३०५४
१२९९	ऋण करार का पुनरीक्षण .	३०५४–५५
१३००	लौह अयस्क का निर्यात . . .	३०५५
१३०१	तम्बाकू पदार्थों का विक्रय .	३०५५–५७
१३०२	ऊन कातने का चरखा . .	३०५७
१३०३	मोटर गाड़ियों का निर्माण . . .	३०५७–५८
१३०४	उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग .	३०५८
१३०५	एयर गन तथा राइफलें . .	३०५८
१३०६	कच्चे माल का मिलना	३०५६
१३०७	उत्तर प्रदेश में ऊन उद्योग .	३०५६
१३०८	सीमेंट फैक्टरी, कांगड़ा	३०५६–६०
१३०९	इस्पात स्क्रैप नं० १ .	३०६०
१३१०	खोपरा का आयात	३०६०
१३११	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	३०६१
१३१२	जूट तथा सूती वस्त्र उद्योगों को ऋण . .	३०६१
१३१३	औद्योगिक विस्तार केन्द्र	३०६१–६२
१३१४	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की समिति	३०६२
१३१५	जापान से अमोनियम सल्फेट का आयात	३०६२
१३१६	आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड . .	३०६२–६३
१३१७	प्लास्टिक और रासायनिक द्रव्य	३०६३

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३१८	मद्रास में नमक के कारखाने .	३०६३
१३१९	दक्षिण अर्काट (मद्रास) में कताई कारखाना .	३०६३–६४
१३२०	रूई का उत्पादन .	३०६४
१३२१	रूरकेला उर्वरक संयंत्र . .	३०६४
१३२२	गन्धक के तेजाब के संयंत्र	३०६४–६५
गैर सरकारी कार्य के बारे में		३०६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में		३०६५–६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३०६६
(१) ऐसे मामलों का एक विवरण जिन में इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त होने वाली छमाही में न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये ।		
(२) परिसीमन आयोग अधिनियम, १९६२ की धारा १० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २१ मार्च, १९६३ की अधि-सूचना संख्या एस० ओ० ८७४ में प्रकाशित परिसीमन आयोग के आदेश संख्या १ की एक प्रति, जिसमें विभिन्न राज्यों को लोक-सभा में दिये जाने वाले स्थानों की संख्या निर्धारित की गई है ।		
प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित		३०६६
अट्ठाइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।		
मंत्री द्वारा वक्तव्य		३०६६
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) ने तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के १५ मार्च, १९६३ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।		
सभा का कार्य . . .		३०६७–६८
अनुदानों की मांगें		३०६८–३११५
गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।		३१२५–३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन -स्वीकृत		३११६
सत्रहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।		

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापस लिया गया . . . ३११६-२४

श्री हेम बरूआ ने नेफा पर हाल के चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि को देखते हुये उस क्षेत्र की प्रशासनिक नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा के पश्चात् संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन ३१२४-२५

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, १ अप्रैल, १९६३/११ चैत्र, १८८५ (शक) के लिए कार्यावलि---

गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा; निर्माण आवास और पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।

GMGIPND—LSIII—130—(Ai) LSD—28-5-63—160.

श्री शिवमूर्ति स्वामी ३०८९--९१
श्री नवल प्रभाकर ३०९१--९३
श्री ओंकार लाल बेरवा . . . . ३०९३—९५
श्रीमती जयावेन शाह . . . ३०९६--९८
श्री हजर नवीस . . . . ३०९८—३१०२
श्री कर्णी सिंह जी ३१०२–०३
श्री गुलशन ३१०३--०६
श्री मुज्जफ्फर हुसैन . . . . . ३१०६—१०
श्री प्रकाश वीर शास्त्री ३१११--१५
श्री अब्दुल गनी गोनी . . . ३११५
श्रीमती रेणुका राय ३१२५
श्री राम सेवक यादव . . . . ३१२५—२९
श्री भागवत झा आजाद ३१२९--३१
श्री सेझियान ३१३१--३३
श्री प० ला० बारुपाल ३१३३--३५
श्री मुहम्मद इस्माइल ३१३५–३६
श्री श० ना० चतुर्वेदी ३१३६–३७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्रहवां प्रतिवेदन ३११६

नेफा में प्रशासनिक नीति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ३११६--२४

श्री हेम बरुआ . . . . . ३११६—१८
श्री प्र० चं० बरुआ ३११९
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ३११९—२४
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ३१२४

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

श्रीमती सुभद्रा जोशी ३१२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१३८—४१

P.L.S. 41. XVI. 31. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।